Cover Page

INTERNATIONAL JOURNAL OF MULTIDISCIPLINARY EDUCATIONAL RESEARCH
ISSN:2277-7881; IMPACT FACTOR :7.816(2021); IC VALUE:5.16; ISI VALUE:2.286
Peer Reviewed and Refereed Journal: VOLUME:10, ISSUE:9(6), September: 2021
Online Copy of Article Publication Available: www.ijmer.in
Digital certificate of publication: http://ijmer.in/pdf/e-Certificate%20of%20Publication-IJMER.pdf
Scopus Review ID: A2B96D3ACF3FEA2A
Article Received: 4th September
Publication Date:30th September 2021

DOI: http://ijmer.in.doi./2021/10.09.110

भारत में भ्रूण हत्या के बढ़ते अपराध की रोकथाम संबंधित विधि–अपराध एवं समाधान

डॉ राम आशीष श्रीवास्तव, सहायक प्राध्यापक (विधि) गोविन्द सारंग शासकीय विधि महाविद्यालय
भाटापारा–बलौदाबाजार (छ.ग.)

सार–संक्षेप

प्रस्तुत शोध पत्र के अंतर्गत के माध्यम से गर्भपात तथा भ्रूण हत्या को रोकने के लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 312 से 315 तक तथा "गर्भ का चिकित्सकीय समापन अधिनियम 1971" एवं पी.एन.डी.टी. अधिनियम 1994 के अंतर्गत दाण्डिक उपबंधों की व्याख्या करना तथा उक्त प्रावधानों भ्रूण हत्या रोकने में भूमिका ज्ञात करना है। भारतीय समाज में नारी के साथ हमेंशा से ही भेदभावपूर्ण व्यवहार किया जाता रहा है। यदि हम प्राचीन काल की बात करे तो नारी की स्थिति सम्मान जनक थी चाहे आध्यात्मिक क्षेत्र हो या फिर धार्मिक स्त्री का स्थान पुरूष से कम नहीं था, किन्तु कालान्तर में यह स्थिति वैदिक काल के पश्चात के कालों में नारी की स्थिति में कमि आती गई स्त्री को केवल भोग विलास की वस्तु समझा जाने लगा । समय के साथ–साथ स्त्रियों को सामाजिक कुरीतियो से आच्छादित कर दिया गया। महिलाओं से संबंधित कुछ कुरीतियॉ है बहु–विवाह, सती प्रथा, बाल–विवाह तथा पर्दा प्रथा इत्यादि प्रमुख रहीं।

मूल शब्द

महिलाओं के विरूद्ध अपराध, महिलाओं से संबंधित अधिनियम, भ्रूण, भ्रूण हत्या, गर्भपात, गर्भ का चिकित्सीय समापन, प्रसव, प्रसव पूर्व निदान एवं तकनीक।

परिचय

"जब तक महिलाओं की स्थिति में सुधार नहीं होगा तब तक विश्व का कल्याण नहीं हो सकता।"

स्वामी विवेकानन्द

सोनोग्राफी, अल्ट्रासाउण्ड एवं एमिनियासेंटेसिस ऐसी खोज है जिसके माध्यम से यह आसानी से पता लगया जा सकता है कि गर्भ स्थित भ्रूण स्त्री लिंग है या पुरूष। यहॉ पर यदि भ्रूण स्त्री लिंग है तो जन्म के पूर्व यह जानकारी प्रापत कर उस भ्रूण की हत्या कर दी जाती। जब यह तकनीक विकसित नहीं थी तो उस समय जन्म के पश्चात कन्या की हत्या कर दी जाती थी। गर्भावस्था की अवधि में गर्भ के पदार्थो का गर्भाशय से बाहर निकाल देना गर्भपात कहलाता है।[1] गर्भपात का अर्थ होता है, गर्भावस्था की अवधि में, परिपक्वता को प्राप्त होने से पूर्व ही, गर्भ के पदार्थो का, गर्भाशय से बाहर निकल जाना।[2] गर्भावस्था का कोई भी समय हो अथवा भ्रूण की चाहे कितनी भी आयु हो, चिकित्सा न्याय–शास्त्र की दृष्टि से माता की स्वीकृति अथवा अस्वीकृति से,

Cover Page

INTERNATIONAL JOURNAL OF MULTIDISCIPLINARY EDUCATIONAL RESEARCH
ISSN:2277-7881; IMPACT FACTOR :7.816(2021); IC VALUE:5.16; ISI VALUE:2.286
Peer Reviewed and Refereed Journal: VOLUME:10, ISSUE:9(6), September: 2021
Online Copy of Article Publication Available: www.ijmer.in
Digital certificate of publication: http://ijmer.in/pdf/e-Certificate%20of%20Publication-IJMER.pdf
Scopus Review ID: A2B96D3ACF3FEA2A
Article Received: 4th September
Publication Date:30th September 2021

DOI: http://ijmer.in.doi./2021/10.09.110

प्रकृति विरूद्ध अन्यायपूर्वक गर्भधारणजन्य पदार्थ को जबरदस्ती निकालना ''गर्भपात'' कहा जाता है।[3]

गर्भ धारण पूर्व और प्रसवपूर्व निदान–तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम, 1994

कोई भी प्रसवपूर्व निदान–तकनीक का निम्नलिखित अप्रसामानयताओं में से किसी का पता लगाने के प्रयोजनों के सिवाय, उपयोग नहीं किया जाएगाः– गुणसूत्री अप्रसामान्यताएं, अनुवंशिकी मेटाबोली रोग, हीमोग्लोबिन विकृतियां, लिंग सहलग्न अनुवंशिकी रोग, जन्मजात असंगतियां ऐसी कोई अन्य अप्रसामान्यताएं या रोग जो केन्द्रीय पर्यवेक्षण वोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं।[4]

गर्भ धारण पूर्व और प्रसवपूर्व निदान–तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम, 1994 का उद्देश्य है कि, "गर्भधारण के पूर्व या उसके पश्चात् लिंग चयन के प्रतिषेध का और अनुवंशिकी अप्रसामान्यताओं या मेटाबोली विकारों या गुणसूत्री अप्रसामान्यताओं या कतिपय जन्मजात विकृतियों या लिंग–सहलग्न विकारों का पता लगाने के प्रयोजनों का तथा लिंग अवधारण के लिए ऐसी तकनीकों के, जिनके कारण स्त्री–लिंगी भ्रूणवध हो सकता हो, दुरूप्योंग के निवारण का तथा उनसे संबंधित या उनके अनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए अधिनियम।"[5] इस अधिनियम को 8 अध्यायों के अंतर्गत 34 धाराओं में बॉटा गया है। "प्रसवपूर्व निदान प्रक्रिया" से अभिप्रेत है सभी स्त्री रोग संबंधी या प्रसूति विज्ञान संबंधी या चिकित्सा संबंधी प्रक्रियाएं, जैसे कि पराश्रव्य लेखन, भ्रूण दर्शिकी, गर्भधारण के पूर्व या पश्चात् लिंग चयन के लिए, किसी प्रकार के किसी विश्लेषण या प्रसवपूर्व निदान परीक्षण के लिए, किसी पुरूष या स्त्री के, उल्ब–तरल, जरायु अंकुरिका, भ्रूण, रक्त या किसी अन्य टिशू या तरल का किसी अनुवंशिकी प्रयोगशाला या अनुवंशिकी क्लिनिक में भेजने के लिए नमूना लेना या निकालना।[6]"प्रसव पूर्व निदान–तकनीक" के अंतर्गत सभी प्रसवपूर्व निदान प्रक्रियाएं और प्रसवपूर्व निदान परीक्षण है।[7] "प्रसवपूर्व निदान–परीक्षण" से किसी गर्भवती स्त्री या गर्भ उत्पाद के आनुवंशिक या मेटाबोली विकारों या गुणसूत्री अप्रसामान्यताओं या जन्मजात असंगतियों या हीमोग्लोबिन विकृतियों या लिंग सहलग्न रोगों का पता लगाने के लिए किया गया पराश्रव्य लेखन या उसके उल्ब–तरल, जरायु अंकुरिका, रक्त या किसी टिशू या तरल का कोई परीक्षण या विश्लेषण अभिप्रेत है।[8]

गर्भ का चिकित्सकीय समापन अधिनियम, 1971

इस अधिनियम का उद्देश्य अधिनियम के अंतर्गत स्पष्ट किया गया है जिसके अंतर्गत कहा गया है कि, कतिपय गर्भों के रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा–व्यवसायियों द्वारा समापन का और उससे संबद्ध या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए अधिनियम।[9]गर्भ का चिकित्सकीय समापन अधिनियम, 1971 के अंतर्गत स्पष्ट किया गया है कि किन परिस्थितियों में गर्भ को समाप्त किया जा सकता है।गर्भ किसी रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा–व्यवसायी द्वारा इस अधिनियम के उपबन्धों

Cover Page

INTERNATIONAL JOURNAL OF MULTIDISCIPLINARY EDUCATIONAL RESEARCH
ISSN:2277-7881; IMPACT FACTOR :7.816(2021); IC VALUE:5.16; ISI VALUE:2.286
Peer Reviewed and Refereed Journal: VOLUME:10, ISSUE:9(6), September: 2021
Online Copy of Article Publication Available: www.ijmer.in
Digital certificate of publication: http://ijmer.in/pdf/e-Certificate%20of%20Publication-IJMER.pdf
Scopus Review ID: A2B96D3ACF3FEA2A
Article Received: 4th September
Publication Date:30th September 2021

DOI: http://ijmer.in.doi./2021/10.09.110

के अनुसार समाप्त किया जाए तो वह चिकित्सा–व्यवसायी उस संहिता के अधीन या किसी अन्य तत्समय प्रवृत्त विधि के अधीन किसी अपराध का दोषी नहीं होगा[10]–जहॉ गर्भ 12 सप्ताह से अधिका का न हो, चिकित्सा व्यवसायी ने और जहॉ गर्भ 12 सप्ताह से अधिक का हो किन्तु 20 सप्ताह से अधिक का न हो वहॉ दो से अन्यून रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी ने सद्भावनापूर्वक यह राय कायम की हो कि, गर्भ के बने रहने से गर्भवती स्त्री का जीवन जोखिम में पड़ेगा अथवा उसके शारीरिक या मानसिक स्वास्थ्य को गंभीर क्षति का जोखिम हो अथवा इस वात का जाखिम हो कि यदि बच्चा पैदा हुआ तो वह वह ऐसी शारीतिक या मानसिक अप्रसामान्यताओं से पीड़ित होगा कि वह गंभीर रूप से विकलांग हो, तो वह गर्भ रजिस्ट्रकृत चिकित्सा–व्यवसायी द्वारा समाप्त किया जा सकेगा।[11] अधिनियम में यह भी उपबंधित किया गया है कि गर्भ की अवधि कितनी ही हो यदि दो रजिस्ट्रकृत चिकित्सा–व्यवसायी की राय सद्भावनापूर्वक यह है कि गर्भवती स्त्री के जीवन को बचाने के लिए तुरन्त आवश्यक है।[12]

प्रस्तुत शोध पत्र महिला अधिकार एवं बाल अधिकार के महत्वपूर्ण पहलू भ्रूण हत्या के संबंध में है जिस कारण से यहॉ पर उन अन्य अधिनियमों के नाम का वर्णन करना सुसंगत होगा क्योकि इन अधिनियमों के अंतर्गत महिलाओं और बच्चों के अधिकारों को संरक्षित किया गया है, अधिनियम है– बाल विवाह, अवरोध अधिनियम 1929, भारतीय कारखाना अधिनियम 1948, भारतीय खान अधिनियम 1952, चलचित्र अधिनियम 1952, विशेष विवाह अधिनियम 1954, हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956, अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम 1956, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961, परिवहन कर्मकार अधिनियम, 1961, बीड़ी तथा सिगार कर्मकार (नियोजन की शर्ते अधिनियम) 1961, गर्भ का चिकित्सीय समापन अधिकनयम 1971, स्त्रियों का अशिष्ट प्रस्तुतीकरण (प्रतिषेध) अधिनियम 1986, मोटर बालश्रम (प्रतिषेध और विनियम) अधिनियम, 1986 सती (निवारण) अधिनियम 1987, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005, ।

भारतीय दण्ड संहिता 1860 के अंतर्गत गर्भपात आदि से संबंधित प्रावधान

भारतीय दण्ड संहिता 1860 के अध्याय 16 के द्वितीय शीर्षक गर्भपात कारित करने, अज्ञात शिशुओं को क्षति कारित करने, शिशुओं को अरक्षित छोड़ने और जन्म छिपाने के विषय में धारा 12 से लेकर धारा 318 तक उपबंधित किया गया है, जिसके अंतर्गत गर्भपात कारित करना,[13] स्त्री की संम्मिति के बिना गर्भपात कारित करना,[14] गर्भपात कारित करने के आशय से किए गए कार्यो द्वारा कारित मृत्यु,[15] शिशु का जीवित पैदा होना रेकने या जन्म के पश्चात् उसकी मृत्यु कारित करने के आशय से किया गया कार्य,[16] ऐसे कार्य द्वारा जो आपराधिक मानव वध की कोटि में आता है, किसी सजीव अज्ञात शिशु की मृत्यु कारित करना,[17] शिशु के पिता या माता या उसकी देख–रेख रखने वाले वयक्ति द्वारा बारह वर्ष से कम आयु के शिशु का अरक्षित डाल दिया जाना

Cover Page

INTERNATIONAL JOURNAL OF MULTIDISCIPLINARY EDUCATIONAL RESEARCH
ISSN:2277-7881; IMPACT FACTOR :7.816(2021); IC VALUE:5.16; ISI VALUE:2.286
Peer Reviewed and Refereed Journal: VOLUME:10, ISSUE:9(6), September: 2021
Online Copy of Article Publication Available: www.ijmer.in
Digital certificate of publication: http://ijmer.in/pdf/e-Certificate%20of%20Publication-IJMER.pdf
Scopus Review ID: A2B96D3ACF3FEA2A
Article Received: 4th September
Publication Date:30th September 2021

DOI: http://ijmer.in.doi./2021/10.09.110

और परित्याग[18] तथा मृत शरीर के गुप्त व्ययन द्वारा जन्म छिपाना[19] से संबंधित उपबंध किये गये हैं।

उद्देश्य

प्रस्तुत शोध पत्र के उद्देश्य निम्नांकित रूप में परिणित किया गया है–

- शोध पत्र के माध्यम से यह जानना है कि भ्रूण हत्या के बढ़ते अपराध का क्या कारण है ?
- भ्रूण हत्या के अपराध के विरूद्ध कितनी दण्ड की सजा का निर्धारण किया गया है ?
- गर्भपात एवं कन्या भ्रूण हत्या विधिक व्याख्या करना।
- भ्रूण हत्या से संबंधित कानूनों की विवेचना एवं विश्लेषण करना।
- गर्भपात एवं कन्या भ्रूण हत्या के संबंध में न्यायालय के दृष्टिकोण कोण को न्याय निर्णयों के माध्यम से जानना।
- भ्रूण हत्या के कारण लिंगानुपात में आये असंतुलन को ज्ञात करना।

साहित्य का पुनर्विलोकन

(सरयाल सुतापा 2014) वीमन्स राइट्स इन इंडिया: प्रोब्लम्स एण्ड प्रोसपेक्ट्स, इंटरनेशनल रिसर्च जर्नल ऑव सोशल साइंस शोध पत्र के अंतर्गत किये गये अध्ययन के अंतर्गत संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा वर्ष 2000 में बैठक आयोजित की गई जिसके द्वारा लिये गये निर्णयों को दृष्टिगत रखते हुए यह शोध पत्र आधारित किया गया जिसके अंतर्गत महिलाओं के विभिन्न अधिकारों अधिनियमों तथा संवैधानिक अधिकारों से संबंधित विभिन्न पहलुओं का अध्ययन किया गया।

(बेहरा अभिमनयु 2010) फीमेल फोईटीसाइड–ए सोशियल मीन्स शोध पत्र जो कि सी.पी.जे. लॉ जर्नल में प्रकाशित है, के अंतर्गत किये गये अध्ययन के अंतर्गत कन्या भ्रूण हत्या के अर्थ को स्पष्ट किया गया साथ ही भारत के संविधान, गर्भ धारण पूर्व और प्रसवपूर्व निदान–तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम, 1994 तथा गर्भ का चिकित्सकीय समापन अधिनियम, 1971 के अध्ययन के साथ–साथ माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा प्रतिपादित विभिन्न वादों को भी अपने शोध पत्र में प्रस्तुत किया।

(वाजपेई आशा द्वितीय संस्करण 2007) प्रस्तुत पुस्तक चाइल्ड राइट्स इन इंडिया 9 अध्यायों में विभक्त किया गया है। इस पुस्तक के अध्याय आठ के अंतर्गत गर्भ धारण पूर्व और प्रसवपूर्व निदान–तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम, 1994, गर्भ का चिकित्सकीय समापन अधिनियम, 1971 की व्याख्या की गई है साथ ही अन्य अध्यायों के अंतर्गत भारत के संविधान के आवश्यक सिद्धांतों की भी व्याख्या की गई है।

Cover Page

DOI: http://ijmer.in.doi./2021/10.09.110

INTERNATIONAL JOURNAL OF MULTIDISCIPLINARY EDUCATIONAL RESEARCH
ISSN:2277-7881; IMPACT FACTOR :7.816(2021); IC VALUE:5.16; ISI VALUE:2.286
Peer Reviewed and Refereed Journal: VOLUME:10, ISSUE:9(6), September: 2021
Online Copy of Article Publication Available: www.ijmer.in
Digital certificate of publication: http://ijmer.in/pdf/e-Certificate%20of%20Publication-IJMER.pdf
Scopus Review ID: A2B96D3ACF3FEA2A
Article Received: 4th September
Publication Date:30th September 2021

(त्रिपाठी, एस. सी. एवं अरोरा विभा, चतुर्थ संस्करण) लॉ रिलेटिग टू वीमन एण्ड चिल्ड्रेन पुस्तक के अंतर्गत महिला शसक्तिकरण के सम्बन्ध में है। प्रस्तुत पुस्तक को 12 अध्यायों के अंतर्गत विभक्त किया गया है। इस पुस्तक में महिलाओं एवं बच्चों से संबंधित राष्ट्रीय विधियों के साथ–साथ अंर्तराष्ट्रीय विधि एवं मानवाधिकारों का भी अध्ययन किया गया है। गर्भ धारण पूर्व और प्रसवपूर्व निदान–तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम, 1994, गर्भ का चिकित्सकीय समापन अधिनियम, 1971 की व्याख्या की गई है।

(सरकार श्रावानी 2020) द वीक के माध्यम से अपना पत्र प्रकाशित किया जिसमें यूनाईटेड नेशन पाप्यूलेशन फंड (यू.एन.एफ.पी.ए.) को द्वितियक श्रोत के माध्यम से प्रस्तुत किया साथ ही अन्य द्वितीयक श्रोतों का वर्णन करते हुए, आलोचनात्मक परीक्षण किया है।

शोध विधि

प्रस्तुत शोध पत्र के अंतर्गत वर्णात्मक विधि का प्रयोग किया गया है। उपस्थित विधियों, न्यायनिर्णयों के अंतर्गत एवं सरकार की नितियों के उपलब्ध द्वितियक श्रोतों के माध्यम से अध्ययन किया गया है। साथ ही शोध पत्र के अंतर्गत अधिनियमों तथा पूर्वनिर्णयों का तुलनात्मक अध्ययन किया गया है।

विश्लेषण और निर्वचन

तालिका क्रमांक 1 (भाग 1)
प्रसवपूर्व निदान– गर्भ धारण पूर्व और तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम, 1994 के अंतर्गत कार्य जिनको रोका गया है और दण्डित किया गया है–

धारा	कार्य जिनका उल्लंघन दंडनीय है	कारावास	जुर्माना
22 गर्भ धारण पूर्व और प्रसवपूर्व लिंग अवधारण संबंधी विज्ञापन का प्रतिषेध और उसके उल्लंघन के लिए दंड	(1) कोई भी व्यक्ति, संगठन, आनुवंशिकी सलाह केंद्र, आनुवंशिकी प्रयोगशाला या आनुवंशिकी क्लिनिक, जिसके अंतर्गत ऐसा क्लिनिक, प्रयोगशाला या केंद्र भी है, जिसमें अल्ट्रासाउंड मशीन, इमेजिंग मशीन या स्कैनर या कोई अन्य ऐसी प्रौद्योगिकी है, जो भ्रूण के लिंग का अवधारण करने और लिंग चयन करने में समर्थ है, प्रसवपूर्व लिंग अवधारण या गर्भधारण पूर्व लिंग चयन की सुविधाओं के बारे में, जो ऐसे केन्द्र, प्रयोगशाला, क्लिनिक या किसी अन्य स्थान पर उपलब्ध है, कोई विज्ञापन, किसी भी रूप में, जिसके अंतर्गत इंटरनेट भी है, जारी, प्रकाशित, वितरित या संसूचित नहीं करेगा या जारी, प्रकाशित, वितरित, संसूचित नहीं करेगा या जारी, प्रकाशित, वितरित या संसूचित नहीं करवाएगा। (2)कोई भी व्यक्ति या संगठन, जिसके अंतर्गत आनुवंशिकी सलाह केंन्द्र, आनुवंशिकी क्लिनिक भी भी है, किसी भी साधनों के द्वारा, चाहे वैज्ञानिक हो या अन्यथा, लिंग के प्रसवपूर्व अवधारण या गर्भधारण पूर्व चयन के संबंध में किसी रीति में कोई विज्ञापन जारी, प्रकाशित, वितरित या संसूचित नहीं करेगा या जारी, प्रकाशित, वितरित, संसूचित नहीं करेगा या जारी, प्रकाशित, वितरित या संसूचित नहीं करवाएगा।	(3) एसा कोई व्यक्ति, जो उपधारा (1) या उपधारा (2) के उपबन्धों का उल्लंघन करेगा, ऐसे कारावास से जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी और	जुर्माने से जो दस हजार रूपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा।

Cover Page

INTERNATIONAL JOURNAL OF MULTIDISCIPLINARY EDUCATIONAL RESEARCH
ISSN:2277-7881; IMPACT FACTOR :7.816(2021); IC VALUE:5.16; ISI VALUE:2.286
Peer Reviewed and Refereed Journal: VOLUME:10, ISSUE:9(6), September: 2021
Online Copy of Article Publication Available: www.ijmer.in
Digital certificate of publication: http://ijmer.in/pdf/e-Certificate%20of%20Publication-IJMER.pdf
Scopus Review ID: A2B96D3ACF3FEA2A
Article Received: 4th September
Publication Date:30th September 2021

DOI: http://ijmer.in.doi./2021/10.09.110

तालिका क्रमांक 1 (भाग 2)

धारा	कार्य जिनका उल्लंघन दंडनीय है	कारावास	जुर्माना
23 अपराध और शास्तियां	(1) कोई चिकित्सा अनुवंशिकीविज्ञ, स्त्री रोग विशेषज्ञ, रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी या कोई व्यक्ति, जो आनुवंशिकी सलाह केन्द्र, आनुवंशिकी प्रयोगशाला सा आनुवंशिकी क्लिनिक का स्वामी है या एसे केन्द्र, प्रयोगशाला या क्लिनिक में नियोजित है तथा अपनी वृत्तिक या तकनीकी सेवाएं, ऐसे केन्द्र, प्रयोगशाला या क्लिनिक को चाहे वे अवैतनिक आधार पर हों या अन्यथा, प्रदान करता है, और जो इस अधिनिय या इसके अधीन बनाए गए नियमों के किन्हीं उपबंधों का उललंघन करेगा,	कारावास से जिसकी अवधि **तीन वर्ष** तक की हो सकेगी और	जुर्माने से जा दस हजार रूपए तक का हो सकेगा
	और किसी पश्चार्ती दोपसिद्धि पर	कारावास से, जिसकी अवधि **पांच वर्ष** तक की हो सकेगी और	जुर्माने से, जो **पचास हजार रूपये** तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा।
	(2) रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी का नाम समुचित प्राधिकारी द्वारा संबंधित राज्य आयुर्विज्ञान परिषद् को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए, जिसके अंतर्गत	रजिस्ट्रीकरण का निलंबन, यदि न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किए जाते हैं, और मामले के निपटाए जाने तक, और सिद्धदोप ठहराए जाने पर उसके नाम को प्रथम अपराध के लिए पांच वर्प की अवधि के लिए और	
	पश्चात्वर्ती अपराध के लिए	स्थायी रूप से परिषद् के रजिस्टर से हटाया जाना भी है, रिपोर्ट किया जाएगा।	
	(3) कोई व्यक्ति, जो किसी अनुवंशिकी सलाह केन्द्र, अनुवंशिकी प्रयोगशाला या, अनुवंशिकी क्लिनिक या अल्ट्रासाउंड क्लिनिक या इमेजिंग क्लिनिक की या किसी चिकित्सा अनुवांपिकीविज्ञानी, स्त्री रोग विशपज्ञ, सोनोलोजिस्ट, इमेजिंग विशेपज्ञ या रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी का या किसी अन्य व्यक्ति की , धारा 4 की अपधारा (2) में निनिर्दिप्ट प्रयोजनों से भिन्न प्रयोजनों के लिए किसी गर्भवती स्त्री पर लिंग चयन के लिए या प्रसवपूर्व निदान तकनीक का उपयोग करने के लिए सहायता लेगा, प्रथम अपराध के लिए	कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्प तक की हो सकेगी और	जुर्माने से, जो पचास हजार रूपये तक का हो सकेगा
	और किसी पश्चात्वर्ती अपराध के लिए,	कारावास से जिसकी अवधि पांच वर्प तक की हो सकेगी और	जुर्माने से जो एक लाख रूपये तक का हो सकेगा दंडनीय होगा।

तालिका क्रमांक 1 (भाग 3)

धारा	कार्य जिनका उल्लंघन दंडनीय है	कारावास	जुर्माना
धारा 24 प्रसवपूर्व निदान–तकनीको के संचालन की दशा में उपधारणा	भारतीय साक्ष्य अधनिय अधिनिय, 1872 में किसी बात के होते हुए भी, न्यायालय, जब तक प्रतिकूल साबित नहीं कर दिया जाता है, यह अपधारणा करेगा कि गर्भवती स्त्री प्रसवपूर्व निदान–तकनीक का धारा 4 की उपधारा (2) में विनिर्दिप्ट प्रयोजनों से भिन्न प्रयोजन के लिए उपयोग कराने के लिए, यथास्थिति, उसके पति या किसी अन्य नातेदान द्वारा वि की गई थी और ऐसा वयक्ति	धारा 23 की अपधारा(3) के अधीन अपराध के दुप्रेरण के लिए दायी होगा और उस धारा के अधीन विनिर्दिप्ट अपराध के लिए दंडनीय होगा।	
धारा 25 अधिनियम या नियमों के उन उपबंधों के उल्लंघन के लिए शास्ति जिनके लिए किसी विनिर्दिप्ट दंड का उपबंध नही किया गया है–	जो कोई इस अधिनियम के या इसके अधीन बनाए गए किन्हीं नियमों के उन उपबंधों का उल्लंघन करेगा, जिनके लिए इस अधिनियम में अन्य किसी शास्ति का उपबंध नहीं है	वह कारावास से, जिसकी अवधि **तीन मास** तक की हो सकेगी या	जुर्माने से, जो **एक हजार रूपये** तक का हो सकेगा या **दोनों** से
	और जहां ऐसा उल्लंघन जारी रहता है वहां		अतिरिक्त जुर्माने से जो ऐसे **प्रत्येक दिन** के लिए, जिसके दौरान ऐसा उल्लंघन ऐसे प्रथम उल्लंघन के लिए दोपसिद्धि के पश्चात् जारी रहता है, **पॉच सौ रूपये** तक का हो सकेगा

स्त्रोत–**indiacode**[20]

Cover Page

INTERNATIONAL JOURNAL OF MULTIDISCIPLINARY EDUCATIONAL RESEARCH
ISSN:2277-7881; IMPACT FACTOR :7.816(2021); IC VALUE:5.16; ISI VALUE:2.286
Peer Reviewed and Refereed Journal: VOLUME:10, ISSUE:9(6), September: 2021
Online Copy of Article Publication Available: www.ijmer.in
Digital certificate of publication: http://ijmer.in/pdf/e-Certificate%20of%20Publication-IJMER.pdf
Scopus Review ID: A2B96D3ACF3FEA2A
Article Received: 4th September
Publication Date:30th September 2021
DOI: http://ijmer.in.doi./2021/10.09.110

तालिका क्रमांक 2

गर्भ का चिकित्सकीय समापन अधिनियम, 1971 के अंतर्गत वे कार्य जो अपराध बनाए गए है और उनके लिए दण्ड तथा जुर्माना

धारा	कार्य जिनका उल्लंघन दंडनीय है	कारावास	जुर्माना
धारा 5(2)	ऐसे व्यक्ति द्वारा गर्भ का समाधान जो रजिस्ट्रीकृत चिकित्सिा व्यवसायी नहीं है	कठोर कारावास जिसकी अवधि 2वर्ष से कम नहीं होगी किनतु जो सात वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डनीय होगा।	
धारा 5(3)	धारा 4 में बतलाये गये स्थान के अलावा गर्भ का समापन	कठोर कारावास से जिसकी अवधि दो वर्ष से कम नहीं होगी किन्तु जो 7 वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डनीय होगा।	
धारा 5(4)	कोई व्यक्ति जो किसी ऐसे स्थान का स्वामी है, जो धारा 4 के खंड (ख) के अधीन अनुमोदित नहीं है	कठोर कारावास से जिसकी अवधि दो वर्ष से कम नहीं होगी किन्तु जो 7 वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डनीय होगा।	
धारा 7(3)	कोई व्यक्ति धारा 7 की उपधारा (1) के अधीन बनाए गए किसी विनियम का जानबूझकर उल्लंघन करेगा या अपेक्षाओं का अनुपालन करने में जानबूझकर असफल रहेगा,		जुर्माने से जो 1000 रूपये तक का हो सकेगा दंडनीय होगा

स्त्रोत–**indiacode**[21]

तालिका क्रमांक 3

भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत 1860 के अंतर्गत गर्भपात आदि से संबंधित कार्य जो अपराध बनाए गए है और उनके लिए दण्ड तथा जुर्माना

धारा	कार्य जिनका उल्लंघन दंडनीय है	कारावास	जुर्माना
312 अंतर्गत गर्भपात कारित करना	जो कोई गर्भवती स्त्री का स्वेच्छया गर्भपात कारित करेगा, यदि ऐसा गर्भपात उस स्त्री का जीवन बचाने के प्रयोजन से सद्भावपूर्वक, कारित न किया जाए ता वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि	किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा या	जुर्माने से दंडित किया जाएगा
	और यदि वह स्त्री स्पन्दन गर्भा हो, ता वह	दोनों में से किसी भाबत के कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और	जुर्माने से भी दण्डनीय होगा।
313 स्त्री की संम्मिति के बिना गर्भपात कारित करना	जे कोई उस स्त्री की सम्मति के बिना, चाहे वह स्त्री स्पन्दनगर्भा हो या नहीं, अनतिम धारा में परिभाषित अपराध करेगा, वह अजीवन कारावास से, सा दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और	वह अजीवन कारावास से, सा दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और	जुर्माने से भी दण्डनीय होगा
314 गर्भपात कारित करने के आशय से किए गए कार्यों द्वारा कारित मृत्य	जो कोई गर्भ वर्ती स्त्री का गर्भपात कारित करने के आशय से कोई ऐसा कार्य करेगा, जिससे ऐसी स्त्री की मृत्यु कारित हो जाए,	वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और	जुर्माने से भी दण्डनीय होगा।
यदि वह कार्य स्त्री की सम्मति के बिना किया जाए	और यदि वह कार्य उस स्त्री की सम्मति के विना किया जाए, तो वह	अजीवन कारावास से, या ऊपर बताए हुए दण्ड से, दण्डित किया जाएगा।	

Cover Page

INTERNATIONAL JOURNAL OF MULTIDISCIPLINARY EDUCATIONAL RESEARCH
ISSN:2277-7881; IMPACT FACTOR :7.816(2021); IC VALUE:5.16; ISI VALUE:2.286
Peer Reviewed and Refereed Journal: VOLUME:10, ISSUE:9(6), September: 2021
Online Copy of Article Publication Available: www.ijmer.in
Digital certificate of publication: http://ijmer.in/pdf/e-Certificate%20of%20Publication-IJMER.pdf
Scopus Review ID: A2B96D3ACF3FEA2A
Article Received: 4th September
Publication Date:30th September 2021

DOI: http://ijmer.in.doi./2021/10.09.110

315 शिशु का जीवित पैदा होना रेकने या जन्म के पश्चात् उसकी मृत्यु कारित करने के आशय से किया गया कार्य,	जो कोई किसी शिशु के जन्म पूर्व कोई कार्य इस आशय से करेगा कि उस शिशु का जीवित पैदा होना तद्द्वारा रोका जाए या जन्म के पश्चात्, उसकी मृत्यु कारित हो जाए, और ऐसे कार्य से उस शिशु का जीवित पैदा होना रोकेगा, या उसके जन्म के पश्चात् उसकी मृत्यु कारित कर देगा, यदि वह कार्य माता के जीवन का बचाने के प्रयोजन से सद्भावनापूर्वक नहीं किया गया हो,	तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी,	या जुर्माने से, या दोनों से, दंडित किया जाएगा।
318 मृत शरीर के गुप्त व्ययन द्वारा जन्म छिपाना	जो कोई किसी शिशु के मृत शरीर को गुप्त रूप से गाड़कर या अन्यथा उसका व्ययन करके चाहे ऐसे शिशु की मृत्यु उसके जन्म से पूर्व या पश्चात् या जन्म के दौरान में हुई हो, ऐसे शिशु के जन्म को साशय छिपाएगा या छिपाने का प्रयास करेगा	वह दोनों में से किसी भॉति के कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी,	या जुर्माने से, या दोनों से, दंण्डित किया जाएगा।

स्त्रोत–**indiacode**[22]

चित्र क्रमांक 1

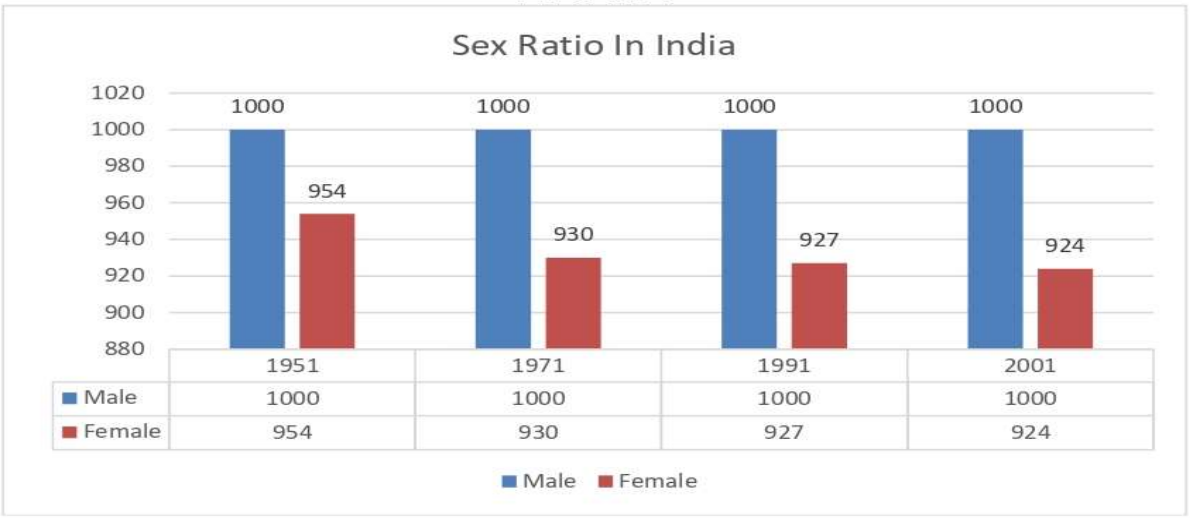

चित्र क्रमांक 2

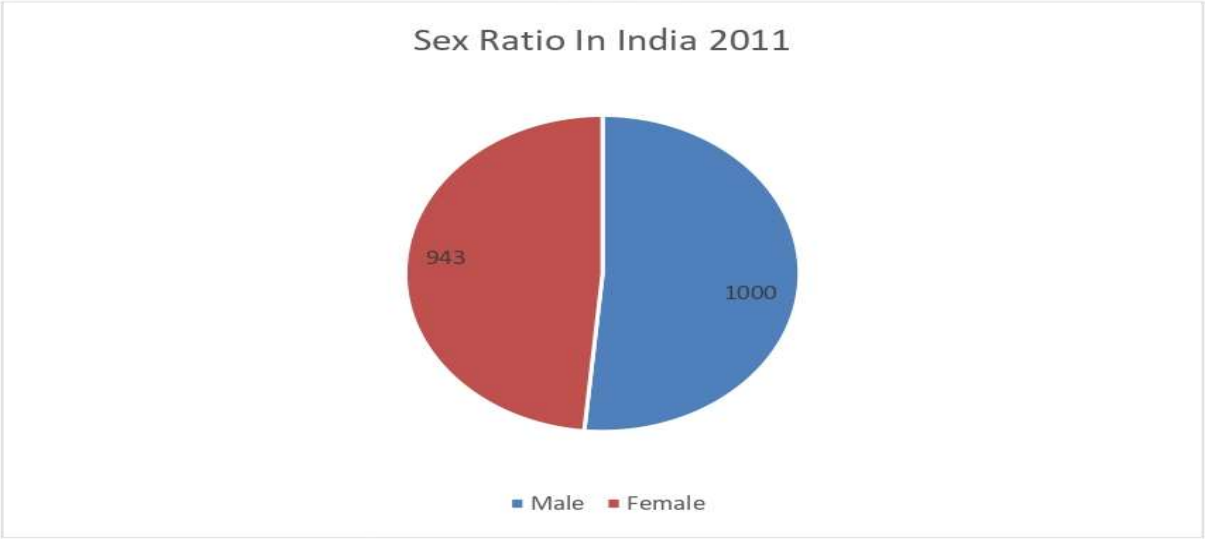

SourceIndia Population Census [23]

Cover Page

DOI: http://ijmer.in.doi./2021/10.09.110

INTERNATIONAL JOURNAL OF MULTIDISCIPLINARY EDUCATIONAL RESEARCH
ISSN:2277-7881; IMPACT FACTOR :7.816(2021); IC VALUE:5.16; ISI VALUE:2.286
Peer Reviewed and Refereed Journal: VOLUME:10, ISSUE:9(6), September: 2021
Online Copy of Article Publication Available: www.ijmer.in
Digital certificate of publication: http://ijmer.in/pdf/e-Certificate%20of%20Publication-IJMER.pdf
Scopus Review ID: A2B96D3ACF3FEA2A
Article Received: 4th September
Publication Date:30th September 2021

भारत में स्त्री–पुरूष लिंगानुपात निरंतर घटता जा रहा है। सन् 1951 में 1000 पुरूषों के पीछे 954 महिलाएं थी, सन् 1971 में 1000 पुरूषों के पीछे 930, 1991 में 927 तथा सन् 2001 में तो स्थिति और भी असमान्य हो गई तथा 1000 पुरूषों के पीछे मात्र 924 महिलाएं ही रह गई हैं। महिलाओं की ऐसी घटती संख्या निश्चित रूप से अप्राकृतिक है। सरकार श्रावानी 2020 द वीक के माध्यम से अपना पत्र प्रकाशित किया जिसमें यूनाईटेड नेशन पाप्यूलेशन फंड (यू.एन.एफ.पी.ए.) रिपोर्ट को माध्यम बनाते हुए उद्धित किया कि, भारत में 4.6 करोड़ के आस–पास महिलाए जन्म के पूर्व और पश्चात् लिंग चयन के कारण गुम हो जाती है।[24] प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया 30 जून 2020 के माध्यम से यूएन रिपोर्ट का हबाला देते हुए अभिकथित किया *कि इंडिया अकांउण्ट फोर 4.5 मिलियन ऑफ बर्ल्डस् मिसिग फीमेल ओवर लास्ट 50 ईयरर्स: यूएन रिपोर्ट।* इस रिपोर्ट में में यह भी उल्लेख किया गया है विश्व में लगभग 1.5 मिलियन जन्म लेने से वंचित रह जाती जिसमें कि भारत और चीन दोनों मिलकर 90–95 प्रतिषत की भूमिका निभाते है।[25]

चित्र क्रमांक 2

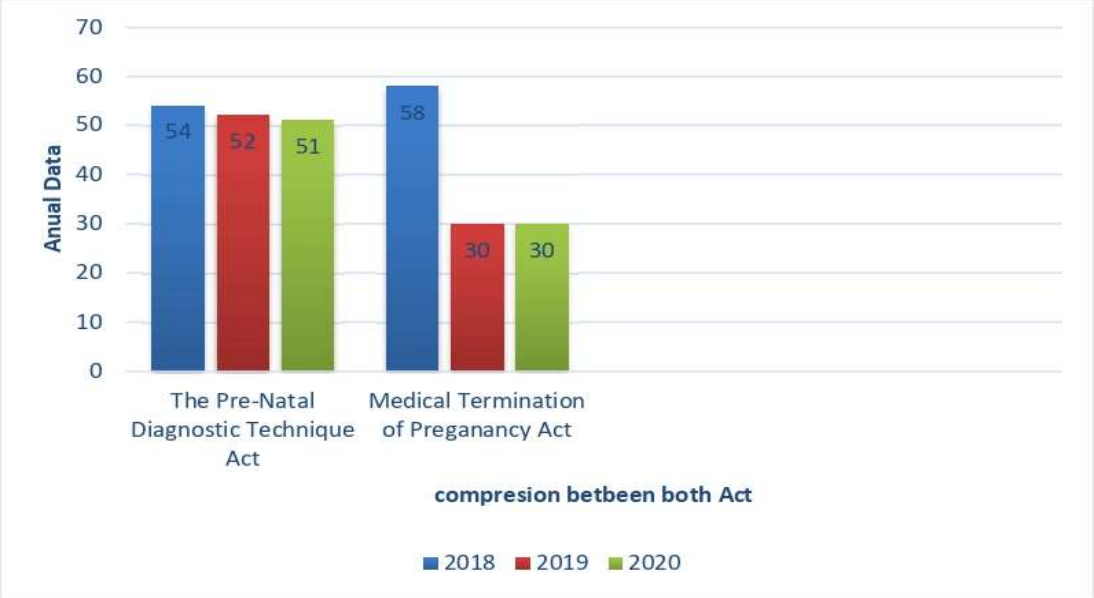

Source-National Crime Record Bureau[26]

न्यायालय के निर्णय

भारत में महिला संरक्षा एवं सुरक्षा के संबंध में न्यायालयों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है जिनमें से कुछ वाद उदाहरण स्वरूप प्रस्तुत है जो कि भ्रूण हत्या को रोकने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं–

Cover Page

INTERNATIONAL JOURNAL OF MULTIDISCIPLINARY EDUCATIONAL RESEARCH
ISSN:2277-7881; IMPACT FACTOR :7.816(2021); IC VALUE:5.16; ISI VALUE:2.286
Peer Reviewed and Refereed Journal: VOLUME:10, ISSUE:9(6), September: 2021
Online Copy of Article Publication Available: www.ijmer.in
Digital certificate of publication: http://ijmer.in/pdf/e-Certificate%20of%20Publication-IJMER.pdf
Scopus Review ID: A2B96D3ACF3FEA2A
Article Received: 4th September
Publication Date:30th September 2021

DOI: http://ijmer.in.doi./2021/10.09.110

एडेम्मा बनाम एम्परर[27] के मामलो न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि भारतीय दण्ड संहिता की धारा 312 के प्रयोजन के लिए स्त्री उस समय गर्भवती मानी जाती है जब वह गर्भ धारण करती है। गर्भवती शब्द से तात्पर्य गर्भधारण करने से यहॉ पर यह आवश्यक नहीं है कि स्त्री को स्पन्दन हो।

बौर्ने का मामला[28] के मामले में अभिनिर्धारित किया गया कि साबित करने का भार अभियोजन पर किया गया जहॉ पर यहा सावित किया जाना हो कि गर्भपात जीवन बचाने के प्रयोजन से नहीं किया गया था।

अखिल कुमार बनाम स्टेट ऑफ एम.पी.[29] के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा अभिनिर्धारित किया गया कि चिकित्सक का कार्य धारा 511 के साथ धारा 312 के अंतर्गत दण्डनीय था, इस मामले एक स्त्री 24 सप्ताह का गर्भ धारण किये हुये थी। गर्भपात करने हेतु चिकित्सक के द्वारा इंजेक्शन गर्भवती स्त्री को लगाया गया जिसके परिणाम स्वरूप दो दिन में उस स्ी की मृत्यु हो गई। यहॉ पर यह उपधारण की गई कि चिकित्सक यह जानता था कि उस दवा का क्या परिणाम होगा।

मोहम्मद शरीफ बनाम स्टेट[30] गुरूगन बनाम स्टेट, इस मामले में अभियुक्त पति के लिए भारतीय दण्ड संहिता की धारा 316 के के अधीन दण्डनीय माना गया जिसमें पति ने पत्नी को पीट–पीट कर मार डाला था। चिकित्सीय साक्ष्य से यह ज्ञात हुआ कि स्त्री 20 सप्ताह से गर्भवती थी।

क्वीन एम्परर बनाम अरूणा बेवा,[31] के वाद में अभिनिर्धारित किया गया कि गर्भपात करने का प्रयात्न और उसके विफल हो जाने पर अभियुक्त भारतीय दण्ड संहिता के साथ–साथ 312 के अधीन दण्डनीय होगा। प्रस्तुत वाद में जहॉ गर्भावस्था की अवधि पूर्ण होने वाली थी। उस समय पर गर्भपात का प्रयत्न किया गया किन्तु शिशु का जन्म हो गया। यहॉ यह अभिनिर्धरित किया गया कि 312 के अधीन दोषसिद्धि उचित नहीं होगी अतः यहॉ पर अभियुक्त भारतीय दण्ड संहिता की धारा 511 के साथ धारा 312 का दोषी होगा।

विजय शर्मा बनाम भारत संघ[32] प्रस्तुत वाद में बम्बई उच्च न्यायालय ने यह प्रतिपादित किया गया कि प्रसवपूर्व निदान– गर्भ धारण पूर्व और तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम, 1994 के प्रावधान न तो मनमाने और न ही अयुक्तियुक्त है, अर्थत् भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 का यह अधिनियम अतिलंघन नहीं करता और यह अधिनियम संवैधानिक हैं।

सुचेता श्रीवास्तव बनाम चण्डीगढ़ प्रशासन[33] के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने प्रतिपादित किया कि एक महिला अपने बच्चें को पैदा करे या न करे यह अनुच्छेद 21 के अंतर्गत उसके प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अंतर्गत आता हैं, यह चुनने का विकल्प उस महिला के पास ही है कि वह उस बच्चे को जन्म दे या न दे। साथ ही साथ यह भी निर्धारित किया कि एक महिला

Cover Page

INTERNATIONAL JOURNAL OF MULTIDISCIPLINARY EDUCATIONAL RESEARCH
ISSN:2277-7881; IMPACT FACTOR :7.816(2021); IC VALUE:5.16; ISI VALUE:2.286
Peer Reviewed and Refereed Journal: VOLUME:10, ISSUE:9(6), September: 2021
Online Copy of Article Publication Available: www.ijmer.in
Digital certificate of publication: http://ijmer.in/pdf/e-Certificate%20of%20Publication-IJMER.pdf
Scopus Review ID: A2B96D3ACF3FEA2A
Article Received: 4th September
Publication Date:30th September 2021

DOI: http://ijmer.in.doi./2021/10.09.110

को एकान्तता के अधिकार और दैहिक अखण्डता का भी आदर किया जाना चाहिए। महिलाओं के अधिकारों पर किसी भी तरह के निर्बंधन नहीं होना चाहिए। प्रस्तुत मामले मे माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गर्भ का चिकित्सकीय समापन अधिनियम के मानसिक मानसिक बीमारी की दशा में गर्भवती स्त्री के संरक्षक उसकी ओर से सहमति देने के लिए सक्षम होते है। किन्तु प्रस्तुत वाद में महिला मानसिक रूप से बुद्धि हीन है जिसके अंतर्गत उसे सहमति स्वयं देने के लिये सक्षम माना गया है।

एयर इण्डिया बनाम नर्मिज मिर्जा[64] के वाद में माननीय सर्वोच्च न्यायालय एयर इंडिया की नियमावली के इस नियम को असंबैधानिक घोषित करते हुए निरस्त कर दिया जिसमें कहा गया था कि गर्भवती होने पर सेवा समाप्त कर दी जाएगी।

निंगमार बनाम चिकैय्या[65] के मामले में कर्नाटक उच्च न्यायालय के द्वारा निर्धारित किया गया कि वादी के पैतृकता निर्धारण हेतु रक्त परीक्षण किये जाने का आदेश उसके मूल अधिकार का उल्लंघन है। रक्त परीक्षण के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता।

उपसंहार –

एक तरफ जहॉ हम विकास के आयामों को छूने की बात करते है वहीं दूसरी ओर हम आज अपनी संकुचित मानसिकता के कारण न केवल अपना वल्कि संपूर्ण विश्व पटल पर इस कारण से गलत तरीके से प्रस्तुत किया जाता हैं जो कि ठीक स्थिति नहीं हैं। गर्भपात और भ्रुण हत्या रोकने के लिए समाज में जागरूकता बढाने की आवश्यकता है। सभी अल्ट्रासाउंड का पंजीकरण किया जाना अनिवार्य होने के साथ प्रत्येक परीक्षण की रिर्पोट पर एक बार कोड हो जो कि संपूर्ण भारत के लिए एक हो। कन्या भ्रूण हत्या से संबंधित कार्यकृमों का प्रभावी तरीके से कार्यानवयन किया जाये। महिलाओं को इस संबंध में जागरूक किया जाये। चिकित्सक जो कि इस व्यवसाय से जुड़े हो उनके विरूद्ध कठोर कार्यवाही की जाये । कन्या भ्रूण हत्या के महत्वपूर्ण कारण है–पितृसत्तात्मक व्यवस्था, पुत्र प्राप्ति का आदर्श, पितृ ऋण से मुक्त होने के लिए, पुत् नामक नरक से रक्षा के लिए पितरों को दुर्दशा से बचाने के लिए पुत्र द्वारा आय अर्जन करना, दहेज प्रथा, लड़कियों के प्रति असुरक्षा की भावना, उच्च सामाजिक प्रस्थिति, एकल बच्चे की नीति। बाल–विवाह, बहु–विवाह, सती प्रथा जैसी कुरीतियों ने नारी की स्थिति को और भी दयनीय बना दिया। वर्तमान समय में भी कन्या भ्रूण हत्या एक श्राप बना हुआ है। कन्या भ्रूण हत्या के कारण लिंगानुपात असामान्य हो गया है जिसके परिणाम सामने आने लगे है।

Cover Page

INTERNATIONAL JOURNAL OF MULTIDISCIPLINARY EDUCATIONAL RESEARCH
ISSN:2277-7881; IMPACT FACTOR :7.816(2021); IC VALUE:5.16; ISI VALUE:2.286
Peer Reviewed and Refereed Journal: VOLUME:10, ISSUE:9(6), September: 2021
Online Copy of Article Publication Available: www.ijmer.in
Digital certificate of publication: http://ijmer.in/pdf/e-Certificate%20of%20Publication-IJMER.pdf
Scopus Review ID: A2B96D3ACF3FEA2A
Article Received: 4th September
Publication Date:30th September 2021

DOI: http://ijmer.in.doi./2021/10.09.110

संदर्भ ग्रंथ सूँची

त्रिपाठी, एस. सी. एवं अरोरा विभा, लॉ रिलेटिग टू वीमन एण्ड चिल्ड्रेन. (चतुर्थ संस्करण) इलाहाबाद : सेन्ट्रल लॉ एजेन्सी पब्लिकेशन्स (2010).
वाजपेई, आशा, चाइल्ड राइट्स इन इंडिया. (द्वितीय संस्करण) नई दिल्ली : आक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस (2003).
रतनलाल तथा धीरजलाल, भारतीय दंड संहिता. (अट्ठाईसवॉ संस्करण) नई दिल्ली : वाधवा एण्ड कंपनी विधि प्रकाशक (2016).
बसु, दुर्गा दास, भारत का संविधान एक परिचय. (पुनः मुदित) इलाहाबाद : सेन्ट्रल लॉ एजेन्सी पब्लिकेशन्स (2007).
बबेल, बसन्तीलाल, भारत का संविधान. (ग्यारहवॉ संस्करण) इलाहाबाद : सेन्ट्रल लॉ पब्लिकेशन्स (2012).
चतुर्वेदी, मुरलीधर, भारत का संविधान. (चौदहवा संस्करण) इलाहाबाद : इलाहाबाद लॉ एजेन्सी पब्लिकेशन्स (2010).
पाण्डेय, जय नारायण, भारत का संविधान. (अड़तालीसवाँ संस्करण) इलाहाबाद : सेन्ट्रल लॉ एजेन्सी (2015).
शर्मा, ब्रजकिशोर, भारत का संविधान एक परिचय. (नौवां संस्करण) नई दिल्ली : पीएचआई लर्निंग प्राईवेट लिमिटेड (2012).

संदर्भ

1 पांडेय डॉ. एस.एन. मेडिकल लॉ डिक्शनरी, हरी लॉ एजेन्सी कानुपर पुनः मुद्रित 2007
2 डॉ. पारिख, मेडिकल ज्यूरिसप्रूडेंस एण्ड टेक्शियोलॉजी, संस्करण 1998 पृष्ठ 364
3 यादव राजाराम, चिकित्सा न्यायशास्त्र एवं विप विज्ञान, तृतीय संस्करण 10 ओरियंट पब्लिशिंग कं इलाहाबाद
4 गर्भ धारण पूर्व और प्रसवपूर्व निदान—तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम, 1994 की धारा 4(2)
5 तदैव का उद्देश्य
6 तदैव धारा 2(झ)
7 तदैव धारा 2(ञ)
8 तदैव धारा 2(ट)
9 गर्भ का चिकित्सकय समापन अधिनियम, 1971 की उद्देशिका।
10 तदैव धारा 3(1)
11 तदैव धारा 3
12 तदैव धारा 5(1)
13 भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 312
14 तदैव धारा 313
15 तदैव धारा 314
16 तदैव धारा 315
17 तदैव धारा 316
18 तदैव धारा 317
19 तदैव धारा 318
20 https://www.indiacode.nic.in/
21 https://www.indiacode.nic.in/
22 https://www.indiacode.nic.in/
23 https://www.census2011.co.in/p/glance.php
24 https://www.theweek.in/news/india/2020/07/01/about-46-crore-females-missing-in-india-due-to-son-preference-unfpa-report.html time 1:17 PM 9/20/21
25 https://theprint.in/india/india-accounts-for-45-8-million-of-worlds-missing-females-over-last-50-years-un-report/451545/
26 http/:ncrb.gov.in/sites/default/file/crime/_in_india
27 (1866) आई.एल.आर. 9 मद्रास 395
28 (1938) 3 आल इंग्लैण्ड रिपोर्टर 615
29 1992 सी. एल. जे. 2029
30 1996 सी. एल. जे. 2826
31 (1873) डब्ल्यू. आर. (क्रि.) 32
32 ए.आई.आर. 2008 कोलकाता 47
33 ए.आई.आर. 2018 एस. सी. 235
34 ए.आई.आर.1981एस.सी.1149
35 ए.आई.आर. 2000 कर्नाटक 50

ISSN 2320-85

INDIAN JOURNAL OF SOCIO LEGAL STUDIES(IJSLS)

An International Bi-annual Refereed/Peer Reviewed Research Journal

VOLUME-IX ISSUE- II 2020

Chief Editor
Dr.Suresh Mani Tripathi
Assistant Professor (Law)
Chhattisgarh Academy of Adminstration,Raipur
Chhattisgarh

INDIAN JOURNAL OF SOCIO LEGAL STUDIES VOLUME-IX ISSUE-II 2020

Indexed in
International Innovative Journal Impact Factor (IIJIF)
&
Directory of Research Journals Indexing (DRJI)

INDIAN JOURNAL OF SOCIO LEGAL STUDIES (IJSLS)

An International Bi-annual Refereed/ Peer Reviewed Research Journal

ISSN 2320 - 8562

IMPACT FACOR : 2.139(IIJIF)

VOLUME IX **ISSUE-II** **2020**

Indexed in
International Innovative Journal Impact Factor(IIJIF)
&
Directory of Research Journals Indexing(DRJI)

Chief Editor
Dr. Suresh Mani Tripathi
Assistant Professor (Law)
Chhattisgarh Academy of Adminstration , Raipur
Chhattisgarh

INDIAN JOURNAL OF SOCIO LEGAL STUDIES (IJSLS)

An International Bi-annual Refereed/ Peer Reviewd Research Journal

ISSN 2320 – 8562

VOLUME IX ISSUE-II (2020) Date of Publication 10-12-2020

1 Section 89 Code of civil procedure and Alternative Dispute resolution Mechanism: An Analysis *Ashutosh Kumar Shukla* (1-9)

2 Tracing the Constitutionality of Delegation of Essential Legislative Functions *Mayuri Gupta* (10-28)

3 Expanded Horizons of "online Dispute Resolution" in the settlement of Dispute in Indian Courts: An Overview *Uma Krishna Awasthi & Dr Rohit P. Shabran* (29-35)

4 Role and Responsibility of National Human Rights Commission of Nepal *Bibek Kumar Paudel* (36- 43)

5 अहिंसा की वैश्विक स्वीकार्यता *डॉ विवेकानंद तिवारी* (44-50)

6 A Business Studies and Systematic Study of Closure -& Establishing Business in India *Sunil Kumar Mishra* (51-70)

7 घरेलू हिंसा अधिनियम के प्रावधानों की उपयोगिता एवं प्रसांगिकता *डॉ राम आ"ीष श्रीवास्तव* (71-75)

8 भारतीय संस्कृति को अपनाकर ही पर्यावरण की रक्षा की जा सकतीं है *डॉ विवेकानंद तिवारी* (76 -78)

9 Hindu Women's Journey: To Get Absolute Coparcenaryship *Gaurav Yadav* (79- 85)

10 Concept of Live-in relationships in India and its Impact on the Institution of Marriage in India *Dr. Subodh K. Singh* (86-98)

11. Judiforcing the norm of obligation in family – A critical analysis of the Maintenance & Welfare of Parents and Senior Citizens Act, 2007. *Dr. P. K. Shukla & Mr. Prasoon Shukla* (99-112)

12 उत्तराखण्ड में जनसंख्या वृद्धि का भौगोलिक प्रतिरूप *डॉ0 सूरत सिंह बलूड़ी* (113-122)

13 Evolving Jurisprudence of Competition Law And Intellectual Property Rights: Analysing The Interface. *Prof. Dr. Mohammad Tariq & Sadaf Ali Khan* (123-135)

14. The Ambit of Freedom of Press in India: a Jurisprudential Analysis *Debabrata Basu* (136-142)

15 Political Defections: The Insight Cause for Abuse of Article 356 Dr. Kamal Jeet Singh & Manu Sharma (143-152)

Indian Journal of Socio Legal Studies . ISSN 2320–8562. Impact Factor(IIJF):2.139
(Vol.- IX. Issue- II. 2020)

घरेलू हिंसा अधिनियम के प्रावधानों की उपयोगिता एवं प्रसांगिकता

डॉ राम आशीष श्रीवास्तव*

सार–संक्षेप

हम भारत के लोगों ने स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् अभिनिर्धारित किया था कि हम समाजवादी, पंथनिरपेक्ष एवं लोकतंत्रात्मक गणराज्य की स्थापना करेगे और साथ ही साथ यह भी निर्धारित किया था कि भारत के प्रत्येक नागरिकों के लिए सामाजिक आर्थिक और राजनैतिक न्याय भारत के संविधान के माध्यम से प्रदान की जायेगी। क्या भारत में महिलाओं को आज हम उस स्थिति में देखते है जिसमें उनको होना चाहिए था। यदि हम इसका उत्तर हॉ में भी दे कि हम महिलाओं को वो दर्जा प्रदान कर चुके है जिसमें उनको होना चाहिए था या उनको प्राप्त हो चुका है। तो यह सर्वथा झूठ होगा क्योकि यदि हम आज भी महिलाओं के अधिकार स्वतंत्रता और समानता की बात करते है तो इसका अर्थ यह है कि आज भी महिलाओं की स्थिति ठीक नहीं है।

इस शोध पत्र का उद्देश्य घरेलू हिंसा निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम के महत्वपूर्ण प्रावधानों की उपयोगिता ज्ञात करना एवं उसकी प्रसांगिकता जानना है, साथ ही साथ हम यहॉ पर यह भी जानने का प्रयत्न करगे कि भारत में घरेलू हिंसा के मामले क्यों बड़ रहे है? यह समस्या न केवल भारत में है बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी व्याप्त है। इस समस्या से निजात पाने के लिए राष्ट्र संघ द्वारा सभी प्रकार के भेदभाव को दूर करने हेतु गठित समिति द्वारा 1989 में अनुशंसा की एवं सभी राष्ट्रों से अनुरोध किया कि वे महिलाओं के प्रति हो रहे सभी प्रकार के अत्याचारों से महिलाओं को संरक्षण प्रदान कर घरेलू या पारिवारिक हिंसा से संरक्षण हेतु कानून का निर्माण करें।

महिलाओं को घरेलू हिंसा से संरक्षण अधिनियम 2005 अगस्त 2005 को संसद में पारित किया गया जिसे दिनांक 13 सितम्बर, 2005 को राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई एवं दिनांक 26 अक्टूबर, 2006 से उक्त अधिनियम लागू किया गया। इस अधिनियम के अंतर्गत शारीरिक या यौन उत्पीड़न करने या उसे धमकी देने, गाली–गलौज करने, मारपीट, जबरन यौन–संबंध बनाने, अश्लील चित्र–फिल्म आदि दिखाने के साथ उसके भावनात्मक और आर्थिक उत्पीड़न को भी घरेलू हिंसा की परिधि में रखा गया है। इसके अलावा दहेज की माँग को लेकर महिला या उसके परिवारजनों को परेशान करने को भी आपराधिक कृत्य माना गया हैं।

मूल–शब्द :– घरेलू हिंसा, नियंत्रण (control) , निवारण (Prevention) अधिनियम (Act), संशोधन (Amendment)।

परिचय :–

वर्तमान समय में महिलाओं को प्रदत्त विधिक संरक्षण कम पड़ने लगे हैं नये कानून का आज महिला संरक्षण के लिए सहारा लेना पड़ रहा हैं जिसका उदाहरण निर्भया घटना के बाद आपराधिक विधि संशोधन अधिनियम 2015 हैं जिसके द्वारा दण्ड–विधान[1] में महिलाओं से संबंधित उपबंधों को बदल दिया गयां भारतीय दण्ड विधान के अंतर्गत महिलाओं से संबंधित कई विधान है जिनके लिए आवश्यकतानुसार बनाया गया था जिनके भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 354, 366, 376, 498 एवं 509 इत्यादि हैं साथ ही साथ दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961, अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम 1956, स्त्रियों का अशिष्ट प्रस्तुतीकरण (प्रतिषेध) अधिनियम 1986, सती (निवारण) अधिनियम 1987, बाल विवाह अवरोध अधिनियम 1929, गर्भ का चिकित्सकीय समापन अधिनियम 1971, जन्म पूर्व निदान कारी तकनीक (दुरूपयोग विनियम और निवारण) अधिनियम, 1992 राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 आदि महत्वपूर्ण हैं भारत के संविधान की प्रस्तावना में अंर्तवलित सामाजिक न्याय, प्रतिष्ठा एवं अवसर की समानता, समस्त मूल अधिकार, नीति के निर्देशक तत्व, एवं मूल कतर्व्य जो कि महिलाओं के सम्मान की रक्षा की बात करते है क्या महिलाओं के लिए सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक न्याय प्रदान कराने में सफल हुआ है ? *मधु किश्वार*

---

* **सहायक प्राध्यापक (विधि) गोविन्द सारंग शासकीय विधि महाविद्यालय भाटापारा–बलौदाबाजार (छ.ग.)**

1 भारतीय दण्ड संहिता 1860, दण्ड प्रकिृया संहिता 1973 एवं भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1882

Cover Page

DOI: http://ijmer.in.doi./2021/10.09.110

INTERNATIONAL JOURNAL OF MULTIDISCIPLINARY EDUCATIONAL RESEARCH
ISSN:2277-7881; IMPACT FACTOR :7.816(2021); IC VALUE:5.16; ISI VALUE:2.286
Peer Reviewed and Refereed Journal: VOLUME:10, ISSUE:9(6), September: 2021
Online Copy of Article Publication Available: www.ijmer.in
Digital certificate of publication: http://ijmer.in/pdf/e-Certificate%20of%20Publication-IJMER.pdf
Scopus Review ID: A2B96D3ACF3FEA2A
Article Received: 4th September
Publication Date:30th September 2021

भारत में भ्रूण हत्या के बढ़ते अपराध की रोकथाम संबंधित विधि–अपराध एवं समाधान

डॉ राम आशीष श्रीवास्तव, सहायक प्राध्यापक (विधि) गोविन्द सारंग शासकीय विधि महाविद्यालय
भाटापारा–बलौदाबाजार (छ.ग.)

सार–संक्षेप

प्रस्तुत शोध पत्र के अंतर्गत के माध्यम से गर्भपात तथा भ्रूण हत्या को रोकने के लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 312 से 315 तक तथा "गर्भ का चिकित्सकीय समापन अधिनियम 1971" एवं पी.एन.डी.टी. अधिनियम 1994 के अंतर्गत दाण्डिक उपबंधों की व्याख्या करना तथा उक्त प्रावधानों भ्रूण हत्या रोकने में भूमिका ज्ञात करना है। भारतीय समाज में नारी के साथ हमेंशा से ही भेदभावपूर्ण व्यवहार किया जाता रहा है। यदि हम प्राचीन काल की बात करे तो नारी की स्थिति सम्मान जनक थी चाहे आध्यात्मिक क्षेत्र हो या फिर धार्मिक स्त्री का स्थान पुरूष से कम नहीं था, किन्तु कालान्तर में यह स्थिति वैदिक काल के पश्चात के कालों में नारी की स्थिति में कमि आती गई स्त्री को केवल भोग विलास की वस्तु समझा जाने लगा । समय के साथ–साथ स्त्रियों को सामाजिक कुरीतियो से आच्छादित कर दिया गया। महिलाओं से संबंधित कुछ कुरीतियॉ है बहु–विवाह, सती प्रथा, बाल–विवाह तथा पर्दा प्रथा इत्यादि प्रमुख रहीं।

मूल शब्द

महिलाओं के विरूद्ध अपराध, महिलाओं से संबंधित अधिनियम, भ्रूण, भ्रूण हत्या, गर्भपात, गर्भ का चिकित्सीय समापन, प्रसव, प्रसव पूर्व निदान एवं तकनीक।

परिचय

"जब तक महिलाओं की स्थिति में सुधार नहीं होगा तब तक विश्व का कल्याण नहीं हो सकता।"

स्वामी विवेकानन्द

सोनोग्राफी, अल्ट्रासाउण्ड एवं एमिनियासेंटेसिस ऐसी खोज है जिसके माध्यम से यह आसानी से पता लगया जा सकता है कि गर्भ स्थित भ्रूण स्त्री लिंग है या पुरूष। यहॉ पर यदि भ्रूण स्त्री लिंग है तो जन्म के पूर्व यह जानकारी प्रापत कर उस भ्रूण की हत्या कर दी जाती। जब यह तकनीक विकसित नहीं थी तो उस समय जन्म के पश्चात कन्या की हत्या कर दी जाती थी। गर्भावस्था की अवधि में गर्भ के पदार्थो का गर्भाशय से बाहर निकाल देना गर्भपात कहलाता है।[1] गर्भपात का अर्थ होता है, गर्भावस्था की अवधि में, परिपक्वता को प्राप्त होने से पूर्व ही, गर्भ के पदार्थो का, गर्भाशय से बाहर निकल जाना।[2] गर्भावस्था का कोई भी समय हो अथवा भ्रूण की चाहे कितनी भी आयु हो, चिकित्सा न्याय–शास्त्र की दृष्टि से माता की स्वीकृति अथवा अस्वीकृति से,

भारत में महिलाओं की स्थिति

- विविध आयाम

संपादक
राम आशीष श्रीवास्तव
मनोज कुमार राव

भारत में महिलाओं की स्थिति : विविध आयाम

© राम आशीष श्रीवास्तव
मनोज कुमार राव

❖ **Publisher :**
Harshwardhan Publication Pvt.Ltd.
Limbaganesh, Dist. Beed (Maharashtra)
Pin-431126, vidyawarta@gmail.com

❖ **Printed by :**
Harshwardhan Publication Pvt.Ltd.
Limbaganesh, Dist. Beed, Pin-431126
www.vidyawarta.com

❖ **Page design & Cover :**
H.P. Office (Source by Google)

❖ **Edition:** April 2022

ISBN 978-93-92584-22-0

❖ **Price : 200/ -**

All Rights Reserved, No part of this publication may be reproduced, or transmitted, in any form or by any means, electronic mechanical, recording, scanning or otherwise, without the prior written permission of the copyright owner. Responsibility for the facts stated, opinions expressed. Conclusions reached and plagiarism, If any, in this volume is entirely that of the Author. The Publisher bears no responsibility for them. What so ever.Disputes, If any shall be decided by the court at **Beed** (Maharashtra, India)

विवरणिका

१. ''छत्तीसगढ़ की नारी विभूतियॉ'' एक ऐतिहासिक अध्ययन
महेन्द्र कुमार सार्वा, रायपुर (छ. ग.) —१२
२. भारतीय नारी के ऐतिहासिक परिपेक्ष्य (छत्तीसगढ़ के विशेष सन्दर्भ में)
शिखा सरकार, दुर्गेश कुमार नेताम, दन्तेवाडा (छ.ग.)—२७
३. महिलाओं के विरूद्ध अपराध
रितु उमाहिया, गुना (म.प्र.) —४०
४. भारतीय परिप्रेक्ष्य में महिलाओं के विरुद्ध अपराध एवं सौदा अभिवाक्
ईश्वर नारायण शर्मा, उज्जैन —५०
५. महिला सशक्तीरण में पंचायती राज की भूमिका
भूपेन्द्र करवन्दे, रायपुर, छत्तीसगढ़ —५७
६. भारत में महिलाओं से सम्बंधित समस्याओं के निवारण हेतु भारतीय कानूनों की भूमिका (एक विश्लेषण)
पंकज कुमार आहिरवार, अम्बिकापुर (छ.ग.) —७५
७. महिलाओं के प्रति कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न एक सार्वभौमिक समस्या का रोकथाम और विधिक उपबंध
मोहन सोलंकी, जगदलपुर बस्तर, छत्तीसगढ़ —८६
८. एकल पालक के रूप में भारतीय महिलाओं की स्थिति
ज्योति पांचाल मिस्त्री, इंदौर —९९
९. आपराधिक विधि संशोधन अधिनियम २०१३ द्वारा महिलाओं को प्रदत्त संरक्षण— भारतीय दण्ड संहिता १८६० के विशेष संदर्भ में
देव प्रकाश दुबे, भाटापारा (छ.ग.) —१११

१०. मातृत्व अवकाश विधिक अध्ययन
नीति निपुनिया सक्सेना, इंदौर —१२१
११. महिलाओं के विरुद्ध अपराध
राम सिंह पटेल, ज्योति प्यासी, छतरपुर म.प्र —१३५
१२. घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण
सपना ताम्रकार, धमतरी (छ.ग.) —१४७
१३. महिला सशक्तिकरण में गैर सरकारी संगठनों की भूमिका
माधवेन्द्र तिवारी, अभिषेक दुबे, अम्बिकापुर (छ.ग.)—१५६
१४. लोक—कल्याणकारी राज्य की उपधारणा और महिलाओं के अधिकार
राम आशीष श्रीवास्तव, भाटापारा—बलौदाबाजार (छ.ग.) —१७०
१५. महिला उद्यमिता एवं ग्रामीण विकास हेतु संचालित योजनाओं का अध्ययन
डॉ. अमित कुमार तिवारी, नगरदा (छ.ग.) —१८०
१६. भारत में महिलाओं के राजनीतिक अधिकार एवं सहभागिता एक विश्लेषणात्मक अध्ययन
एस. रूपेन्द्र राव, सन्त कुमार तिवारी, दीपक कुमार, बिलासपुर (छ.ग.) —१८८
१७. ग्रामीण महिलाओं में राजनैतिक जागरूकता और सशक्तिकरण अवधारणात्मक विवेचन
रीता दीवान, भाटापारा छत्तीसगढ़ —२०२
१८. वैश्वीकरण के युग में स्त्री सशक्तिकरण
ए. एल. ध्रुवंशी, भाटापारा (छ.ग.) —२१४
१९. बच्चों और किशोरियों के मानसिक स्वास्थ्य पर कोविड —१९ और लॉकडाउन का प्रभाव—समीक्षा
दिनेश कुमार लहरी, दन्तेवाड़ा (छ.ग.) —२३१
२०. नारीवादी मनोविज्ञान
मनोज कुमार राव, रिंकी सिंह, गोरखपुर (उ.प्र.) —२४२

14

लोक–कल्याणकारी राज्य की उपधारणा और महिलाओं के अधिकार

राम आशीष श्रीवास्तव
सहायक प्राध्यापक (विधि)
गोविन्द सारंग शासकीय विधि महाविद्यालय,
भाटापारा–बलौदाबाजार (छ.ग.)

"राज्य की नीति के निर्देशक तत्व भारतीय संविधान की अनोखी विशेषताएँ हैं। इनमें एक कल्याण कारी राज्य का लक्ष्य निहित है।"

डॉ. भीमराव आम्बेडकर

प्रस्तुत अध्याय के अंतर्गत महिलाओं को संविधान के राज्य के नीति के निदेशक तत्वों के अंतर्गत प्रदत्त या संरक्षित लोक कल्याण कारी राज्य की उपधारण कहां तक साकार हो सकी है। सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, लोक कल्याण कारी राज्य की उपधारणा भारत के संविधान का मूल लक्ष्य था न केवल भारत के संविधान के अंतर्गत अंतर्वलित राज्य के नीति के निदेशक सिद्धांतों में परिलक्षित होते है बल्कि संपूर्ण संविधान एक सामाजिक आर्थिक एवं राजनैतिक अधिकारों को प्रदाप करने के लिए ऐक ताना वाना प्रदान करता है। यदि हम भारत के संविधान की प्रस्तावना की बात करे तो भारत के नागरिकों के लिए सामाजिक आर्थिक राजनैतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा एवं अवसर की समानता तथा व्यक्ति की गरिमा जैसे महत्वपूर्ण तत्वों

को सम्मिलित किया गया है। मूल अधिकारों के अंतर्गत भी महिलाओं को शसक्त बनाने के लिए समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरूद्ध अधिकार प्रदान किया गया है। भारत के संविधान के अंतर्गत महिलाओं के अधिकारों को संरक्षित करने के लिए महिलाओं के लिए विशेष विधि का निर्माण करने तथा उनके लिए कल्याण के लिए विशेष विधि का उपबंध किया गया है। भारत के संविधान महिलाओं के लिए आरक्षण का उपबंध करता है जो कि महिलाओं की सामूहिग भागीदारी सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। वर्तमान समय में महिलाये न केवल अपने घर का कार्य कर रहीं है वल्कि विभिन्न क्षेत्रों में अपनी सहभागिता अदा कर रही है।

परिचय:–

लोक कल्याण की वृद्धि के लिए राज्य ऐसी सामाजिक व्यवस्था का निर्माण करेगा जिससे सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक न्याय की स्थापना हो सके, धन तथा उत्पादन के साधनों पर सभी का समान अधिकार स्थापित हो सके। भारत के संविधान के अंतर्गत सामाजिक न्याय के सिद्धांतो को स्थापित करने के लिए हमारी संविधान निर्मात्री सभा के द्वारा आयरलैण्ड के संविधान से इन सिद्धांतों को धारित किया गया। भारत के संविधान के अंतर्गत इन सिद्वांतों के लिए बंधनकारी बल नहीं प्रदान किया गया है। भारत के संविधान के अनुच्छेद ३७ के अंतर्गत स्पष्ट किया गया है कि, इस भाग में अंतर्विष्ट उपबंध किसी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं होंगे किंन्तु फिर भी इनमें अधिकथित तत्व देश के शासन में मूलभूत हैं और विधि बनाने में इन तत्वों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। भारत के संविधान के २६वें तथा ४२वें संविधान संशोधनों के माध्यम से भारत के संविधान में एक नए युग की शुरूबात की गई रात्य के निर्देशक तत्वों के महत्व को व्यापकता प्रदान करते हुये उन्हें मूल अधिकारों पर सर्वोच्चता प्रदान कर दी गई। यहॉ पर स्पष्ट करना आवश्यक है कि भारत के संविधान के अंतर्गत अव इस आधार पर न्यायालय में चुनौती

List of Joint Secretaries

S.No.	Ministry Name & Address	Email IDs
1.	Ms. Gayatri Mishra, Joint Secretary (Admin) Department of Health & Family Welfare, Ministry of Health & Family Welfare, Nirman Bhawan, New Delhi-110001.	g.mishra@nic.in
2.	Sh. Lucas L Kamsuan, Joint Secretary (Admin) Ministry of Ports, Shipping and Waterways, Transport Bhawan, 1 Parliament Street, New Delhi-110001.	lucasl.kamsuan@gov.in
3.	Shri Asit Singh Joint Secretary (Admin) Ministry of Youth Affairs & Sports, Shastri Bhawan, New Delhi-110001.	singh.asit@nic.in

नहीं दी जा सकती कि अनुच्छेद १४ के अंतर्गत और १९ में प्रदत्त मूल अधिकारों का अतिक्रमण करती है। राष्ट्र के विकास तथा उन्नति के लिए यह राज्य के नीति के निर्देशक तत्व महत्वपूर्ण है। ग्लेनविन ऑस्टिन ने राज्य के नीति के निर्देशक सिद्धांतों के लिए राज्य की आत्मा कहा है।' राज्य के नीति के निदेशक तत्व महिलाओं के लिए भी कल्याणकारी योजनाओं, नितियों तथा विधियों का निर्माण करने की व्यवस्था करता है जिसके अंतर्गत राज्य महिलाओं के लिए वह सुविधाए प्रदान कर सकती है जिनसे कि वे अछूती रह गई है। उदाहरण के लिए वर्तमान में जननी सुरक्षा योजना चल रही है जिसके अंतर्गत जच्चा एवं बच्चा दोनों के जीवन की रक्षा की जाती है तथा इसके अंतर्गत आर्थिक लाभ की व्यवस्था की गई है ऐसा कर पाना संभव भारत के संविधान के अनुच्छेद ४२ के अंतर्गत हो पाया क्योकि यह अनुच्छेद प्रसूति सहायता का उपबंध करती है।

ऐसा नहीं है कि केवल भारत के संविधान के भाग चार के अंतर्गत महिलाओं के लिए अधिकार प्रदान किये गये है वल्कि संपूर्ण संविधान के अंतर्गत महिलाओं के लिए विशेष उपबंध किये गये है इतना ही नहीं, महिलाओं से संबंधित कानूनों के लिए संवैधानिकता भी भारतीय संविधान के अंतर्गत प्रदान की गई है।

भारत के संविधान के अंतर्गत अनुच्छेद ३६ से लेकर ५१ तक राज्य क नीति के निदेशक तत्वों को प्रदत्त किया गया है जिनमे अनुच्छेद ३६ राज्य की परिभाषा, अनुच्छेद ३७ इस भाग में अंतर्विष्ट तत्वों का लागू होना, अनुच्छेद ३८ राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा, अनुच्छेद ३९ राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्व, अनुच्छेद ३९क समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, अनुच्छेद ४० ग्राम पंचायतों का संगठन, अनुच्छेद ४१ कुछ दषाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार, अनुच्छेद ४२ काम की न्यायसंगत और मानवोचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता का उपबंध, अनुच्छेद ४३ कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी आदि, अनुच्छेद ४३क उद्योगों के प्रबंधन में

कर्मकारों का भाग लेना अनुच्छेद ४३ख सहकारी सोसाइटियों का संवर्धन, अनुच्छेद ४४ नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता, अनुच्छेद ४५ छह वर्ष से कम आयु के बालकों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था देख रेख और षिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि अनुच्छेद ४६ अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य दुर्बल वर्गों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि अनुच्छेद ४७ पोशाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य का सुधार करने का राज्य का कर्तव्य अनुच्छेद ४८ कृषि और पशुपालन का संगठन अनुच्छेद ४८क पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा, अनुच्छेद ४९ राष्ट्रीय महत्व के संस्मारकों, स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण, अनुच्छेद ५० कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण अनुच्छेद ५१ अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि साधारणतया भारत के संविधान के अंतर्गत प्रदत्त राज्य के नीति के निदेशक तत्वों को प्रदान करने में महिला और पुरूशों के बीच किसी भी प्रकार का विभेद नहीं किया गया है, अध्ययन की दृष्टि से महिलाओं को अतिरिक्त रूप से प्रदत्त इन तत्वों को यहॉ पर उल्लेख किया जा रहा है।

लोक कल्याण के लिए सामाजिक व्यवस्थाः—

भारत के संविधान के अनुच्छेद ३८ के अंतर्गत स्पष्ट किया गया है कि राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक वयवस्था बनाएगा जिसके अंतर्गत बतलाया गया है कि, राज्य एसी सामाजिक व्यवस्था की, जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय राष्ट्रीय जीवन की सभी संस्थाओं को अनुप्रमाणित करे, भरसक प्रभावी रूप से स्थापना और संरक्षण करके लोक कल्याण की अधिवृद्धि का प्रयास करेगा। अनुच्छेद क खंड (२) स्पष्ट करता है कि राज्य विशिष्टतया, आय की असमानताओं को कम करने का प्रयास करेगा और न केवल व्यष्टियों क बीच विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले और विभिनन व्यवसायों में लगे हुए लोगों के समूहों के बीच भी प्रतिष्ठा, सुविधाओं और अवसरों की असमानता समाप्त करने का प्रयास करेगा।

अशोक कुमार गुप्ता बनाम भारत संघ, (१९९५) ५ एस. सी. सी. २०१ के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि, भारत के संविधान के अंतर्गत अनुच्छेद २१ सहपठित अनुच्छेद ३८ मूल अधिकार के रूप में सामाजिक न्याय को स्थापित करते है।

राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्वः—

भारत के संविधान के अनुच्छेद ३९ राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्व के संबंध में उपबंध करता है, जिसके अंतर्गत कहा गया है कि राज्य अपनी नीति का विशिष्टतया, इस प्रकार संचालन करेगा कि सुनिश्चित रूप से पुरूष और स्त्री सभी नागरिकों को समान रूप से जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार हो, सामूहिक हित का सर्वोत्तम रूप से साधन, पुरूषों और स्त्रियों दोनों का समान कार्य के लिए समान वेतन तथा पुरूषों और स्त्री कर्मकारों के स्वास्थ्य और शक्ति का तथा बालकों की सुकुमार अवस्था का दुरूप्योग न हो और आर्थिक आवश्यकता से विवश होकर नागरिकों को ऐसे रोजगारों में न जाना पड़े जो उनकी आयु या शक्ति के अनुकूल न हो। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित किया गया कि भारत के संविधान के अनुच्छेद ३९ के अंतर्गत समान कार्य के लिए समान वेतन न केवल एक राज्य की नीति का निदेशक तत्व है बल्कि अनुच्छेद १४ तथा १६ के अंतर्गत मूल अधिकार भी है और जिसका अतिलंघन नहीं किया जा सकता।

पंचायतों में महिला आरंक्षणः—

भारत के संविधान के अनुच्छेद ४० के अंतर्गत ग्राम पंचायतों का संगठन के संबंध में उपबंध किया गया है जिसके अंतर्गत राज्य के लिए ग्राम पंचायतों के संगठन करने के लिए कदम उठाने और उनको ऐसे शक्तियां और प्राधिकार प्रदान करने हेतु निर्देशित किया है जिससे कि वे स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने योग्य बनाने के लिए आवश्यक हो। भारत के संविधान के भाग—९ के अंतर्गत पंचायत के संबंध में एक नया अध्याय जोड़ दिया गया जिसके

अनुच्छेद २४३घ स्थानों का आरक्षण का उपबंध करता है जिसके अंतर्गत कम से कम एक—तिहाई स्थान स्त्रियों के लिए आरक्षित रहेंगे।

काम की न्यायसंगत और मानवोचित दषाओं का तथा प्रसूति सहायता का उपबंधः—

भारत के संविधान के अनुच्छेद ४२ के अंतर्गत यह उपबंध किया गया है कि, काम की न्यायसंगत और मानवोचित दषाओं का तथा प्रसूति सहायता का उपबंध के अंतर्गत स्पष्ट किया गया है कि राज्य काम की नयायसंगत और मानवोचित दशाओं को सुनिश्चित करने के लिए और प्रसूति सहायता के लिए उपबंध करेगा।

स्वतंत्रता उपरांत भारत में काम की न्यायसंगत और मानवोचित दशाओं को सुधारने के लिए कई प्रकार की योजनाओं का निर्माण किया गया साथ ही साथ कई प्रकार के अधिनियमों को पारित किया गया जिनके माध्यम से कर्मकारों की स्थिति में सुधार करने का प्रयत्न किया गया, आज न केवल पुरूष कर्मकार कार्य करते है वरन् महिला कर्मकार भी कार्य करते है। महिला कर्मकार की स्थिति में सुधार हुआ है यदि हम पूर्व की स्थिति को देखे तो महिला कर्मचारियों के लिए आधारभूत आवश्यकताओं का अभाव पाया जाता था। आज भी स्थिति उतनी ठीक नहीं है। जितनी विकास की गति के साथ होनी चाहिए थी।

नागरिकों के लिए समान सिविल संहिताः—

भारत के संविधान के अनुच्छेद ४४ के अंतर्गत नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता का उपबंध किया गया है, जिसके अंतर्गत कहा गया है कि, राज्य, भारत के समस्त राज्यक्षेत्र में नागरिकों के जिए एक समान सिविल संहिता प्राप्त कराने का प्रयास करेगा। **सरला मुदगल बनाम भारत संघ** १९९५ ३ एस. सी. सी. ६३५ के मामले में नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता का निर्माण करने हेतु निर्देशित किया गया। यह भी अभिनिर्धारित किया कि **नूर शाबा खातून बनाम माहम्मद कासिम,** ए. आई. आर. १९९७ एस. सी. ३२८० के मामले मे माननीय उच्चतम न्यायालय क द्वारा

अभिनिर्धारित किया गया कि, एसी महिला जिसका तलाक हो चुका है वह अपने बच्चों के लिए तव तक भरण पोषण प्राप्त कर सकती है जव तक कि वह बच्चे वयस्क न हो जाये। जान बालामत्तम बनाम भारत संघ के मामले में माननीय सर्वोच्च नयायालय के द्वारा पुन: एक वार समान नागरिक सहिता बनाये जाने हेतु संस्तुति की साए ही यह भी दर्शित किया कि एक समान सिविल संहिता विचारों के आधार पर मत भिन्नता को समाप्त कर राष्ट्रीय एकता को मजबूत करने में सहायक होगी।

दुर्बल वर्गो के हितों की अभिवृद्धि:—

भारत के संविधान के अनुच्छेद ४६ के अंतर्गत अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य दुर्बल वर्गो क शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि के संबंध में उपदर्शित किया गया है जहॉ पर यह भी उपबंधित किया गया है कि, राज्य, जनता के दुर्बल वर्गो के, विशिष्टतया, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि करेगा और सामाजिक अनयाय और सभी प्रकार के शोषण से उनकी रंरक्षा करेगा।

स्त्री स्वास्थ्य तथा पोषाहार:—

भारतीय संविधान के अनुच्छेद ४७ पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य का सुधार करने का राज्य का कर्तव्य के संबंध में उपबंध किया गया है साथ ही साथ स्पष्ट किया गया है कि राज्य, अपने लोगों के पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को उंचा करने और लोक स्वास्थ्य के सुधार को अपने प्राथमिक कर्तव्यों में मानेगा और राज्य, विष्टिता, मादक पेयो और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक औशधियों के, औशधीय प्रयोजनों से भिन्न, उपभोग का प्रतिशेध करने का प्रयास करेगा।

उपसंहार:—

भारत में महिलाओं के संर्वागीण विकास के लिए कई प्रकार की योजनाओं को चलाया जा रहा है, जो कि महिलाओं के लिए राज्य के नीति के निदेशक तत्वों के कार्यान्वयन के उदाहरण स्वरूप

प्रस्तुत किया जा रहा है उनके अंतर्गत प्रमुख है महिला—ए—हाट योजना, बेटी पड़ाओं बेटी बचाओ, लाड़ली लक्ष्मी योजना, स्टीप योजना (The Suport to Training and Employment Programme for Women) तथा कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल योजना। भारत सरकार एवं राज्य सरकारों के द्वारा महिलाओं एवं बच्चियों के संबंध में कई योजनाओं को चलाया जा रहा है जिससे कि उनका विकास किया जा सके। यहॉ पर यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि राज्य के द्वारा जो योजनाऍं चलाई जाये वह उसके सही हितग्राही तक उनका लाभ सुनिश्चित हो सके।

यदि हम इस सदी में महिलाओं को सुविधा देने की वात करते है तो इसका तात्पर्य यह हुआ कि इसके पूर्व एसा कार्य नहीं किया गया या फिर उस मात्रा में नहीं किया गया जिस मात्रा में किया जाना चाहिए था। आज हमारे देश में ऐसी नीतियों का निर्माण किया जाता है जो कि राजनीति से प्रेरित होकर अपनी सुविधा के लिए होता है। जवकि ऐसी नीतियों का निर्माण किया जाने चाहिए जो कि महिलाओं के साथ साथ देश के विकास में भी लाभप्रद हो। **केशवानन्द भारती बनाम केरल राज्य,** ए.आई.आर. १९७३ एस. सी. १४६१ के वाद में माननीय सर्वोच्च न्यायालय क द्वारा अभिनिर्धारित किया कि एक समतावादी समाज का बनाना है साथ ही समाज के उत्पीड़न और बंधनों को तोड़ना है यह भारत के संविधान में मूलित मूल उद्देश्यों का लक्ष्य है राज्य के नीति के निदेशक तत्वों का मूल उद्देश्य ऐसे सामाजिक आर्थिक उद्देश्य को नियत करना है जो कि अहिंसात्मक सामाजिक क्रान्ति द्वारा अविलम्ब प्राप्त किये जा सकते हों। भारत के संविधान के अंतर्गत प्रदत्त राज्य के नीति के निर्देशक तत्व महिलाओं के सर्वागीण विकास के लिए तत्पर है और भारत के भीतर जो भी महिलाओं के लिए नीतियों एवं कानून बनाएं जा रहे है वह राज्य के नीति के निर्देशक तत्वों से प्रभावित होती हैं।

भारत का संविधान नीति निर्देशक तत्वों के माध्यम से राज्य का महिलाओं के प्रति भी दायित्व निर्धारित किया गया है कि वह

महिलाओं के सर्वांगीण विकास के लिए योजनाओं को बनाये और विधि में भी महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान किया जाये।

संदर्भ सूची:—

१. अवस्थी, सुधा (२०१६) भारत का संविधान (तृतीय संस्करण), नईदिल्ली : इण्डिया पब्लिषिंग कम्पनी प्रकाशन विभाग।

२. बसु, दुर्गादास (२००७) भारत का संविधान एक परिचय (पुनः मुदित), इलाहाबाद : सेन्ट्रल लॉ एजेन्सी पब्लिकेशन्स।

३. बबेल, बसन्तीलाल (२०१२) भारत का संविधान (ग्यारहवॉ संस्करण), इलाहाबाद : सेन्ट्रल लॉ पब्लिकेशन्स।

४. चतुर्वेदी, मुरलीधर (२०१०) भारत का संविधान (चौदहवा संस्करण), इलाहाबाद : इलाहाबाद लॉ एजेन्सी पब्लिकेशन्स।

५. पाण्डेय, जय नारायण (२०१५) भारत का संविधान (अड़तालीसवाँ संस्करण), इलाहाबादः सेन्ट्रल लॉ एजेन्सी।

६. शर्मा, ब्रजकिषोर (२०१२) भारत का संविधान एक परिचय (नौवां संस्करण), नई दिल्लीः पी एच आईलर्निंग प्राईवेट लिमिटेड।

७. त्रिपाठी, एस.सी., एवं अरोरा विभा (२०१०) लॉ रिलेटिग टू वीमन एण्ड चिल्ड्रेन (चतुर्थ संस्करण), इलाहाबादः सेन्ट्रल लॉ एजेन्सी पब्लिकेशन्स।

८. वाजपेई, आशा (२००३) चाइल्ड राइट्स इन इंडिया (द्वितीय संस्करण), नई दिल्लीः आक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस।

❑❑❑

भाग - III
आर्थिक एवं राजनीतिक परिप्रेक्ष्य

- महिला उद्यमिता एवं ग्रामीण विकास हेतु संचालित योजनाओं का अध्ययन
  अमित कुमार तिवारी
- भारत में महिलाओं के राजनीतिक अधिकार एवं सहभागिता एक विश्लेषणात्मक अध्ययन
  एस. रूपेन्द्र राव, सन्त कुमार तिवारी एवं दीपक कुमार
- ग्रामीण महिलाओं में राजनीतिक जागरूकता और सशक्तिकरण अवधारणात्मक विवेचन
  रीता दीवान
- वैश्वीकरण के युग में स्त्री सशक्तिकरण
  ए. एल. ध्रुवंशी

Manoj K. Rao

Dr. Manoj Kumar Rao is presently an Assistant Professor & Head Department of Psychology in Govt. Danteshwari P.G. College Dantewada Chhattisgarh, India. He received his Bachelor of Arts, Master of Arts and Ph.D from the Dept. of Psychology, DDU Gorakhpur University, Gorakhpur. He got UGC JRF and SRF fellowship during his Ph. D. He has authored one book, 14 research papers published in different renowned journals and 3 book chapters in national publishers. He has also presented a number of research papers in national/international seminars. He is also President in Chhattisgarh State of Bharatiya Counselling Psychology Association. His areas of interest are applied Social Psychology, Clinical Psychology, Guidance and counseling Psychology, Positive Psychology and Research methodology.

Ram Ashish Shrivastava

Dr. Ram Ashish Shrivastava is presently an Assistant Professor Department of Law in Govind Sarang Govt Law College Bhatapara, Chhattisgarh, India. He received his B.A., LL.B. from Dr. Harisingh Gour University Sagar (M.P.) after that LL.M. and Ph.D from Barkatullah University Bhopal Madhaya Pradesh, India. He has got 14 years research and teaching experience and published 14 research publications of national and international repute. He has also presented a number of research papers in national/international seminars. His areas of interest are Panchayati Raj, Human Rights and Constitutional Law.

Harshwardhan Publication Pvt.Ltd.
At.Post.Limbaganesh, Tq.Dist.Beed
Pin-431 126 (Maharashtra)
Mob.09850203295

ISBN : 978-93-92584-

ISSN 2394-5303

Printing® Area

Peer Reviewed International Multilingual Research Journal
Issue-81, Vol-02 October 2021

Editor
Dr.Bapu G.Gholap

ISSN: 2394 5303 | Impact Factor 7.891(IIJIF) | Printing Area® Peer-Reviewed International Journal | October 2021 Issue-81, Vol-02 | 01

आंतरराष्ट्रीय बहुभाषिक शोध पत्रिका

प्रिंटिंग एरिया

Printing Area International Interdisciplinary Research Journal in Marathi, Hindi & English Languages

October 2021, Issue-81, Vol-02

Editor
Dr. Bapu g. Gholap
(M.A.Mar.& Pol.Sci.,B.Ed.Ph.D.NET.)

"Printed by: **Harshwardhan Publication Pvt.Ltd.** Published by **Ghodke Archana Rajendra** & Printed & published at Harshwardhan Publication Pvt.Ltd.,At.Post. Limbaganesh Dist,Beed -431122 (Maharashtra) and Editor **Dr. Gholap Bapu Ganpat.**

Reg.No.U74120 MH2013 PTC 251205
Harshwardhan Publication Pvt.Ltd.
At.Post.Limbaganesh,Tq.Dist.Beed
Pin-431126 (Maharashtra) Cell:07588057695,09850203295
harshwardhanpubli@gmail.com, vidyawarta@gmail.com
All Types Educational & Reference Book Publisher & Distributors / www.vidyawarta.com

Printing Area

www. विद्यावार्ता® .कॉम

YouTube Channel

Vidyawarta is peer reviewed research journal. The review committee & editorial board formed/appointed by Harshwardhan Publication scrutinizes the received research papers and articles. Then the recommended papers and articles are published. The editor or publisher doesn't claim that this is UGC CARE approved journal or recommended by any university. We publish this journal for creating awareness and aptitude regarding educational research and literary criticism.

The Views expressed in the published articles,Research Papers etc. are their writers own. This Journal dose not take any libility regarding appoval/disapproval by any university, institute, academic body and others. The agreement of the Editor, Editorial Board or Publicaton is not necessary. Editors and publishers have the right to convert all texts published in Vidyavarta (e.g. CD / DVD / Video / Audio / Edited book / Abstract Etc. and other formats).

If any judicial matter occurs, the jurisdiction is limited up to Beed (Maharashtra) court only.

Indexed

IMPACT 7.891 iijif FACTOR

Govt. of India,
Trade Marks Registry
Regd. No. 3418002

http://www.printingarea.blogspot.com

Editorial Board & review Committee

- **Chief Editor**
Dr Gholap Bapu Ganpat
Parli_Vaijnath,Dist. Beed Pin-431515 (Maharashtra)
9850203295, 7588057695
vidyawarta@gmail.com

- **M.Saleem**
saien Ghulam street
Fatehgarh Sialkot city
Pakistan. Phone Nr. 0092 3007134022
saleem.1938@hotmail.com

- **Dr. Momin Mujtaba**
Faculty Member,Dept. of Business Admin.
Prince Salman Bin AbdulAziz University
Ministry of Higher Education,Kingdom of Saudi Arabia, Tel No.: +966-17862370 Extn: 1122

- **N.Nagendrakumar**
115/478, Campus road,
Konesapuri, Nilaveli (Postal code-31010),
Trincomalee, Sri Lanka
nagendrakumarn@esn.ac.lk

- **Dr. Vikas Sudam Padalkar**
vikaspadalkar@gmail.com
Cell. +91 98908 13228 (India),
+ 81 90969 83228 (Japan)

- **Dr. Wankhede Umakant**
Navgan College, Parli –v Dist. Beed
Pin 431126 Maharashtra
Mobi.9421336952
umakantwankhede@rediffmail.com

- **Dr. Basantani Vinita**
B-2/8, Sukhwani Paradise,
Behind Hotel Ganesh, Pimpri,
Pune-17 Cell: 09405429484,

- **Dr. Bharat Upadhya**
Post.Warnanagar, Tq.Panhala,
Dist.Kolhapur-4316113
Mobi.7588266926

- **Jubraj Khamari**
AT/PO - Sarkanda, P.S./Block - Sohela
Via/Dist. - Bargarh, Pin - 768028 (Orissa)
Mob. No. – 09827983437
jubrajkhamari@gmail.com

- **Krupa Sophia Livingston**
289/55, Vasanthapuram,
ICMC, Chinna Thirupathy Post,
Salem- 636008 +919655554464
davidswbts@gmail.com

- **Dr. Wagh Anand**
Dept. Of Lifelong Learning and Extension
Dr B A M U Aurangabad pin 431004
Mobi. 9545778985
wagh.anand915@gmail.com

- **Dr. Ambhore Shankar**
Jalna,Maharashtra
shankar296@gmail.com
Mobi.9422215556

- **Dr. Ashish Kumar**
A-2/157, Sector-3, Rohini, Delhi -110085
*Ph.no: 0*9811055359

- **Prof. Surwade Yogesh**
Dept. Of Library, Dr B A M U Aurangabad , Pin 431004
Cell No: +919860768499
yogeshps85@gmail.com

- **Dr.Deepak Vishwasrao Patil,**
At.Post.Saundhane, Near
Kalavishwa Computer, Tq.Dist.Dhule-424002.
Mobi. 9923811609
patildipak22583@gmail.com

- **Dr.Vidhya.M.Patwari**
Vanshree Nagar,Behind Hotel
Dawat, Mantha Road, Jalna-431203
Mobi.9422479302
patwarivm@rediffmail.com

- **Dr.Varma Anju**
Assistant Professor, Dept. of Education,
Sikkim University 6th Mile, Samdur Tadong-737102
GANGTOK - Sikkim, (M.8001605914)
anjuverma2009@rediffmail.com

- **Dr.Pramod Bhagwan Padwal**
Associate Professor,Department of Marathi
Banaras Hindu University,
Varanasi-221005.(Uttar Pradesh)
Mobi. 9450533466
pbpadwal@gmail.com

INDEX

01) A Study on The Level of English Vocabulary of Male and Female Teachers in ...
SURENDAR BHUKYA, Hyderabad ||10

02) AN ANALYTICAL STUDY OF SAVING AND SPENDING HABITS OF COLLEGE STUDENTS
Dr. Vijay Narayan Gaikwad, Pune ||13

03) Continuing Education: Lifelong Education
Dr. Yatendra Pal Gaur, Aligarh ||17

04) Economic Crisis of folk Performing Art in times of Global Pandemic
Dr. Bikash Kumar Ghosh, Kharagpur, west Bengal ||20

05) ROLE OF SHG'S IN WOMEN EMPOWERMENT THROUGH MICRO-ENTERPRISES - ...
Kavita Rana & Dr. Roy C . Mathew, Kottayam, Kerala ||25

06) DIFFERENT WOMEN, DIFFERENT WORLDS, SAME DILEMMA: ATTIAHOSAIN AND ...
Dr. Shazia Siddiqui Khan, Lucknow ||31

07) Contextual Key Factor in Language Learning
DR. DEEPAK MORE, Dist. Latur ||35

08) A BRIEF INTRODUCTION TO ARABIC ESSAY AS A LITERARY GENRE
Dr. Md. Nasir Uddin Mondal ||37

09) SOCIO-CULTURALN INFLUENCE ON REMEMBERING
Nazish Bano, Deoria, Uttar Pradesh, INDIA ||42

10) Rich Like US – Attitude as Narrative Strategy
Dr.Balasaheb Gangadhar Pawar, Dist.Nandurbar ||47

11) CHALLENGES OF MODERNISM AND POSTMODERNISM: PREMISES, PROBLEMS ...
Dr.Pratibha Sharma, Delhi ||51

12) Socioeconomic status of Rural Families in UP: An empirical study of ...
Dr. Harnam Singh ||59

13) Toward a Political Sociology Dispossession: Explaining Opposition to ...
Dr. Navin Kumar Singh, District-Darbhanga (Bihar) ||65

http://www.printingarea.blogspot.com
www.vidyawarta.com/03

14) THE IMPACT OF COVID-19 ON ORGAN TRANSPLANTATION
Shabnam A. Virani, Satara ||71

15) Morphometric Analysis Of Selected Drainage Area In The Auranga Basin, ...
Dr. Ramchet Singh Yadav, Gorakhpur (U.P.) ||74

16) शाश्वत विकासासाठी भारताचे प्रयत्न: एक अभ्यास
प्रा.डॉ. प्रकाश जंगले, ठाणे ||82

17) बँकामधील नवतंत्रज्ञान
डॉ. उदय मारुती लोखंडे, सातारा ||85

18) मागासक्षेत्र अनुदान निधी योजनेअंतर्गत दिलेल्या प्रशिक्षणानंतर ग्रामपंचायत ...
गोरखनाथ पाटीलबा नजन, जि. औरंगाबाद ||88

19) जळगाव जिल्ह्यातील केळी उत्पादनाचे अर्थशास्त्र– एक विशेष अभ्यास
डॉ. सुरेश ढाके, जि.जळगाव ||91

20) सातपुड्यातील आदिवासींची सामाजीक रचना (१८१८ ते १९४७)
प्रा.डॉ. केशव आत्माराम पावरा, जि. नंदुरबार ||97

21) चंद्रपूर जिल्ह्यातील प्राथमिक शाळेतील शिक्षकांच्या संगणक साक्षरतेचा व संगणक ...
डॉ. एस. एम. सातपुते, चंद्रपूर (म.रा.) ||101

22) रामटेक नगरपालिकेच्या महसूली उत्पन्न व भांडवली उत्पन्नाचे विश्लेषणात्मक ...
डॉ. मनोज एम. तेलरांधे, जि. नागपूर ||104

23) महिला सक्षमीकरणात बचतगटाची भूमिका
डॉ. मिना एम.वडगुळे, कन्नड ||108

24) भारत में आन्तरिक जल परिवहन के विकास की आवश्यकता और सम्भावनाएँ
डॉ० खेदू राम यादव, महराजगंज ||111

25) जनजातियों के विकास में संवैधानिक प्रावधान: एक विश्लेषणात्मक अध्ययन
श्रीमती प्रीति द्विवेदी, कोरबा, छत्तीसगढ़ (भारत) ||113

26) भारतीय संस्कृति एक परिचय,स्रोत,महत्व
गजदीप कुमार आर्या, बागेश्वर (उत्तराखण्ड) ||119

www.vidyawarta.com/03 | http://www.printingarea.blogspot.com

27) शिक्षा आयोग एवं नीतियों में शिक्षक का स्थान
अमिता कुशवाहा, जिला बरेली(उ०प्र०) ||125

28) रामधारी सिंह 'दिनकर' के काव्य में राष्ट्रीय चेतना : एक अनुशीलन
प्रा.खिंडीवाले हणमंतराव मृणाजी & प्र–प्राचार्य डॉ.कॅप्टन अनिता शिंदे ||130

29) गजानन माधव मुक्तिबोध की काव्य–चेतना
डॉ० तीर्थनाथ मिश्र, दरभंगा ||134

30) हिन्दू और इस्लामी संस्कृतियों का सम्मिश्रण एवं उसका प्रभाव
डॉ० दर्शन मेहता & डॉ० जानकी मठपाल, नैनीताल ||138

31) वैश्विक महामारी (कोविड–१९) और आत्मनिर्भर भारत अभियान
डॉ. सुनील कुमार मौर्य, (यू.एस, नगर), उत्तराखण्ड ||141

32) आतंकवाद के मुख्य मानदण्ड एवं इसका एक विश्लेषणात्मक अध्ययन
डॉ० नीरज कुमार & डॉ० अनिल कुमार, मेरठ (उत्तर प्रदेश) ||145

33) सुरक्षित और पर्याप्त पेयजल
देवेन्द्र कुमार पाठक, महराजगंज, उ० प्र० ||149

34) गाँधीवादी दर्शन और अनुप्रयोग(Gandhian Philosophy and Practice)
चन्द्र मोहन पोद्दार, दरभंगा ||151

35) सतनाम सम्प्रदाय का उद्‌भव विकास
डॉ.(श्रीमती) गायत्री साहू ||153

36) भारती के काव्य में भाषिक सौंदर्य
डॉ. ओम प्रकाश सैनी, कैथल, हरियाणा ||156

37) आज़ादी का जश्न पीड़ा की एवज़ में('मार्फत दिल्ली' के विशेष संदर्भ में)
पूजा शर्मा, Jammu ||161

38) स्वतंत्रता–समानता और न्याय भारत के संविधान की उद्देशिका के दृष्टिकोण से ...
डॉ राम आशीष श्रीवास्तव, बलौदाबाजार (छ.ग.) ||164

39) जूनियर हाईस्कूल कक्षाओं में अध्ययनरत मूक बाधिर एवं सामान्य विद्यार्थियों के ...
रेनू सिंह & डॉ० सत्यवीर सिंह चौधरी, हापुड़ (उ०प्र०) ||171

www.vidyawarta.com/03 | http://www.printingarea.blogspot.com

40) श्रीमद् भागवत पुराण में वाणी का विश्लेषण
डॉ० सपना सिंह & द्रौपदी देवी, गोरखपुर (उ०प्र०) भारत ||177

41) कथाकार शेखर जोशी के कथा–साहित्य में संवेदना
डा० विक्रम सिंह, पिथौरागढ़ ||179

42) आंगनबाड़ी केन्द्र में कार्यरत महिलाओं की प्रस्थिति, भूमिका एवं कार्य संतुष्टि
Dr.Smita Kumari ||188

43) लातूर जिल्हयातील लिंग गुणोत्तराचा चिकित्सक अभ्यास
रजनीकांत तुकाराम करडे ||193

www.vidyawarta.com/03 | http://www.printingarea.blogspot.com

"वह लोग।
यह लोग।
वह मुल्क।
यह मुल्क।
कितना फर्क।
कितनी दूरी।
कहां है नजदीकी।"[१]

अपना देश, घर, परिवार, रिश्तेदार छोड़ आए यह लोग अर्थात शरणार्थी बात–बात पर मरने–मारने को तैयार रहते। "विस्थापित/रिफ्यूजी। बचे–खुचे कुटुम्ब कबीलों के साथ नए वतन की सड़कों की धूल छान रहे हैं।"[२] काश यह बंटवारा नहीं हुआ होता तो देश की जनता को इस पीड़ा से नहीं गुज़रना पड़ता।

अतः कहा जा सकता है कि कृष्णा जी ने 'मार्फत दिल्ली' में आजादी के बाद के समय की सामाजिक, राजनीतिक तथा साहित्यिक छवियों को अंकित किया है। यह वह समय था जब भारतवासी लम्बे समय से देश के आज़ाद होने का इन्तजार कर रहे थे और जब देश आज़ाद हुआ तो खुशी के साथ–साथ एक भयानक पीड़ा भी देशवासियों के हिस्से आई। इस पीड़ा से देश अभी तक उभर नहीं पाया है। आज से सात दशक पहले जो साम्प्रदायिकता के बीज बोए गए थे। उसका परिणाम देश आज भी समाज में हो रहे हिन्दु–मुस्लिम वैमनस्य तथा दंगों के रूप में भुगत रहा है।

संदर्भ

१. कृष्णा सोबती,मार्फत दिल्ली, नई दिल्ली : राजकमल प्रकाशन, २०१८, पृ. १२
२. वही, पृ. १२–१३
३. वही, पृ. ३७
४. वही, पृ. ३७–३८
५. वही, पृ. ३८–३९
६. वही, पृ. ५८
७. वही, पृ. ६१
८. वही, पृ. ३८
९. वही, पृ. ४७
१०. वही, पृ. ३७
११. वही, पृ. ५८
१२. वही, पृ. ५८

38

स्वतंत्रता–समानता और न्याय भारत के संविधान की उद्देशिका के दृष्टिकोण से : वर्तमान परिदृश्य

डॉ राम आशीष श्रीवास्तव
सहायक प्राध्यापक (विधि),
गोविन्द सारंग शासकीय विधि महाविद्यालय
भाटापारा–बलौदाबाजार (छ.ग.)

सार–संक्षेप

प्रस्तुत शोध पत्र का उद्देश्य यह जानना है कि भारत के संविधान की उद्देशिका में मूलित सिद्धांतों के अनुरूप भारत के नागरिको स्वतंत्रता समानता और न्याय सुलभ हो रहा है या नहीं? माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समय–समय पर दिये गये निर्णयों में संविधान की उद्देशिका के सिद्धांतों को कहाँ तक सम्मिलित कियागया है? भारत में कार्यपालिका के द्वारा किस प्रकार से नीति निमाण किया जारहा है जो कि लोककल्याण के लिए आवश्यक है। विधायिका के द्वारा विधि निर्माण में किस प्रकार से उद्देशिका के अनुरूप विधि निर्माण कार्य किया जा रहा है? भारत के संविधान की उद्देशिका भारत के संविधान के दर्पण के रूप में काम करती है। यदि हम भारत के संविधान की आत्मा को जानना चाहते है तो हमें भारत कि सविधान की प्रस्तावना का सहारा लेना पडता है। भारत के संविधान की प्रस्तावना भारत के संविधान का एक अभिन्न अंग है यदि इसमें ऐसा परिवर्तन या संशोधन किया जाता है जो कि भारत के संविधान के मूलभूत ढाँचे के विरूद्ध है, तो ऐसे संशोधन को मान्य नहीं किया जा सकता।

मूल शब्दः संविधान, उद्देशिका (प्रस्तावना), मूल अधिकार, राज्यके नीति के निदेशक तत्व, स्वतंत्रता, समानताएवं न्याय।

परिचय

भारत के संविधान को बनाने में संविधान निर्मात्री सभा के लिए २ वर्ष ११ माह १८ दिन का समय लगा

संविधान निर्माण से पूर्व संविधान निर्मात्री सभा के विभिन्न सदस्यों ने समितियों के माध्यम से लगभग ६० देषो का भ्रमण कर वहाँ की संवैधानिक व्यवस्था का अध्ययन किया और फिर इस संविधान का निर्माण किया गया। भारत के संविधान के निर्माण में डॉ. भीमराव आंबेडकर जी का महत्वपूर्ण योगदान रहा वे संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। आज हम जिस सामाजिक न्याय की चर्चा करते है वे सभी संविधान निर्माताओं के द्वारा संविधान में मूलित किये गये है। संविधान के भाग चार के अंतर्गत लोक कल्याण की उपधारणा का उपबंध किया गया है जो कि बहुजन हिताएँ बहुजन सुखाय की परिकल्पना पर आधारित है। भारत के संविधान की प्रस्तावना संविधान निर्माताओं के आदर्षों, आकांक्षाओं और उनके मंतव्यों को जानने का साधन है। स्टोरी महोदय के अनुसार संविधान की उद्देषिका एक कुंजी के रूप में संविधान निर्माताओं के मस्तिश्क को खोलने का काम करती है इससे यह सहायता मिलती है कि संविधान निर्माताओं की मंषा क्या थी? विधि व्यवस्था की यदि स्थापना करनी है तो लोगों की स्वतंत्रता पर हमेंषा निर्बंधन अधिरोपित करने पडतें है यह एक दूसरे के विपरीत चलते है। भारत में स्वतंत्रता का अधिकार पूर्ण अधिकार नहीं है यह एक निर्बंधित अधिकार है। भारत के संविधान के अंतर्गत विचार, अभिव्यक्ति विष्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता की बात की गई है। भारत के संविधान के अंतर्गत प्रस्तावना में प्रतिष्ठा एवं अवसर की समता प्रदत्त की गई है।

भारत के संविधान की उद्देशिका

भारत के संविधान की प्रस्तावना मूल रूप में इस प्रकार से है

हम भारत भारत के लोग, भारत को **एक संपूर्ण प्रभुत्वसंपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक** गणराजय बनाने के लिए,
तथा उसके समस्त नागरिकों को:
समाजिक, आर्थिक न्याय और राजनीतिक **न्याय,**
विचार, अभिव्यक्ति, विष्वास, धर्म
और उपासना की **स्वतंत्रता,**
प्रतिष्ठा और अवसर की **समता**
प्राप्त कराने के लिए,
तथा उन सब में
व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता
और अखंडता सुनिश्चित करने वाली **बंधुता**
बढ़ाने के लिए
दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में
आज तारीख २६ नवंबर, १९४९ ई. (मिति मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी, संवत् दो हजार छह विक्रमी) को
एतद्द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं।

१३ दिसम्बर को उद्देश्य संकल्प संविधान निर्मात्री सभा में प्रस्तावित किया गया । भारत के संविधान की मूल आकांक्षाओं को उद्देशिका के रूप में परिणित किया गया। भारत के संविधान की प्रस्तावना के संबंध में अर्नेस्ट बार्कर द्वारा व्यक्त किया गया कि, "जब मैं उसे पढ़ता हूं तो मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि मेरी इस पुस्तक में जो तर्क दिए गए हैं उन्हें उद्देशिका संक्षिप्त और सारभूत रूप में प्रस्तुत करती है। मैं उसे उद्धृत करना चाहता हूं क्योंकि मुझे गर्व है कि भारत के लोग अपना स्वतंत्र जीवन प्रारंभ करते समय उस राजनीतिक परंपरा के सिद्धांतों को मान्यता दे रहे हैं जिन्हें हम पश्चिम की परंपरा कहते हैं किंतु जो पश्चिम तक ही सीमित नहीं है।"

भारत के संविधान की प्रस्तावना के अंतर्गत दो महत्वपूर्ण बातों पर जोर दिया गया है जिसमें पहली बात यह कि हम भारत के लोग भारत के संविधान को कैसा बनाना चाहते है? जिसका उत्तर प्रस्तावना में मिलता है कि हम भारत के संविधान के लिए सम्पूर्ण प्रभुत्वसंपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाना चाहते है। दूसरी बात यह कि हम भारत के संविधान के माध्यम से भारत नागरिको के लिए क्या प्रदान करना चाहते है? किसी भी देश का विकास वहाँ के लोगों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति पर निर्भर करता है इसी कारण से प्रत्येक राज्य के लिय यह सुनिश्चित करना आवश्यक हो जाता है कि क्या उसके नागरिको के लिए न्याय, स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुता प्रदान की गई है या नहीं। भारत के संविधान की प्रस्तावना के अंतर्गत विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता प्रदत्त की गई है। साथ ही प्रतिष्ठा एवं अवसर की समानता प्रदान की गई है।

उद्देश्य

प्रस्तुत शोध पत्र के उद्देश्य निम्नांकित है–

यह ज्ञात करना कि, भारत के संविधान के अंतर्गत उद्देशिका में अंर्तवलित सिद्धांतों को प्राप्त करने में हम कहाँ तक सफल हो सके है।

यह जानना कि, भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त उद्देशिका के अंतर्गत सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय हम कहाँ तक प्राप्त कर सके है?

यह ज्ञात करना कि, भारत के संविधान की उद्देशिका के मानको के अनुरूप संविधान के अंतर्गत नीतियों का निर्माण किया जा रहा है?

भारत के संविधान के अंतर्गत स्थापित सामाजिक न्याय एवं लोककल्याणकारी राज्य की स्थापना क्या वर्तमान समय में हो सकी है।

साहित्य का पुनर्विलोकन

भारत के संविधान की उद्देशिका विषय पर ज्यादा शोध कार्य नहीं किया गया है। उद्देशिका पर भारत के संविधान के अंतर्गत एक अध्याय के अंतर्गत अध्ययन प्राप्त होते है साथ कुछ पुस्तकों के अंतर्गत इस विषय पर अध्ययन प्राप्त होते है। प्रस्तुत शोध पत्र के दौरान जिन साहित्य क अध्ययन किया गया का पुनर्विलोकन निम्न लिखित है–

अवस्थी सुधा (तृतीय संस्करण २०१६) प्रस्तुत पुस्तक भारत का संविधान को २२ भागों में विभक्त किया गया है। भाग एक के पूर्व ही भारत के संविधान की उद्देशिका की व्याख्या की गई है। जिसके अंतर्गत भारत के संविधान की उद्देशिका का वर्णन किया गया है जो कि उद्देशिका का मूल रूप है। उद्देशिका के अंतर्गत प्रस्तुत पुस्तक में धर्मनिरपेक्षता, धर्म निरपेक्षता इनका आधार, सामाजिक प्रजातंत्र का अर्थ, सामाजिक न्याय इत्यादि पद का वर्णन किया गया है। चूकि यह शोध पत्र भारत के संविधान की उद्देशिका पर पर आधारित है जिस कारण प्रस्तुत पुस्तक का इस खंड से सीधा संबंध है। पुस्तक के इस खंड के भाग ५ के अंतर्गत सामाजिक न्याय की व्याख्या की गई है जो कि प्रस्तुत पुस्तक सामाजिक न्याय की अवधारण का स्पष्ट विवरण मिलता है जिसका कि न्यायालय के निर्णय के साथ व्याख्या की गई है।

(बसु दुर्गा दासपुनः मुदित २००७) प्रस्तुत पुस्तक भारत का संविधान–एक परिचय जिसके अध्याय ३ संविधान का दर्शन के अंतर्गत भरत के संविधान की उद्देशिका का विस्तृत वर्णन किया गया है। जिसमें उद्देश्य–संकल्प के साथ संपूर्ण प्रस्तावना के आवश्यक तत्वों को पृथक–पृथक रूप में व्याख्या की गई है।

(बाबेल बसन्तीलाल ग्यारहवाँ संस्करण २०१२)

भारत का संविधान पुस्तक के अंतर्गत भारत के संविधान की उद्देशिका का वर्णन मिलता है। पुस्तक के अध्याय ३ जिसका शीर्षक संविधान की प्रस्तावना है के अंतर्गत उद्देशिका के आवश्यक तत्वों का वर्णन न्यायालय के विभिन्न महत्वपूर्ण वादों के माध्यम से किया गया है।

(चतुर्वेदी मुरलीधर चौदहवा संस्करण २०१०)

भाग एक के पूर्व ही भारत के संविधान की उद्देशिका की व्याख्या की गई है। जिसके अंतर्गत भारत के संविधान की उद्देशिका का वर्णन किया गया है जो कि उद्देशिका का मूल रूप है साथ ही साथ उद्देशिका में निविष्ट संकल्प, भारत राष्ट्र की रचना का संकल्प, नागरिक अधिकारो को सुलभ कराने का संकल्प, संविधान के अंगीकरण की तारीख, संविधान के निर्वचन में उद्देशिका का महत्व तथा क्या उद्देशिका संविधान का अंग है का विवरण दिया गया है।

(पाण्डेय जय नारायण अड़तालीसवाँ संस्करण२०१५)

पुस्तक के अध्याय ४ के अंतर्गत संविधान की उद्देशिका शीर्षक के अंतर्गत– उद्देशिका का संविधान के निर्वचन में महत्व, उद्देशिका से लाभ, संविधान का उद्देश्य, उद्देशिका में संशोधन की विस्तृत व्याख्या इस पुस्तक के अंतर्गत की गई है।

(शर्मा ब्रजकिशोर नौवां संस्करण २०१२)

भारत का संविधान एक परिचय्य पुस्तक के अध्याय ४ के अंतर्गत संविधान की उद्देशिका शीर्षक के अंतर्गत संविधान की उद्देशिका के विभिन्न पहलुओं की व्याख्या की गई है।

(लियाव ओरगेड २०१०)

The Preamble in Constitutional interpretation शोध पत्र के अंतर्गत किये गये अध्ययन के अंतर्गत अमेरिकी संविधान के सामाजिक आर्थिक पहलुओं का अध्ययन किया गया है। उद्शिका के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन प्रस्तुत किया गया।

शोध विधि

प्रस्तुत शोध पत्र के अंतर्गतवर्णात्मक विधि का प्रयोग किया गया है। उपस्थित विधियों, न्यायनिर्णयों के अंतर्गत एवं सरकार की नितियों के उपलब्ध द्वितियक श्रोतो के माध्यम से अध्ययन किया गया है। साथ ही शोध पत्र के अंतर्गत अधिनियमों, पूर्वनिर्णयों एवं शासकीय योजनाओं एवं प्रकाशित शासकीय प्रतिवेदनों कातुलनात्मक अध्ययन किया गया है।

विश्लेषण और निर्वचन

प्रस्तुत आकडों, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों, विभिन्न अधिनियमों तथा भारत के संविधान के विभिन्न अनुच्छेदों के माध्यम से यहाँ पर जानने का प्रयास करेगे कि भारत के संविधान की उद्देशिका के अंर्तनिहित स्वतंत्रता समानता और न्याय कहाँ तक

हम भारत के लोगो तक पहँच सकी है।

चित्र क्रमांक १

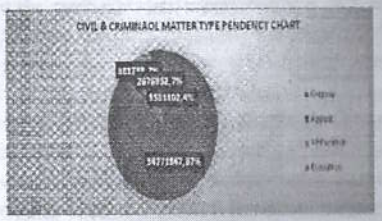

Source- National Judicial Data Grid[१]

चित्र क्रमांक २

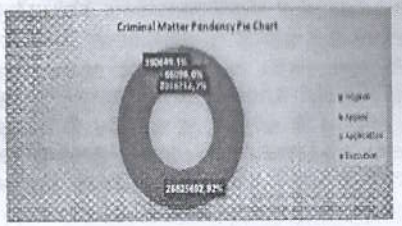

Source- National Judicial Data Grid[३]

चित्र क्रमांक ३

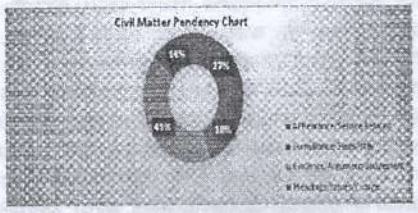

Source- National Judicial Data Grid [४]

चित्र क्रमांक ४

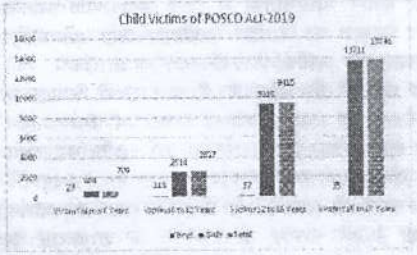

Source-National Crime Record Bureau[५]

भारत के संविधान एवं विभिन्न अधिनियमों के अंर्तगत स्वतंत्रता, समानता एवं सामाजिक न्याय प्रदान करने के लिए उदाहरण स्वरूप कुछ अधिनियमों का उल्लेख किया गया है जो की प्रस्ताना के अंतर्गत निहित सिद्धांतों से परिपूर्ण है–

दहेज प्रतिषेध अधिनियम १९६१, अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम १९५६, स्त्रियों का अशिष्ट प्रस्तुतीकरण (प्रतिषेध) अधिनियम १९८६, सती (निवारण) अधिनियम १९८७, बाल विवाह, अवरोध अधिनियम १९२९,गर्भ का चिकित्सीय समापत अधिकनियम १९७१, चलचित्र अधिनियम १९५२, विशेश विवाह अधिनियम १९५४, हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम १९५६, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम २००५, भारतीय कारखाना अधिनियम १९४८, भारतीय खान अधिनियम १९५२, मोटर परिवहन कार्मकार अधिनियम, १९६१, बीड़ी तथा सिगार कर्मकार (नियोजन की शर्तें अधिनियम) १९६१, बालश्रम (प्रतिषेध और विनियम) अधिनियम, १९८६।

भारत के संविधान की उद्देशिका के द्वारा प्रदत्त तत्वों का दर्शन भारत के संविधान के भाग ४ राज्य के नीति के निदेशक तत्वों के अंतर्गत होता है जिसके अंतर्गत समाजिक औरआर्थिक न्याय प्राप्त करने के सिद्धांत, समाजिक सुरक्षा, समाज कल्याण आदि से संबंधित है। राज्य के नीति के निदेशक तत्वों के अंतर्गत जिन तत्वों को सम्मिलित किया गया है उनके अंतर्गत कुछ उदाहरण स्वरूप दिये जा रहे है, राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिये सामाजिक व्यवस्था बनायेगा[६], राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्व[७] जिसमें पुरूष और स्त्री सभी नागरिकों को समान रूप से जीविका के पर्याप्त साधन, समुदाय का भौतिक सम्पदा का स्वामित्व, धन और उत्पाद साधनों का समान वितरण, समान कार्य के लिए समान वेतन, कर्मकारों के स्वास्थ्य और शक्ति को ध्यान में रखते हुए रोजगार, बालको को स्वतंत्र और गरिमामय वातावरण में स्वास्थ विकास के अवसर और सुविधायें दी जाये और बालकों और अल्पवय व्यक्तियों की शोषण से तथा नैतिक और आर्थिक परित्याग से रक्षा की जाये, समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता[८], ग्राम पंचायत का संगठन[९], कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार[१०], काम की न्यायसंगत और मानवोचित दशाओं तथा प्रसूति सहायता का प्रबन्ध[११], कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी आदि[१२],

उद्योग के प्रबनध में कर्मकारों का भाग लेना[13], नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता[14], छः वर्षो से कम आयु के बालकों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था को देखकर और शिक्षा का उपबन्ध[15], अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य दुर्बल वर्गों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि[16], पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊँचा करने तथा लोक स्वास्थ्य का सुधार करने का राज्य का कर्तव्य[17], इत्यादि।

न्यायालय के निर्णय

एयर इण्डिया बनाम नर्मिज मिजा[18]के वाद में माननीय सर्वोच्च न्यायालय एयर इंडिया की नियमावली के इस नियम को असंबैधानिक घोषित करते हुए निरस्त कर दिया जिसमें कहा गया था कि गर्भवती होने पर सेवा समाप्त कर दी जाएगी।

सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा एक महत्वपूर्ण वाद **सेन्ट्रल इनलैण्ड वाटर ट्रासपोर्ट कारपोरेशन बनाम ब्रजोनाथ गांगुली**[19] में अभिनिर्धारित किया गया कि, लोकनियंत्रण में उद्भूत वस्तुओं का समान वितरण, व्यक्तिगत हितों और अधिकारों का संरक्षण और लोकहितों का उसके साथ तालमेल किया जाना आवश्यक होता है।

भारत में कोरोना के कारण गरीबी और बढ़ गई है कई लोगों को अपनी नौकरी खोनी पड़ी है। सी.एम. आई.ई की रिपोर्ट के अनुसार भारत. में ७० लाख नौकरी फरवरी २०२० से फरवरी २०२१ के बीच चली गई।[20] भारत सरकार के द्वारा इस हालात से उबरने के लिए कई प्रकार के प्रयास किये गये जिसके अंतर्गत कई प्रकार की योजनाओं का शुभारंभ किया गया साथ ही साथ राज्यों के द्वारा भी स्वास्थ्य के संबंध में कई प्रकार की योजनाओं का संचालन किया गया। इस प्रकार से यदि हम देखे तो कही न कही ये योजनाएँ भी सामाजिक आर्थिक एवं राजनैतिक न्याय को पूरा करती है और लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना की ओर अग्रसर होती है।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **आल इण्डिया जजेज एसोसियेशन बनाम भारत संघ**[21] के महत्वपूर्ण वाद में अभिनिर्धारित किया कि, नगरिकों को न्याय सुनिश्चित करने के लिए एक स्वतन्त्र और कार्यक्षम न्याय व्यवस्था की भारतीय संविधान के मूलस्वरूप का एक भाग है। एक अन्य वाद **साधू राम बंशल बनाम पुलिस बिहार सरकार,**[22] के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा अभिनिर्धारित किया गया कि, न्याय प्रदान करने के संकल्प के पीछे जनता के कल्याण को सुनिश्चित करना है। प्रत्येक नागरिक को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक नयाय प्रदान करने का तात्पर्य व्यक्ति के सामाजिक जीवन में व्यक्तिगत हितों और सामाजिक हितों के बीच समन्वय स्थापित करना है। भारत के मूख्य न्यायमूर्ति माननीय एन.व्ही. रम्ना के द्वारा भारत की विभिन्न अदालतों में लंबित विभिन्न वादों को संदर्भित करते हुए कहा कि, "भारत की अदालतों में लंवित वादों की संख्या ४.५ करोड़ पहुंच गई है" राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड एवं सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार वर्तमान में जिला और अिधीनस्थ न्यायालयों में ३.९ करोड़ मामले लंबित हैं, विभिन्न राज्यों के उच्च न्यायालयों में ५८.५ लाख मामले और सर्वोच्च न्यायालय में ६९ हजार से अधिक मामले विचाराधीन है।[23]

उद्देशिका एवं समानता का अधिकार

भारत के संविधान के भाग तीन के अंतर्गत समानता एवं स्वतंत्रता के अधिकार के लिए मूल अधिकार के रूप में परिणित किया गया है। अनुच्छेद १४–१८ तक समता का अधिकार एवं १९ से २२ तक स्वतंत्रता का अधिकार प्रदत्त किया गया है। भारत के संविधान का अनुच्छेद १४ विधि के समक्ष समता और विधियों के समान संरक्षण प्रदान करता है। यहाँ पर विधि के समक्ष समता जिसकी प्रकृति निषेधात्मक है जिसमें यह सुनिश्चित किया गया है कि किसी व्यक्ति के पक्ष में राज्य के द्वारा कोई विशिष्ट सुविधा उपलब्ध नहीं कराई जायेगी, प्रत्येक व्यक्ति राष्ट्र की विधि के समक्ष समान होगा, हर व्यक्ति चाहे उसकी स्थिति कैसी भी क्यों न हो, विधि के शासन के अध्यधीन होगा सभी की स्थिति समान होगी। विधियों का समान संरक्षण जिसकी प्रकृति सकारात्मक है। जिसमें कि एक विधि को एक समान लागू किया जाये और समान परिस्थितियों में रहने वाले व्यक्तियों के साथ भेदभाव का व्यवहार न किया जाये। एक समान व्यवहार या बर्ताव विशेषाधिकारों प्रदत्त किये जाने तथा दायित्वों के अधिरोपित किये जाने में किये जाने से है। समता एक गतिशील धारणा है जिसके अनेक रूप और आयाम हैं और इसे परम्परागत और सिद्धांतवाद की सीमाओं से नहीं बाँधा जा सकता है ।" अनुच्छेद १४ राज्य की कार्यवाहियों में मनमाने पन को वर्जित करता हैं और समान व्यवहार की अपेक्षा करता है। युक्तियुक्तता का सिद्धांत समता के सिद्धांत का एक

आवश्यक तत्व है जो अनुच्छेद १४ में सर्वदा विद्यमान रहता है। वस्तुतः समता और मनमानापन एक दूसरे के शत्रु हैं। जहाँ कोई कार्य मनमाना किया जायेगा वहाँ असमानता अवश्य होगी और अनुच्छेद १४ का अतिक्रमण होगा।[24]

भारत के संविधान के अंतर्गत समानता के अधिकार के अंतर्गत जिन अधिकारों को सम्मिलित किया गया है वे अधिकार है धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध[25], लोक नियोजन के विषयों में अवसर की समता[26], अस्पृश्यता का अंत[27], उपाधियों का अंत[28]। संविधान की उद्देशिका के अंतर्गत प्रतिष्ठा और अवसर की समता को एक महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया गया है । भारत के संविधान के अनुच्छेद १४–१८ के अंतर्गत समता के अधिकार के अंतर्गत न्याय और लोकपद तथा नियोजन के विशय के अंतर्गत समान व्यवहार का अधिकार है। समानता के अधिकार से यही भी अभिप्रेत है कि सभी विधियाँ समान रूप से लागू की जाएगी।

भारत के संविधान के अंतर्गत समता एवं समानता के अधिकार के प्रवर्तन के लिए जिस इकाई की व्यवस्था की गई है वह भारत के संविधान के मूल अधिकारों के प्रवर्तन की व्यवस्था भी है जिसके लिए अनुच्छेद ३२ सर्वोच्च न्यायालय एवं अनुच्छेद २२६ उच्च न्यायालय में उपचार प्राप्त किया जा सकता है। भारत के संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए प्राप्त सांविधानिक उपचारों के अधिकार अर्थात् संविधान के अनुच्छेद ३२ के संबंध में डॉ. अम्बेडकर कहते है कि, यदि मुझसे पूछा जाये कि संविधान में कौन सा विशेष अनुच्छेद सबसे महत्वपूर्ण है जिसके बिना यह संविधान शून्य हो जायेगा तो मैं इसके सिवाय किसी दूसरे अनुच्छेद का नाम नहीं लूँगा यह संविधान की आत्मा है।

उद्देशिका एवं स्वतंत्रता

भारत के संविधान के अंतर्गत जिन स्वतंत्रताओं का उपबंध किया गया है वे पूर्ण नहीं है उन पर निर्बंध लगाये जा सकते है अर्थात् विधि व्यवस्था के आधार पर उन पर रोक लगाई जा सकती है। भारत के संविधान की प्रस्तावना के अंतर्गत विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता की बात की गई है। भारत के संविधान के अंतर्गत प्रदत्त मूल अधिकारों के अंतर्गत स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान किया गया है जिसके अंतर्गत वाक्–स्वातंत्र्य आदि विषयक कुछ अधिकारों का संरक्षण[29], अपराधों के लिए दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण[30], प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण[31], शिक्षा का अधिकार[32], कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण[33]।

वाक्–स्वातंत्र्य आदि विषयक कुछ अधिकारों का संरक्षण जिसके अंतर्गत छः स्वतंत्रताओं का उपबंध किया गया है साथ ही साथ उन पर निर्बंधन भी लगाये गये है। वाक्–स्वातन्त्र्य और अभिव्यक्ति स्वातन्त्र्य का जिस पर भारत की प्रभुता और अखण्डता, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्री पूर्ण संबंधों, लोक व्यवस्था, शिष्टाचार या सदाचार के हित में अथवा न्यायालय अवमानना, मानहानि या अपराध उद्दीपन के संबंध में युक्तियुक्त निर्बन्धन लगाये जा सकते है। शांतिपूर्ण और निरायुध सम्मेलन जिस पर भारत की प्रभुता और अखंडता या लोक व्यवस्था के हित में निर्बंधन एवं संगम एवं सघ बनाने के संबंध में निर्बंधन है भारत की प्रभुता और अखंडता या लोकव्यवस्था या सदाचार। भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र अबाध संचरण एवं भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भाग में निवास करने और बस जाने के लिए साधारण जनता के हित में या किसी अनुसूचित जनजाति के हित संरक्षण के लिए निर्बंधित किया जा सकता है। उपरोक्त के साथ ही साथ वृत्ति, उपजीविका, व्यापार या कारबार करने के अधिकार पर साधारण जनता के हित में निर्बंधित किया जा सकता है। यहाँ पर यह भी स्पशट कर देना समीचीन होगा कि आपात की दषा में सर्व प्रथम अनुच्छेद १९ ही निलंबित हो जात है अर्थातृ यह अधिकार पूर्ण अधिकार नहीं है। विधि व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए स्वतंत्रता एवं समानता दोनों को ही निर्बंधित किया जा सकता है।

उद्देशिका एवं न्याय–

भारत के संविधान के अंतर्गत सामाजिक आर्थिक और राजनैतिक न्याय का उपबंध किया गया है। सामाजिक और आर्थिक न्याय के मिश्रित रूप को वितरणकारी न्याय कहा जाता है। वितरणकारी न्याय असमानता को दूर करने का एक साधन है। न्याय का वितरण समाज में समान रूप से हो इसके लिए भारत की प्रस्तावना के साथ–साथ राज्य के नीति के निदेशक तत्वों के अंतर्गत भी सामाजिक आर्थिक नयाय को प्राप्त करने के साधनों की व्यवस्था लोककल्याण कारी राज्य का एक कतर्व्य के रूप में परिणत किया गया

है। जो कि बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय के सिद्धांत पर आधारित है। जो कि मार्कण्ड पुराण के इस सूक्त पर आधारित है जिसमें कहा गया है कि,

सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःख भाग्भवेत्।।

न्याय की उपधारणा से परिपूर्ण यह सूक्त सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक नयाय के सरोकार को परिपूर्ण करता है और यह स्पष्ट करता है कि हमारी सामासिक संस्कृति न्याय को अपनी आप में समाये हुए है। भारत के संविधान के अंतर्गत सर्वजन हिताए एवं सर्वजन सुखाय के लिए लोक कल्याणकारी राज्य की उपधारण के माध्यम से स्वीकार किया गया है जिसके अंतर्गत महिलाओं, बच्चों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछडे वर्ग, मजदूर, श्रमिक एवं पीड़ित आदि व्यक्तियों के लिए न्याय सुनिश्चित करने का प्रयत्न किया गया हैं। भारत के संविधान की उद्देशिका में प्रदत्त न्याय को प्राप्त करने के लिए एवं राज्य के नीति के निदेशक तत्व के अंतर्गत उद्देश्य एवं लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कई योजनाओं का भी कार्यान्वियन एवं क्रियान्वयन समय–समय पर किया जाता है।

उपसंहार

वर्तमान समय में क्या हम संविधान की प्रस्तावना में अंतर्वलित संवैधानिक आदर्शों का पालन कर पा रहे है? यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि प्रस्तावना और संविधान के अंतर्गत उपलब्ध स्वतंत्रता और समानता सभी के लिए हो। आज भी जब अधिकारों की बात आती है तो गरीबी और अज्ञानता सामने आजाती है जिस कारण से सभी उपबंध निरर्थक हो जाते है। वर्तमान समय में अधिकारों और कतर्व्यों में टकराव उत्पन्न हो रहा है इसका कारण कानून का अस्पष्ट होना है। भारत के संविधान की प्रस्तावना में निहित स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुता लोगों के पक्ष में प्रवर्तित हो। लोक कल्याण सर्वोपरि हो जिससे कि हम एक सरल एवं सादा माध्याम पैदा कर सके। प्रस्तावना में परिलक्षित है कि हम भारत के लोग भारत के संविधान का स्त्रोत है। इसके द्वारा भारत के संविधान का उद्देश्य जिसके अंतर्गत अधिकारों तथा स्वतंत्रताओं की घोषणा की गई है।

भारत के समस्त नागरिकों को मताधिकार, महिलाओं, बच्चों, अनुसूचित जाति तथा जनजाति एवं पिछड़े वर्ग तथा अल्पसंख्यक वर्ग के विकास एवं कल्याण की याजनाओं, लोक सेवाओं में समान अवसर इत्यादि सामाजिक आर्थिक और राजनैतिक न्याय के कार्य मानेजाते है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा **कुलदीप नैयूयर बनाम भारत संघ**[२४] के महत्वपूण मामले में यह अभिनिर्धारित किया गया कि संविधान की उद्देशिका संविधान का एक अभिन्न अंग है।

क्या राज्य का दायित्व पिछड़े और निर्धन लोगों को नौकरी भोजन स्वास्थ्य चिकित्सा की सुविधा प्रदान कर देने मात्र से समाप्त हो जाता है? यदि हॉ तो अब तक हमें विकसित देशों की सूची में आजाना चाहिए था और यदि नहीं तों इसके लिए क्या करना आवश्यक होगा? यहॉ पर राज्य के लिए ऐसे प्रयत्न करने होगे जिससे कि उसके प्रत्येक नागरिक स्वयं अपने लिए अवसर पैदा कर सकें। किसी भी देश का विकास उसके नागरिकों पर निर्भर होता है और यह तभी संभव हो सकता है जब वहॉ के लोगों के लिए किसी के सहारे की आवश्यकता न हो, वे आत्मनिर्भर हो।

संदर्भ ग्रंथ सूँची

अवस्थी, सुधा, भारत का संविधान. (तृतीय संस्करण) नई दिल्ली : इण्डिया पब्लिशिंग कम्पनी प्रकाशन विभाग (२०१६).

बसु, दुर्गा दास, भारत का संविधान एक परिचय. (पुनः मुदित) इलाहाबाद : सेन्ट्रल लॉ एजेन्सी पब्लिकेशन्स (२००७).

बबेल, बसन्तीलाल, भारत का संविधान. (ग्यारहवॉ संस्करण) इलाहाबाद :सेन्ट्रल लॉ पब्लिकेशन्स (२०१२).

चतुर्वेदी, मुरलीधर,भारत का संविधान. (चौदहवा संस्करण) इलाहाबाद : इलाहाबाद लॉ एजेन्सी पब्लिकेशन्स (२०१०).

पाण्डेय, जय नारायण,भारत का संविधान. (अड़तालीसवॉ संस्करण) इलाहाबाद : सेन्ट्रल लॉ एजेन्सी (२०१५).

शर्मा ब्रजकिशोर,भारत का संविधान एक परिचय. (नौवां संस्करण) नई दिल्ली : पीएचआई लर्निंग प्राईवेट लिमिटेड(२०१२).

संदर्भ

१ अर्नेस्ट बार्कर; प्रिंसिपल्स आफ सोशल एंड पोलिटिकल थ्योरी, ओ.यू.पी., १९६१ पृष्ठ ६

2 https://njdg.ecourts.gov.in/njdgnew/?p=main/pend_dashboard 7:25,PM 09/12/2021

3 https://njdg.ecourts.gov.in/njdgnew/?p=main/pend_dashboard 7:25,PM 09/12/2021

4 https://njdg.ecourts.gov.in/njdgnew/?p=main/pend_dashboard 7:25,PM 09/12/2021

5http/:ncrb.gov.in/sites/default/file/crime/_in_india

६ भारत का संविधान, अनुच्छेद ३८

७ अनुच्छेद ३९

८ अनुच्छेद ३९क.

९ अनुच्छेद ४०

१० अनुच्छेद ४१

११ वहीं अनुच्छेद ४२

१२ वहीं अनुच्छेद ४३

१३ वहीं अनुच्छेद ४३–क.

१४ वहीं अनुच्छेद ४४

१५ वहीं अनुच्छेद ४५

१६ वहीं अनुच्छेद ४६

१७ वहीं अनुच्छेद ४७

१८ ए.आई.आर.१९८१एस.सी.११४९

१९ (१९८६) ३ एस.सी.सी. १५६

२० https://indianexpress.com/article/opinion/the-pandemic-has-worsened-indias-poverty-crisis-7394367/

२१ (२००२) ४ एस.सी.सी. २४७

२२ (१९८४) ३ एस.सी.सी. ४१०

२३ https://www.news18.com/news/explainers/explained-cji-ramana-says-4-5-crore3:56 9/12/2021

२४ इ. पी. रोयप्पा बनाम तमिलनाडु राज्य ए.आई.आर.१९७४ एस सी ५९७

२५ भारत का संविधान अनुच्छेद, १५

२६ भारत का संविधान अनुच्छेद, १६

२७ भारत का संविधान अनुच्छेद, १७

२८ भारत का संविधान अनुच्छेद, १८

२९ भारत का संविधान अनुच्छेद, १९

३० भारत का संविधान अनुच्छेद, २०

३१ भारत का संविधान अनुच्छेद, २१

३२ भारत का संविधान अनुच्छेद, २१–क.

३३ भारत का संविधान अनुच्छेद, २२

३४ (२००६) ७ एस.सी.सी. १

39

जूनियर हाईस्कूल कक्षाओं में अध्ययनरत मूक बाधिर एवं सामान्य विद्यार्थियों के सामाजिक समायोजन का तुलनात्मक अध्ययन

रेनू सिंह
पी०एच०डी० (छात्रा), शिक्षा संकाय,
मोनॉड विश्वविद्यालय, करतला, कासमाबाद, हापुड़ (उ०प्र०)

डॉ० सत्यवीर सिंह चौधरी
एसोसिएट प्रोफेसर, शिक्षा संकाय,
मोनॉड विश्वविद्यालय, हापुड़ (उ०प्र०)

१.१ प्रस्तावना

जनम से ही मानव कुछ विशिष्ट गुणों को लेकर पैदा होता है। जिससे एक मानव दूसरे मानव से भिन्न प्रदर्शित होता है। नि:सन्देह व्यक्तियों में विभिन्नताओं का होना मनोविज्ञान की दृष्टि से एक सामान्य सी घटना है परन्तु कुछ बालक–बालिकाओं में ये विभिन्नताएं इतनी अधिक मात्रा में होती है कि उनके लिए विशेष शैक्षिक प्रयासों की आवश्यकता होती है। ऐसे बालक–बालिकाएं प्रतिभावान भी हो सकते है तथा मन्द बुद्धि के भी हो सकते हैं। ऐसे बालक–बालिकाएं उत्पाती भी हो सकते हैं तथा शारीरिक कमियों से युक्त भी हो सकते है। ऐसे बालक–बालिकाएं अन्य व्यक्तियों का ध्यान अपनी ओर सरलता से आकर्शित कर लेते हैं एवं इनके समुचित समायोजन के लिए विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होती है। इस प्रकार के बालक–बालिकाएं समाज के सभी वर्गों में पाये जाते हैं। ऐसे बालक–बालिकाओं के सभी वर्गों में पाये जाते हैं। ऐसे बालक–बालिकाओं के सर्वांगीण विकास का उत्तरदायित्व भी समाज तथा शिक्षा पर होता है जिससे वे राष्ट्र निर्माण के कार्य में अपना अधिकतम सम्भव योगदान कर सकें। शिक्षा को सामाजिक

www.vidyawarta.com

https://goo.gl/Zq6V25

प्रिंटींग एरिया शोधपत्रिका को इंडेक्स (iijif) किया गया है, तथा इम्पॅक्ट फॅक्टर (7. 891) भी हैं।

https://goo.gl/JRQzLD

प्रकाशन अवधिकता के साथ भाषा और प्रकाशन माह दिये गये है ।

https://goo.gl/cqGSbx

संपादकीय मंडल सदस्यों की पुरी सूची दी गई है, जिसमें पत्ता, ई मेल, अॅड्रेस, संपर्क सूत्र आदी डिटेल्स हैं।

https://goo.gl/cqGSbx

मराठी, हिंदी और इंग्रजी भाषा के अनुसार आर्ट्स , कॉमर्स , सायन्स के सभी विषयोकी एक्स्पर्ट एडिटोरियल टीम बनाई गई हैं ।

Indexed

IMPACT 7.891 iijif FACTOR

ISSN 2394-5303

₹ 400/-

Edit By

Dr. Gholap Bapu Ganpat
Parli Vaijnath, Dist.Beed 431 515
(Maharashtra, India)
Cell : +91 75 88 05 76 95

Publisher & Owner

Archana Rajendra Ghodke
Harshwardhan Publication Pvt.Ltd.
At.Post.Limbaganesh, Tq.Dist.Beed-431 126
(Maharashtra) Mob.09850203295
E-mail: vidyawarta@gmail.com
www.vidyawarta.com

ISSN : 0975-3664
RNI : U.P.BIL/2012/43696
UGC No. : 41386

शोध - धारा
SHODH DHARA

(A peer reviewed Quarterly Research Journal of Humanities & Social Sciences with **Grade 'A'** & **Impact Factor 5-10**)

Year : 2018 **Month : JUNE** **Vol. 2**

Chief Editor
Dr. (Smt.) Neelam Mukesh
Editor
Dr. Rajesh Chandra Pandey

49

बिलासपुर संगोष्ठी विशेषांक

Guest Editor
Dr. (Smt.) Rajesh Chaturvedi
Guest Co-Editor
Dr. Kiran Thakur

Published by : Shakshik Avam Anusandhan Sansthan, Orai (Jalaun) U.P.

SHODH-DHARA

शोध-धारा

Year : 2018
JUN 2018
Vol.2
Quarterly Research Journal

Publisher : **Dr. Rajesh Chandra Pandey** (General Secretary)
Shakshik Avam Anushandhan Sansthan
Orai (Jalaun) U.P.

Printer : **Customer Gallery**
Mauni Mandir, Orai (Jalaun) U.P.

Contribution :

One Volume	: 250/-
Individual Five Year	: 2000/- (For Research Scholar)
Individual Life Membership	: 3000/- (For Teachers & Others)
Institutional Five Year	: 2500/-
Institutional Life Membership	: 5000/-

(Duration of Life Membership is 10 year)

Note : All payments relating to this journal shall be made by draft in favoure of the "***Editor Shodh Dhara***", Payble at **Orai.**

Office : **Dr. (Smt.) Neelam Mukesh**
Chief Editor, Shodh-Dhara
1075, Bank Colony, Jalaun Road, Orai (Jalaun) 285001, U.P.
Mobile : 9450109471

: **Dr. Rajesh Chandra Pandey**
Editor, Shodh-Dhara
262, Pathakpura, Orai (Jalaun) 285001, U.P..
Mobile ; 9415592698, 9198204835
Email : shodhdharajournal2005@gmail.com

डॉ. राजेश चन्द्र पाण्डेय (महासचिव, शैक्षिक एवम् अनुसंधान संस्थान, उरई (जालौन)) मुद्रक, प्रकाशक और स्वामी द्वारा कस्टमर गैलरी, उरई (जालौन) से मुद्रित करवाकर शैक्षिक एवम् अनुसंधान संस्थान, उरई (जालौन) से प्रकाशित। संपादक –डॉ. राजेश चन्द्र पाण्डेय

Note : * The views expressed in the published articles are their writers own. The agreement of the Editorial Board or the Shodh Pratisthan is not necessary.

* Disputes, If any shall be decided by the court at Orai (Jalaun) U.P.

ISSN : 0975-3664 RNI : U.P.BIL/2012/43696, UGC :41386

शोध - धारा
SHODH-DHARA

(मानविकी एवं समाज विज्ञान पर केंद्रित पीयर रिव्यूड त्रैमासिक शोध–जर्नल 'ए' ग्रेड प्राप्त)
(A peer reviewed Quarterly Research Journal of Humanities & Social Sciences with 'A' Grade)
Year 2018 JUN Vol. 2

अनुक्रम Contents

शीर्षक	लेखक	पृ०सं०
१. राष्ट्र विकास और सामाजिक चिन्तन	साहनु राम महेन्द्र डॉ० सुधीर सिंह गौर डॉ० बी.पी. देवांगन	1- 6
२. राष्ट्र के विकास में धर्म एवं संस्कृति की भूमिका: एक समाजशास्त्रीय अध्ययन	डॉ० (श्रीमती) अंजू शुक्ला डॉ० स्वाती शर्मा	7-11
३. राष्ट्र विकास के संदर्भ में वैश्वीकरण	डॉ० श्रीमती नंदिनी तिवारी डॉ० संजय कुमार तिवारी	12-18
४. राष्ट्र विकास में धर्म और संस्कृति का चिंतन	डॉ० सुनीता राठौर	19-23
५. राष्ट्र विकास में राष्ट्रवादी विचारधारायें	डॉ० महेश कुमार शुक्ल	24-28
६. सनातन धर्म एवं संस्कृति में प्रतिबिम्बित राष्ट्र–भारत	डॉ० राजीव शर्मा डॉ० अजय कुमार सिंह	29-31
७. राष्ट्र की अवधारणा और भारतीय चिंतन	श्रीमती कांति अंचल	32-34
८. राष्ट्र विकास और भारत में प्रगतिशील सांस्कृतिक आंदोलन	डॉ० दिनेश कुमार पाण्डेय श्रीमती श्वेता पंड्या	35-40
९. राष्ट्रः चेतना और प्रकृति	डॉ० फुलसो राजेश पटेल	41-43
१०. राष्ट्र के विकास मे धर्म और संस्कृति का चिंतन	डॉ० रेखा दुबे	44-45
११. व्यक्तित्व एवं राष्ट्र निर्माण पर विवेकानन्द के कालजयी विचार	डॉ० आलोक वर्मा डॉ० मंजू पाण्डेय	46-48
१२. धर्म चिंतन और राष्ट्र विकास	डॉ० तारणीश गौतम	49-53
१३. राष्ट्र विकास में धर्म और संस्कृति का चिंतन	डॉ० ए.एल. ध्रुवंशी डॉ० सुरेश मणि त्रिपाठी	54-58
१४. राष्ट्र विकास और गांधी चिंतन	डॉ० एम.पी. रोहणी	59-61
१५. राष्ट्र विकास में औद्योगिकी नीति का योगदान	डॉ० (श्रीमती) संजू पाण्डेय डॉ० प्रवीण कुमार पाण्डेय	62-66
१६. राष्ट्र विकास के आर्थिक आयाम	डॉ० एस.पी. भारद्वाज डॉ० जी.सी. भारद्वाज	67-69
१७. पर्यावरण संरक्षण और आर्थिक विकास	डॉ० डी.के. सिंह	70-73
१८. सतत् विकास का लक्ष्य और भारत	डॉ० हेमचन्द्र पाण्डेय	74-77

१६. भारतीय राष्ट्रवाद के विकास में प्रेस की भूमिका	अतुल कुमार मिश्र	78-82
२०. अरविंद अडिगा के उपन्यास 'द व्हाईट टाईगर' में राष्ट्र विकास का चिंतन	डॉ० सावित्री त्रिपाठी	83-88
२१. राष्ट्र निर्माण में संस्कृत की भूमिका	श्रीमती उत्तरा निराला श्री रामकुमार सिंह कंवर	89-92
२२. पूर्व मध्ययुगीन हिन्दी–साहित्य और राष्ट्रीय एकता	डॉ० (श्रीमती) उषा तिवारी डॉ० आर.के. तिवारी	93-96
२३. राष्ट्र के विकास में हिन्दी भाषा की भूमिका	डॉ० सत्येन्द्र कुमार कश्यप श्री अनिल कुमार नेताम	97-99
२४. राष्ट्र के निर्माण में भाषा का योगदान	डॉ. रेशमा अंसारी डॉ. कमलेश गोगिया	100-102
२५. राष्ट्र विकास में छायावादी कवियों का योगदान (महात्मा गांधी के संदर्भ में)	श्रीमती भारती धुमाल	103-105
२६. राष्ट्रभाषा की अवधारणा एवं हिन्दी	डॉ० मधुमति सरोटे	106-108
२७. राष्ट्र विकास में कवियों का योगदान	डॉ० (श्रीमती) राजेश चतुर्वेदी	109-111
२८. हिन्दी कविता मे जनवादी चेतना	डॉ. (श्रीमती) जय्श्री शुक्ल	112-114
२९. राष्ट्र विकास में साहित्य चिंतन	श्रीमती श्वेता शर्मा	115-118
३०. राष्ट्र विकास और साहित्य चिंतन (भारतेन्दु युग के विशेष सन्दर्भ में)	लक्ष्मी प्रसाद कर्ष	119-124
३१. राष्ट्रीय चेतना का संवाहक : साहित्य	डॉ० शशि अवस्थी	125-127
३२. राष्ट्र विकास और साहित्य चिंतन	डॉ. अलका पंत	128-131
३३. राष्ट्र विकास और भारतीय राजनीतिक चिंतन (कौटिल्य के विशेष संदर्भ में)	असीम बाजपेयी	132-135
३४. राष्ट्रविकासः राजनीति एवं प्रबंधन की दृष्टि से	डॉ० गोमती सिंह	136-140
३५. राष्ट्र विकास और राजनीतिक चिंतन	ईश्वरी बृजबासी सूर्यवंशी	141-143
३६. राष्ट्र विकास और राजनीतिक चिंतन	डॉ० आभा तिवारी डॉ० एम.एस. तंबोली	144-147
३७. राष्ट्र के विकास में संगीतिक और वैज्ञानिक चिंतन का स्वरूप	श्रीमती अर्चना दीवान डॉ. (श्रीमती) कविता ठक्कर	148-150
३८. राष्ट्र विकास में वैज्ञानिक चिंतन	अली हसन	151-152
३९. विकास, पर्यावरण एवं पर्यावरण संरक्षण कानून	डॉ० राम आशीष श्रीवास्तव	153-159
४०. राष्ट्र निर्माण में सतत् विकास तथा पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन	श्रीमती सीमा जायसी डॉ० रवीन्द्र जायसी	160-167
४१. राष्ट्र विकास का पर्यावरणीय चिंतन	डॉ० कावेरी दाभड़कर	168-172
४२. पर्यावरणीय राष्ट्रवाद	डॉ० के.आर. मतावले	173-176
४३. राष्ट्र विकास में नारी की भूमिका	श्रीमती करूणा गायकवाड़	177-180
४४. ग्रामीण महिलाओं के विकास में स्व सहायता समूहों	डॉ० सुजाता सैमुअल	181-184

ISSN : 0975-3664, RNI : U.P.BIL/2012/43696, UGC NO. : 41386
SHODH-DHARA ; JUN 2018; Vol. 2; P. 153-159

विकास, पर्यावरण एवं पर्यावरण संरक्षण कानून

डॉ० राम आशीष श्रीवास्तव,

सहायक प्राध्यापक, शासकीय नवीन विधि महाविद्यालय, **भाटापारा-बलौदाबाजार, छत्तीसगढ़**

(प्राप्त : १० मई २०१८)

Abstract

प्रस्तुत शोध पत्र का उद्देश्य है कि क्या पर्यावरण संरक्षण विकास के साथ साथ किया जा सकता है। इस संबंध में वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय दस्तावेज तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय का क्या विचार है। क्या न्यायालय पर्यावरण के संरक्षण में विशेष भूमिका अदा कर रहा है? क्या अंतर्राष्ट्रीय प्रयास इस दिशा में प्रभावशाली रहे? साथ ही साथ यह ज्ञात करना कि पर्यावरण संरक्षण से संबंधित विधियो के प्रावधान किस प्रकार से कार्य कर रहे हैं?

Figure : 00 **References : 09** **Table : 00**

Key Words : विकास का पर्यावरणीय परिद श्य, पर्यावरणीय कानून, पर्यावरण संरक्षण

'क्षिति जल पावक गगन समीरा। पंच रचित यह अधम शरीरा'।।

मानव जीवन का आधार स्वस्थ्य एवं स्वच्छ पर्यावरण है। इस स ष्टि को रचने में जलवायु, सूर्य, प थ्वी और वनस्पति तथा जैव विविधता की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। प्राकृतिक संसाधनों के दोहन के कारण आज नई–नई समस्याएं जन्म ले रहीं हैं; जिनमें भूकंप, ज्वालामुखी, सुनामी, चक्रवात, अम्लीय वर्षा, भू–स्खलन, प थ्वी पर स्थल जलमग्नता आदि हैं। मानव सभ्यता प्रकृति का एक हिस्सा है या फिर ऐसा कहें कि हम प्रकृति द्वारा निर्मित हैं; केवल हम ही नहीं जो भी हम अपने चारों ओर देखते हैं, वह भी प्रकृति द्वारा अपनी कल्पना से रचा है।

पर्यावरण और मनुष्य का गहरा संबंध रहा है। मनुष्य जब से प थ्वी पर आया है; उसने पर्यावरण के साथ अपने को जोड़ रखा है। वन, पर्वत, नदियों, महासागर, सूर्य, चंद्रमा, प थ्वी, वायु जल इत्यादि का मनुष्य ने शुरू से ही प्रयोग किया है। लकड़ी, भोजन, वस्त्र, औषधि इत्यादि प्राप्त करने हेतु मनुष्य ने प्राकृतिक संपदा का उपयोग किया है तथा वर्तमान में भी कर रहा है। समय के साथ–साथ मनुष्य की आवश्यकताओं ने भी अपना आकार बढ़ा लिया। वनों के विनाश, वायु तथा जलीय प्रदूषण एवं म दा में कीटनाशक दवाओं के बढ़ते हुए प्रयोग ने वातावरण में कई परिवर्तन किए हैं। अकाल, भूकंप, महामारी, सूखा, अतिव ष्टि, तरह–तरह के रोग, मानव सभ्यता के विनाश का कारण बने हुए हैं। सभी जीव पर्यावरण के प्रति सजग रहते हैं। अपने जीवन चक्र को चलाने के लिए पर्यावरण से संयोजन बनाए रखते हैं। पर्यावरण के परिवर्तन के साथ उनके समायोजन की क्रियाविधि जैव व अजैव एक दूसरे में इस प्रकार मिश्रित हैं कि उनको अलग करके देखना कठिन है। अनंत तत्वों में जलवायु प्रमुख है। उसी प्रकार नैतिक तत्वों में मनुष्य प्रमुख है। जलवायु व मनुष्य दोनों तत्वों की भूमिका जीव मंडल की व्यवस्था व क्रियाशीलता में सर्वोच्च है।

पर्यावरण प्रदूषण की समस्या न केवल भारत बल्कि संपूर्ण विश्व को अपने आयाम में समेटती

रामकथा का वैश्विक परिदृश्य

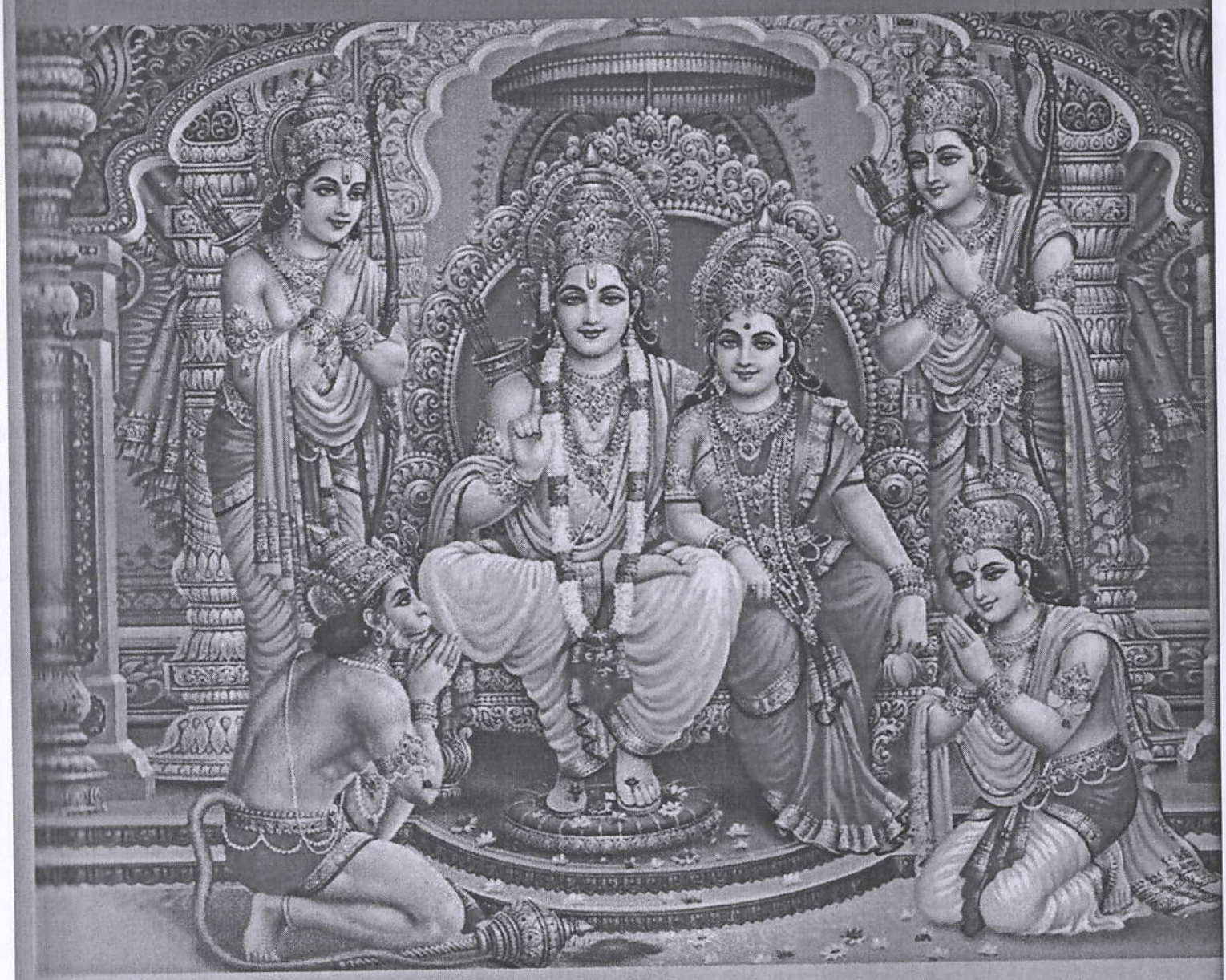

सम्पादक
डॉ. घनश्याम भारती

जे.टी.एस. पब्लिकेशन्स, दिल्ली
इन्टरनेशनल कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग पीयर-रिव्यूड, रिफर्ड बुक
(पूर्व-समीक्षित, सान्दर्भिक पुस्तक)
हिन्दी-विभाग, शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय,गढ़ाकोटा सागर मध्यप्रदेश

पीयर रिव्यू टीम
डॉ. श्रीराम परिहार, पूर्व प्राचार्य, खण्डवा, मध्यप्रदेश
डॉ. सुरेन्द्र बिहारी गोस्वामी निदेशक, मध्यप्रदेश हिन्दी ग्रंथ अकादमी, भोपाल
डॉ० सुरेश आचार्य, पूर्व अध्यक्ष, हिन्दी-विभाग, डॉ० हरीसिंह गौर वि.वि., सागर
डॉ० पृथ्वीनाथ पाण्डेय, भाषाविद्-समीक्षक-मीडिया अध्ययन-विशेषज्ञ, इलाहाबाद
डॉ० नीलम जैन, विजिटिंग स्कॉलर, सेंट जोन्स स्टेट यूनिवर्सिटी, अमेरिका
डॉ० सरोज गुप्ता, अध्यक्ष, हिन्दी विभाग, शासकीय कला/वाणिज्य महाविद्यालय, सागर

वैधानिक चेतावनी
पुस्तक के किसी भी अंश के प्रकाशन- फोटोकॉपी, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों में उपयोग के लिए लेखक/ संपादक/ प्रकाशक की लिखित अनुमति आवश्यक है। पुस्तक में प्रकाशित शोध-पत्रों में निहित विचार तथा संदर्भों का संपूर्ण दायित्व स्वयं लेखकों का है। संपादक/ प्रकाशक इसके लिए उत्तरदायी नहीं है ।

© सर्वाधिकार सुरक्षित

प्रथम संस्करण : २०१८
ISBN 978-93-87580-31-2

प्रकाशक
जे०टी०एस० पब्लिकेशन्स
वी-५०८, गली नं०१७, विजय पार्क, दिल्ली-११००५३
दूरभाष : ०८५२७ ४६०२५२, ०११-२२६११२२३
E-Mail : jtspublications@gmail.com

मूल्य : ८७५.०० रूपये

ले-आउट डिजाइनः कविता मो.- ९२८६३६३२७८
आवरण : प्रतिभा शर्मा, दिल्ली

मुद्रक : तरूण ऑफसेट प्रिंटर्स, दिल्ली

RAMKATHA KA VAISHVIK PARIDRASHYA
Edited by Dr. Ghanshyam Bharti

रामचरितमानस और पर्यावरण

डॉ राम आशीष श्रीवास्तव

सहायक प्राध्यापक (विधि) शा. नवीन विधि महाविद्यालय भाटापारा-बलौदाबाजार (छ.ग.)

भूप बागु बर देखेउ जाई। जाहँ बसंत रितु रहीं लोभाई।।
लगे बिपट मनोहर नाना। बरन बरन बर बेलि बिताना।।'

प्रस्तुत शोध पत्र का उद्देश्य है, पर्यावरण संरक्षण में रामचरितमासन की भूमिका को दर्शित करना है। भगवान राम के जीवन मे उन प्रसंगों को प्रस्तुत करना जिनके माध्यम से आज भारतीय संस्कृजि एवं समाज की नीव प्रकृति आधारित है। रामचरितमानस एवं पर्यावरण के बीच संबंध को ज्ञात करना। मानव संभ्यता पर्यावरण पर आश्रित सभ्यता है। हिन्दू धर्म पर्यावरण पर आधारित धर्म है हम धर्म को पर्यावरण एवं पर्यावरण को धर्म से अलग नहीं कर सकते। राम का जीवन पर्यावरण केन्द्रित है या हम यह भी कह सकते है कि राम ने अपना पूरा जीवन पर्यावरण के संरक्षण में लगा दिया। राम का वन को जाना जो पूर्व निर्धारित था तथा रावण वध का कारण बनना था। रामचरित मानस में पृथ्वी बृम्हा जी के पास जाती है और उनसे प्रार्थना करती है। पृथ्वी जो मानव पर्यावरण स्थली है। जिसके बिना मानव सभ्यता असम्भव है। वृतांत मिलता है कि जहाँ पृथ्वी को गाय का रूप धारण करना पड़ा यहाँ तक ही नहीं रावण से बचने के लिए देवताओं को सुमेरू पर्वत की शरण लेनी पडी। यहाँ पर ध्यान देने की बात यह है कि रावण के द्वारा पर्यावरण का गलत तरीके से दोहन करना। यहाँ पर देवता का तात्पर्य अग्नि, वायु, पृथ्वी एवं अन्य प्राकृतिक संसाधन से है जिसका नाश एवं गलत दोहन कर संकट रावण के द्वारा उत्पन्न किया जा रहा था।

मानव जीवन का आधार स्वस्थ्य एवं स्वच्छ पर्यावरण है। इस सृष्टि को रचने में जलवायु, सूर्य, पृथ्वी और वनस्पति तथा जैव विविधता की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। प्राकृतिक संसाधनों के दोहन के कारण आज नई-नई समस्याएं जन्म ले रहीं हैं जिनमें भूकंप, ज्वालामुखी, सुनामी, चक्रवात, अम्लीय वर्षा, भू-स्खलन, पृथ्वी पर स्थलजलमग्नता आदि हैं। मानव सभ्यता प्रकृति का एक हिस्सा है या फिर ऐसा कहे कि हम प्रकृति द्वारा निर्मित हैं। केवल हम ही नहीं जो भी हम अपने चारों ओर देखते हैं वह भी प्रकृति द्वारा अपनी कल्पना से रचा है। भारतीय संस्कृति इतनी समृद्ध है कि हमें हमारे प्राचीन साहित्य से ही पर्यावरण संरक्षण का ज्ञान प्राप्त हो जाता है। प्राचीन भारतीय धर्म ग्रन्थ जिसमें प्रमुख रूप से ऋग्वेद, यजुर्ववेद, अथर्ववेद, उपनिषद, स्मृतियॉं, महाभारत, श्रीमद्भगवत्गीता

तथा रामायण है। जिनमें हम पर्यावरण के साथ संबंध एवं पर्यावरण सरक्षण एवं पर्यावरण के विभिन्न रूपों के दर्शन होते है। रामचरित मानस के अंतर्गत पर्यावरण संरक्षण एवं प्रकृति से सम्बन्धित कुछ विवरण इस लेख के माध्यम से प्रस्तुत किया जा रहा हैं।

चलत दसानन डोलति अवनी। गर्जत गर्भ स्त्रवहिं सुर रवनी।।
रावन आवत सुनेउ सकोहा। देवन्ह तके मेरू गिरि खोहा।।[3]

रावण के आनाचार या पर्यावरण के गलत रूप से दोहन की कल्पना की जा सकती है उसके चलने से पृथ्वी हिलने लगती है और उसकी गर्जन ध्वनि जिसमें वायु प्रदूषण की तरह इंगित करता है जिस कारण से गर्भ गिरने की बात कही गई है जो कि वर्तमान वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित भी है। रामचरित मानस में रावण के क्रोध को इतना प्रचंड बतलाया गया है कि रावण को आते हुए सुनकर देवता सुमेरू पर्वत की गुफा में आश्रय लिया अर्थात प्रकृति की शरण में देवो को भी आना पड़ा।

गिरि सरि सिंधु भार नहिं मोही। जस मोहि गरूअ एक परद्रोही।।
सकल धर्म दखइ बिपरीता। कहि न सकइ रावन भय भीता।।[4]

पृथ्वी अपनी बिडंबना ब्रह्माजी से कहती है और बतलाती है कि पर्वतों नदियों और समुद्रों का बोझ इतना भारी नहीं जान पड़ता, जितना भारी मुझे एक परद्रोही अर्थात रावण लगता है। पृथ्वी सारे धर्मों को विपरीत देख रही है, यहाँ पर यह भी ध्यान देने कि बात है कि राम चरित मानस में किसी विशेष धर्म या जाती पर विपत्ति की बात नहीं कही गई अपितु उस समय पर प्रचलित सभी धर्मों पर रावण के द्वारा छोडे गये विपरीत प्रभाव को ध्यान दिया गया। यहाँ पर पृथ्वी को रावण के अधीन और भयभीत दर्शाया गया जिस कारण से रावण के कुकृत्यों के विपरीत कुछ वोल नहीं सकती।

रावण के द्वारा प्रकृति का गलत रूप से दोहन किया गया और उसके द्वारा संपूर्ण मानव पर्यावरण एवं प्राकृतिक पर्यावरण जिसके अंतर्गत संपूर्ण पृथ्वी, आकाश एवं जल स्रोत सम्मिलित है, का गलत उपयोग किया और उनको अपने अधीन कर लिया। राम का जन्म रावण रूपी बुराई को दूर करने के लिए किया गया। राम प्रकृति से प्रेम करने वाले एवं प्राकृतिक जीवन जीने वाले जीवंत ख्याति है। राम जी को चाहे आश्रम जीवन हो चाहे वन वासी जीवन चाहे लक्ष्मण संजीवनी उपयोग हो।

राम चरितमानस में जब राम चंद्र जी गुरू यज्ञ की रक्षा कर गुरू आज्ञा से जनकपुरी जाते है और सुबहा मुर्गे की बांग[4] सुन कर गुरू के पहले राम-लक्ष्मण जी का उठना और उठकर नित्य क्रिया उपरांत गुरू की आज्ञा से पूजा

जाना[५] प्रकृति प्रेम को इंगित करता है। राम चरित मानस में प्रकृति के प्रति प्रेम विशेष रूप से स्पष्ट दर्शाया गया है।

भूप बागु बर देखेउ जाई। जहँ बसंत रितु रहीं लोभाई।।
लगे बिपट मनोहर नाना। बरन बरन बर बेलि बिताना।।[६]

राम और लक्ष्मण जाकर राजा का सुन्दर बाग देखते है, जहाँ वसन्त ऋतु अपनी ओर आकर्षित कर रही है। मनको लुभानेवाले अनेक वृक्ष लगे हैं। रंग-बिरंगी उत्तम लताओं के मण्डप छाये हुए हैं। यहाँ पर प्रकृति के मनोहर दृश्य को बतलाया गया है कि भगवान भी प्रकृति के वंशी भूत हो जाते है।

नव पल्लव फल सुमन सुहाए। निज संपति सुर रूख लजाए।।
चातक कोकिल कीर चकोरा। कूजत बिहग नटत कल मोरा।।[७]

नये पत्तों, फलों और फूलों से युक्त सुन्दर वृक्ष अपनी सम्पत्ति से कल्प वृक्ष को भी लजा रहे हैं। पपीहे, कोयल, तोते चकोर आदि पक्षी मीठी बोली बोल रहे हैं और मोर सुन्दर नृत्य कर रहे हैं। पर्यावरण को संरक्षण प्रदान करने वाले पत्तों, फलों, फूलों युक्त सुन्दर वृक्षों की कल्पना कल्प वक्ष से भी ज्यादा की गई है। साथ ही साथ पक्षियों जिनके अंतर्गत पपीहे, कोयल, तोते और चकोर की सुन्दर आवाज तथा मोर के सुन्दर नृत्य के दृश्य को दर्शित किया गया है। मानस काल में राजाओं के द्वारा पर्यावरण का संरक्षण किया जाता और वन्य प्राणियों एवं जीव जंतुओं को संरक्षण प्रदत्त किया जाता है जिससे प्रकृति संतुलन बना रहता हैं।

मध्य बाग सरु सोह सुहावा। मनि सोपान बिचित्र बनावा।।
बिमल सलिलु सरसिज बहुरंगा। जलखग कूजत गुंजत भृंगा।[८]

बागके बीचोबीच सुहावना सरोबर सुशोभित है, जिसमें मणियों की सीढ़ियाँ विचित्र ढंग से बनी हैं। उसका जल निर्मल है, जिसमें कई रंगों के कमल खिले हुए हैं, जल के पक्षी कलरव कर रहे हैं और भ्रमर गुंजन कर रहे हैं। सरोबर के निर्मल जल, कमल, जलके पक्षी एवं भवरा के गुजन प्राकृतिक पर्यावरण का एक महत्वपूर्ण भाग है।

बागु तड़ागु बिलाकि प्रभु हरषे बंधु समेत।
परम रम्य आरामु यहु रामहि सुख देत।।[९]

बाग और सरोवर देखकर प्रभु श्रीरामजी भाई लक्ष्मण सहित हर्षित हुए। यह बाग वास्तव में परम रमणीय है, जो जगत् को सुख देने वाले रामचंद्र जी को सुख दे रहा है। प्राकृतिक पर्यावरण की यह विशेषता है कि वह भगवान तक को मोहित कर लेती है और भगवान स्वयं प्रकृति में निवास करते है। भगवान को पुष्प का अर्पन करना भगवान को अपने पास बुलाने का एक माध्यम है क्योंकि प्रभु प्रकृति का भाग होते हुए स्वयं प्रकृति है।

श्री रामचरितमानस में राम चंद्र सिंहस्त होते ही सभी जगह हर्षोल्लास छा गया भय और शोक कहीं दूर तक नजर नहीं आता। मानो सभी प्रकार के दैहिक, दैविक और भौतिक तपों से मुक्ति मिल गई हो। इसका मुख्य कारण राम राज्य निर्मल होना प्रदूषण मुक्त होना है। रामराज्य में प्रकृति स्वयं उपहार देती है। यदि हम सही अर्थ में देखे तो प्रकृति हमें वह सब कुछ देती है जो हमारी आवश्यकता है। मनुष्य को प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित करते हुए विवेक पूर्ण तरीके से रहना हैं। हमें हमारे पास उपलब्ध संसाधनों का उपयोग इस प्रकार से करना है कि हम प्रकृति पर कोई गलत प्रभाव न डालें। इसे ही हम पोषणीय विकास के नाम से भी जानते है।

उत्तर दिसि सरजू बह निर्मल जल गंभीर।
बाँधे घाट मनोहर स्वल्प पंक नहिं तीर।।[१०]

अयोध्यापुरी के उत्तर दिशा में सरयूजी बह रही हैं, जिनका जल निर्मल और गहरा है। सुन्दर घाट बँधे हुए हैं, किनारों पर जरा सी भी गंदगी नहीं दिखाई देती। इस समय प्राकृतिक पर्यावण के संरक्षण का उल्लेख मानस में मिलता है जिसमें सरयू नदीं के शुद्ध निर्मल जल की बात कही जाती है तो दूसरी ओर कहा गया है कि सरयू जी के किनारों पर गंदगी नाम की कोई चीज नहीं मिलती। इसकी कल्पना हम वर्तमान पर्यावरण से करे तो नदीं और तालाबों की सीमाओं पर कब्जा हो चुके है नदीं में पानी केवल बर्षा रितु में वह भी बाढ़ के रूप में देखने को मिलता है। वर्तमान समय में हमारे प्राकृतिक पर्यावरण का संतुलन बिगड़ गया है।

दूरी फराक रूचिर सो घाटा। जहँ जल पिअहिं बाजि गज ठाटा।।
पनिघट परम मनोहर नाना। तहाँ न पुरूष करहिं अस्नाना।।

अलग कुछ दूरी पर वह सुन्दर घाट है, जहाँ घोडों और हाथियों के झुण्ड पानी पीते है। पानी भरने के लिए अलग से घाट हैं। जो कि बहुत ही सुन्दर है। वहाँ पुरूष स्नान नहीं करते। पशुओं को पानी की व्यवस्था। पानी पीने के लिए अलग घाट और स्नान के लिए अलग से घाट की व्यवस्था की गई से जिससे स्वास्थ्य प्रकृति में संतुलन स्थापित हो सके एवं रोग दूर रहें।

राजघाट सब बिधि सुंदर बर।। मज्जहिं तहाँ बरन चाउि नर।।
तीर तीर देवन्ह के मंदिर। चहँ दिसि तिन्ह के उपबन सुंदर।।

राजघाट सभी तरह से सुन्दर और श्रेष्ठ है, जाहाँ चारों वर्णों के पुरूष स्नान करते हैं। सरयू जी के किनारे पर सन्यासी लोग निवास करते है। किनारे पर तुलसी झुंड है एवं पेड़ ऋषि मुनियों ने लगा रखे है। तुलसी एक औषधि है जिसके कई प्रकार से उपयोग होते है। हयाँ पर मानव पर्यावरण के सम्बन्ध में भी महत्वपूर्ण बात कहीं गई और रामचरित मानस में स्पष्ट रूप से उल्लेख करते हुए तुलसीदास जी कहते है कि चारो वर्णों के लोग एक घाट पर विना किसी भेद-भाव

के दर्शन करते है अर्थात राम राज्य में किसी प्रकार का भेद-भाव नहीं था। यहाँ पर यह बात भी ध्यान देने की है कि राम राज्य में पीने के पानी की अलग से व्यवस्था थी और स्नान के लिए अलग से व्यवस्था की गई थी।

पुर सोभा कछु वरनि न जाई। बाहेर नगर परम रूचिराई।।
देखत पुरी अखिल अघ भागा। बन उपबन बापिका तड़ागा।।

गोस्वामी तुलसी दास रामचरितमानस में अयोध्या नगरी की सुन्दरता का वर्णन करते हुए कहते है कि नगर इतना सुन्दर है कि नगर की शोभा की व्याख्या करना मुश्किल है नगर के अंदर और बाहर दोनों ही ओर सुन्दरता व्याप्त है। अयोध्या नगरी के दर्शन मात्र से सम्पूर्ण पाप दूर हो जाते है। अयोध्या नगर में वन, उपवन, बावलियॉ और तालाब सुशोभित हैं।

बापीं तड़ाग अनूप कूप मनोहरायत सोहहीं।
सोपान सुंदर नीर निर्मल देखि सुर मुनि मोहहीं।।
बहु रंग कंज अनेक खग कूजहिं मधुप गुंजारहीं।
आराम रम्य पिकादि खग रव जनु पथिक हंकारहीं।।

अनुपम बावलियॉ, तालाब और मनोहर तथा विशाल कुऍं शोभायमान हैं, उनकी रत्नों से जड़ी सीढ़ियॉ और उनका निर्मल जल देखकर देवता और मुनि उनकी ओर आकर्षित हो जाते है। तालाबों में अनेक रंग के कमल खिल रहे है। कई प्रकार के पक्षी कलरव और भौरे गुंजन कर रहे हैं, रमणीय बगीचे में कोयल आदि की आवाज सुनकर राहगीर उनकी ओर आकर्षित हो जाते है।

राम पदारबिंद सिर नायउ आइ सुषेन।
कहा नाम गिरि औषधी जाहु पवनसुत लेन।।"

जब लक्ष्मण जी को शक्ति वाण लगता है और मूर्छित होकर गिर जाते है तब जाम्बन्त जी सलाह देते है कि लंका में ऐक सुषेण नामक एक वैद्य रहता है तब हनुमान जी लघु रूप धारण कर लंका जाते है और उसे घर समेत वहीं उठा कर ले आते है।[१२] सुषेण ने आकर श्री राम जी के चरण वंदन में सर को झुकाया और पर्वत और औषधि का नाम बतलाया और कहा हे पवनपुत्र औषधि लेकर आओ। यहाँ पर यह वृतांत बतलाना इसलिए आवश्यक हो जाता है क्योकि औषधि और पर्वत जो कि प्रकृति की देन है और पर्यावरण का एक भाग है। यहाँ पर पवनपुत्र जो कि वानर रूप में है जा कर औषधि लाते है और हनुमान जी के माध्यम से लक्ष्मण जी का जीवन संकट से बाहर आ जाता है।

पर्यावरण और मनुष्य का गहरा संबंध रहा है। मनुष्य जब से पृथ्वी पर आया है उसने पर्यावरण के साथ अपने को जोड़ रखा है। वन, पर्वत, नदियों, महासागर, सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, वायु जल इत्यादि का मनुष्य ने शुरू से ही प्रयोग किया है। लकड़ी भोजन, वस्त्र औषधि इत्यादि प्राप्त करने हेतु मनुष्य ने प्राकृतिक

संपदा का उपयोग किया है तथा वर्तमान में भी कर रहा है। समय के साथ-साथ मनुष्य की आवश्यकताओं ने भी अपना आकार बढ़ा लिया। वनों के विनाश, वायु तथा जलीय प्रदूषण एवं मृदा में कीटनाशक दवाओं के बढ़ते हुए प्रयोग ने वातावरण में कई परिवर्तन किए हैं। अकाल, भूकंप, महामारी, सूखा अतिवृष्टि, तरह-तरह के रोग मानव सभ्यता के विनाश का कारण बने हुए हैं। सभी जीव पर्यावरण के प्रति सजग रहते हैं। अपने जीवन चक्र को चलाने के लिए पर्यावरण से संयोजन बनाए रखते हैं। पर्यावरण के परिवर्तन के साथ उनके समायोजन की क्रियाविधि जैव व अजैव एक दूसरे में इस प्रकार मिश्रित हैं कि उनको अलग करके देखना कठिन है।

पर्यावरण प्रदूषण की समस्या न केवल भारत वल्कि संपूर्ण विश्व को अपने आयाम में समेटती जा रही है, यदि संपूर्ण विश्व के देश अपने द्रुतगामी विकास पर नियंत्रण नहीं रखते तो इसका गंभीर परिणाम समग्र को भोगना पड़ेगा। भारतीय प्राचीन संस्कृति तपोवन-संस्कृति या अरन्यक संस्कृति के नाम से जानी जाती रही है। यदि हम मानस के द्वारा दिये गये सिद्धांतों एवं मानव दर्शन का उपयोग करे तो न ही भौतिक पर्यावरण और न ही मानव पर्यावरण और न ही मानव पर्यावरण ही दूषित हो हमें आवश्यकता है तो वस उस ज्ञान को रखने की जो हमारी वैदिक संस्कृति एवं साहित्य से प्राप्त हुआ है। पर्यावरण संरक्षण के अंतर्गत जल संरक्षण, वायु संरक्षण, मृदा संरक्षण, वृक्ष संरक्षण एवं वन्य पशु संरक्षण आदि आता है। पौराणिक काल में हमारे ऋषि-मुनियों के द्वारा कलयुग के विषय में जो कुछ वर्णन किया था वह वर्तमान में सब कुछ उसी तरह से घटित हो रहा है जिसका परिणाम दिखाई देने लगा है, वर्तमान में कई पशु पक्षियों की प्रजातियॉ बिलुप्त होने की कगार पर है। कभी अत्यधिक वर्षा तो कभी अत्यधिक गर्मी का प्रकोप तो कभी सुनामी तो कभी हिमपात और भू-स्खलन जैसी घटनाएँ होने लगी है जो मानव जीवन को भी एक खतरे का रूप प्रदान करती है।

रामायण काल में पर्यावरण की चेतना जनमानस में थी जिसका वृतांत वाल्मीकि रामायण में एवं रामचरित मानस में गोस्वामी तुलसी दास जी के द्वारा किया गया है। राम के जन्म के समय हो या वन गमन के प्रकृति के मनोरम दृश्य का वर्णन हो सभी में वन, पर्वत, घने जंगल एवं सुन्दर नदियों के किनारे सारस, मोर, चकोर एवं चक्रवाक पक्षी आनंद में विचरण करते हुए दर्शाये गये हैं। सुन्दर जलाशय, नदीं, झरने, बावरी एवं सरोवर आदि के मनोरम दृश्य की वात कही गई। जंगल में जंगली जानवर जिसमें हिरन, हाथी, गैंडे, वाराह और शेर विना डर के घूम रहे थे इसका तात्पर्य है कि उस समय का पर्यावरण बहुत ही उन्नत था। चरागाह, तालाब हरित भूमि, वन उपवन में सभी जीव आनंद पूर्वक रहते थे। यानि

हम इस काल का अनुसरण करे तो हमारी सभी समस्याओं का समाधान मिल जायेगा और हम स्वस्थ्य जीवन जी सकते है।

वायु प्राणः विन्दते जगत[१३]

महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण के अंतर्गत भी रामराज्य के आदर्शों को समाहित किया गया है। रामायण एक प्राचीन महाकाव्य है। रामायमण में उच्चकोटि का जीवन मिलता है जिसके अंतर्गत प्राकृतिक पर्यावरण के समस्त तत्वों को सम्मिलित किया गया है जिसमें प्राकृतिक सौन्दर्य जिसके अंतर्गत वन, नदीं, वनस्पतियॉं, तालाब, झरने, झील, पशु-पक्षी, पहाड़ एवं पर्वत आदि का उल्लेख मिलता है।

संदर्भ सूची-

१. श्री रामचरितमानस बालकाण्ड/२२६/२
२. श्री रामचरितमानस बालकाण्ड/१८१/३
३. श्री रामचरितमानस बालकाण्ड/१८३/३
४. श्री रामचरितमानस बालकाण्ड/२२६
५. श्री रामचरितमानस बालकाण्ड/२२६/१
६. श्री रामचरितमानस बालकाण्ड/२२६/२
७. श्री रामचरितमानस बालकाण्ड/२२६/३
८. श्री रामचरितमानस बालकाण्ड/२२६/४
९. श्री रामचरितमानस बालकाण्ड/२२७
१०. श्री रामचरितमानस उत्तरकाण्ड/२८
११. श्री रामचरितमानस लंकाकाण्ड/५५
१२. श्री रामचरितमानस लंकाकाण्ड/५४/४
१३. वाल्मीकि रामायण ७/३२/६२

***

ISSN : 0975-3664
RNI : U.P.BIL/2012/43696
UGC No. : 41386

शोध - धारा
SHODH DHARA

(A peer reviewed Quarterly Research Journal of Humanities & Social Sciences with **Grade 'A'** & **Impact Factor 5-10**)

Year : 2018 **Month : JUNE** **Vol. 2**

Chief Editor
Dr. (Smt.) Neelam Mukesh
Editor
Dr. Rajesh Chandra Pandey

49

बिलासपुर संगोष्ठी विशेषांक

Guest Editor
Dr. (Smt.) Rajesh Chaturvedi
Guest Co-Editor
Dr. Kiran Thakur

Published by : Shakshik Avam Anusandhan Sansthan, Orai (Jalaun) U.P.

SHODH-DHARA
शोध-धारा
Year : 2018
JUN 2018
Vol.2
Quarterly Research Journal

Publisher : **Dr. Rajesh Chandra Pandey** (General Secretary)
Shakshik Avam Anushandhan Sansthan
Orai (Jalaun) U.P.

Printer : **Customer Gallery**
Mauni Mandir, Orai (Jalaun) U.P.

Contribution :

One Volume	: 250/-
Individual Five Year	: 2000/- (For Research Scholar)
Individual Life Membership	: 3000/- (For Teachers & Others)
Institutional Five Year	: 2500/-
Institutional Life Membership	: 5000/-

(Duration of Life Membership is 10 year)

Note : All payments relating to this journal shall be made by draft in favoure of the "***Editor Shodh Dhara***", Payble at **Orai.**

Office : **Dr. (Smt.) Neelam Mukesh**
Chief Editor, Shodh-Dhara
1075, Bank Colony, Jalaun Road, Orai (Jalaun) 285001, U.P.
Mobile : 9450109471

: **Dr. Rajesh Chandra Pandey**
Editor, Shodh-Dhara
262, Pathakpura, Orai (Jalaun) 285001, U.P.
Mobile ; 9415592698, 9198204835
Email : shodhdharajournal2005@gmail.com

डॉ. राजेश चन्द्र पाण्डेय (महासचिव, शैक्षिक एवम् अनुसंधान संस्थान, उरई (जालौन)) मुद्रक, प्रकाशक और स्वामी द्वारा कस्टमर गैलरी, उरई (जालौन) से मुद्रित करवाकर शैक्षिक एवम् अनुसंधान संस्थान, उरई (जालौन) से प्रकाशित। संपादक –डॉ. राजेश चन्द्र पाण्डेय

Note : * The views expressed in the published articles are their writers own. The agreement of the Editorial Board or the Shodh Pratisthan is not necessary.
* Disputes, If any shall be decided by the court at Orai (Jalaun) U.P.

ISSN : 0975-3664 RNI : U.P.BIL/2012/43696, UGC :41386

शोध - धारा
SHODH-DHARA

(मानविकी एवं समाज विज्ञान पर केंद्रित पीयर रिव्यूड त्रैमासिक शोध–जर्नल 'ए' ग्रेड प्राप्त)
(A peer reviewed Quarterly Research Journal of Humanities & Social Sciences with 'A' Grade)
Year 2018 JUN Vol. 2

अनुक्रम Contents

शीर्षक	लेखक	पृ०सं०
१. राष्ट्र विकास और सामाजिक चिन्तन	साहनु राम महेन्द्र डॉ० सुधीर सिंह गौर डॉ० बी.पी. देवांगन	1-6
२. राष्ट्र के विकास में धर्म एवं संस्कृति की भूमिकाः एक समाजशास्त्रीय अध्ययन	डॉ० (श्रीमती) अंजू शुक्ला डॉ० स्वाती शर्मा	7-11
३. राष्ट्र विकास के संदर्भ में वैश्वीकरण	डॉ० श्रीमती नंदिनी तिवारी डॉ० संजय कुमार तिवारी	12-18
४. राष्ट्र विकास में धर्म और संस्कृति का चिंतन	डॉ० सुनीता राठौर	19-23
५. राष्ट्र विकास में राष्ट्रवादी विचारधारायें	डॉ० महेश कुमार शुक्ल	24-28
६. सनातन धर्म एवं संस्कृति में प्रतिबिम्बित राष्ट्र–भारत	डॉ० राजीव शर्मा डॉ० अजय कुमार सिंह	29-31
७. राष्ट्र की अवधारणा और भारतीय चिंतन	श्रीमती कांति अंचल	32-34
८. राष्ट्र विकास और भारत में प्रगतिशील सांस्कृतिक आंदोलन	डॉ० दिनेश कुमार पाण्डेय श्रीमती श्वेता पंड्या	35-40
९. राष्ट्रः चेतना और प्रकृति	डॉ० फुलसो राजेश पटेल	41-43
१०. राष्ट्र के विकास मे धर्म और संस्कृति का चिंतन	डॉ० रेखा दुबे	44-45
११. व्यक्तित्व एवं राष्ट्र निर्माण पर विवेकानन्द के कालजयी विचार	डॉ० आलोक वर्मा डॉ० मंजू पाण्डेय	46-48
१२. धर्म चिंतन और राष्ट्र विकास	डॉ० तारणीश गौतम	49-53
१३. राष्ट्र विकास में धर्म और संस्कृति का चिंतन	डॉ० ए.एल. धुवंशी डॉ० सुरेश मणि त्रिपाठी	54-58
१४. राष्ट्र विकास और गांधी चिंतन	डॉ० एम.पी. रोहणी	59-61
१५. राष्ट्र विकास में औद्योगिकी नीति का योगदान	डॉ० (श्रीमती) संजू पाण्डेय डॉ० प्रवीण कुमार पाण्डेय	62-66
१६. राष्ट्र विकास के आर्थिक आयाम	डॉ० एस.पी. भारद्वाज डॉ० जी.सी. भारद्वाज	67-69
१७. पर्यावरण संरक्षण और आर्थिक विकास	डॉ० डी.के. सिंह	70-73
१८. सतत् विकास का लक्ष्य और भारत	डॉ० हेमचन्द्र पाण्डेय	74-77

१६. भारतीय राष्ट्रवाद के विकास में प्रेस की भूमिका	अतुल कुमार मिश्र	78-82
२०. अरविंद अडिगा के उपन्यास 'द व्हाईट टाईगर' में राष्ट्र विकास का चिंतन	डॉ० सावित्री त्रिपाठी	83-88
२१. राष्ट्र निर्माण में संस्कृत की भूमिका	श्रीमती उत्तरा निराला श्री रामकुमार सिंह कंवर	89-92
२२. पूर्व मध्ययुगीन हिन्दी–साहित्य और राष्ट्रीय एकता	डॉ० (श्रीमती) उषा तिवारी डॉ० आर.के. तिवारी	93-96
२३. राष्ट्र के विकास में हिन्दी भाषा की भूमिका	डॉ० सत्येन्द्र कुमार कश्यप श्री अनिल कुमार नेताम	97-99
२४. राष्ट्र के निर्माण में भाषा का योगदान	डॉ. रेशमा अंसारी डॉ. कमलेश गोगिया	100-102
२५. राष्ट्र विकास में छायावादी कवियों का योगदान (महात्मा गांधी के संदर्भ में)	श्रीमती भारती धुमाल	103-105
२६. राष्ट्रभाषा की अवधारणा एवं हिन्दी	डॉ० मधुमति सरोटे	106-108
२७. राष्ट्र विकास में कवियों का योगदान	डॉ० (श्रीमती) राजेश चतुर्वेदी	109-111
२८. हिन्दी कविता मे जनवादी चेतना	डॉ. (श्रीमती) जय्श्री शुक्ल	112-114
२९. राष्ट्र विकास में साहित्य चिंतन	श्रीमती श्वेता शर्मा	115-118
३०. राष्ट्र विकास और साहित्य चिंतन (भारतेन्दु युग के विशेष सन्दर्भ में)	लक्ष्मी प्रसाद कर्ष	119-124
३१. राष्ट्रीय चेतना का संवाहक : साहित्य	डॉ० शशि अवस्थी	125-127
३२. राष्ट्र विकास और साहित्य चिंतन	डॉ. अलका पंत	128-131
३३. राष्ट्र विकास और भारतीय राजनीतिक चिंतन (कौटिल्य के विशेष संदर्भ में)	असीम बाजपेयी	132-135
३४. राष्ट्रविकासः राजनीति एवं प्रबंधन की दृष्टि से	डॉ० गोमती सिंह	136-140
३५. राष्ट्र विकास और राजनीतिक चिंतन	ईश्वरी बृजबासी सूर्यवंशी	141-143
३६. राष्ट्र विकास और राजनीतिक चिंतन	डॉ० आभा तिवारी डॉ० एम.एस. तंबोली	144-147
३७. राष्ट्र के विकास में संगीतिक और वैज्ञानिक चिंतन का स्वरूप	श्रीमती अर्चना दीवान डॉ. (श्रीमती) कविता ठक्कर	148-150
३८. राष्ट्र विकास में वैज्ञानिक चिंतन	अली हसन	151-152
३९. विकास, पर्यावरण एवं पर्यावरण संरक्षण कानून	डॉ० राम आशीष श्रीवास्तव	153-159
४०. राष्ट्र निर्माण में सतत् विकास तथा पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन	श्रीमती सीमा जायसी डॉ० रवीन्द्र जायसी	160-167
४१. राष्ट्र विकास का पर्यावरणीय चिंतन	डॉ० कावेरी दाभड़कर	168-172
४२. पर्यावरणीय राष्ट्रवाद	डॉ० के.आर. मतावले	173-176
४३. राष्ट्र विकास में नारी की भूमिका	श्रीमती करूणा गायकवाड़	177-180
४४. ग्रामीण महिलाओं के विकास में स्व सहायता समूहों	डॉ० सुजाता सैमुअल	181-184

ISSN : 0975-3664, RNI : U.P.BIL/2012/43696, UGC NO. : 41386
SHODH-DHARA ; JUN 2018; Vol. 2; P. 153-159

विकास, पर्यावरण एवं पर्यावरण संरक्षण कानून

डॉ० राम आशीष श्रीवास्तव,

सहायक प्राध्यापक, शासकीय नवीन विधि महाविद्यालय, **भाटापारा-बलौदाबाजार, छत्तीसगढ़**

(प्राप्त : १० मई २०१८)

Abstract

प्रस्तुत शोध पत्र का उद्देश्य है कि क्या पर्यावरण संरक्षण विकास के साथ साथ किया जा सकता है। इस संबंध में वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय दस्तावेज तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय का क्या विचार है। क्या न्यायालय पर्यावरण के संरक्षण में विशेष भूमिका अदा कर रहा है? क्या अंतर्राष्ट्रीय प्रयास इस दिशा में प्रभावशाली रहे? साथ ही साथ यह ज्ञात करना कि पर्यावरण संरक्षण से संबंधित विधियो के प्रावधान किस प्रकार से कार्य कर रहे हैं?

Figure : 00 **References : 09** **Table : 00**

Key Words : विकास का पर्यावरणीय परिद श्य, पर्यावरणीय कानून, पर्यावरण संरक्षण

'क्षिति जल पावक गगन समीरा। पंच रचित यह अधम शरीरा'।।

मानव जीवन का आधार स्वस्थ्य एवं स्वच्छ पर्यावरण है। इस स ष्टि को रचने में जलवायु, सूर्य, प थ्वी और वनस्पति तथा जैव विविधता की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। प्राकृतिक संसाधनों के दोहन के कारण आज नई–नई समस्याएं जन्म ले रहीं हैं; जिनमें भूकंप, ज्वालामुखी, सुनामी, चक्रवात, अम्लीय वर्षा, भू–स्खलन, प थ्वी पर स्थल जलमग्नता आदि हैं। मानव सभ्यता प्रकृति का एक हिस्सा है या फिर ऐसा कहें कि हम प्रकृति द्वारा निर्मित हैं; केवल हम ही नहीं जो भी हम अपने चारों ओर देखते हैं, वह भी प्रकृति द्वारा अपनी कल्पना से रचा है।

पर्यावरण और मनुष्य का गहरा संबंध रहा है। मनुष्य जब से प थ्वी पर आया है; उसने पर्यावरण के साथ अपने को जोड़ रखा है। वन, पर्वत, नदियों, महासागर, सूर्य, चंद्रमा, प थ्वी, वायु जल इत्यादि का मनुष्य ने शुरू से ही प्रयोग किया है। लकड़ी, भोजन, वस्त्र, औषधि इत्यादि प्राप्त करने हेतु मनुष्य ने प्राकृतिक संपदा का उपयोग किया है तथा वर्तमान में भी कर रहा है। समय के साथ–साथ मनुष्य की आवश्यकताओं ने भी अपना आकार बढ़ा लिया। वनों के विनाश, वायु तथा जलीय प्रदूषण एवं म दा में कीटनाशक दवाओं के बढ़ते हुए प्रयोग ने वातावरण में कई परिवर्तन किए हैं। अकाल, भूकंप, महामारी, सूखा, अतिव ष्टि, तरह–तरह के रोग, मानव सभ्यता के विनाश का कारण बने हुए हैं। सभी जीव पर्यावरण के प्रति सजग रहते हैं। अपने जीवन चक्र को चलाने के लिए पर्यावरण से संयोजन बनाए रखते हैं। पर्यावरण के परिवर्तन के साथ उनके समायोजन की क्रियाविधि जैव व अजैव एक दूसरे में इस प्रकार मिश्रित हैं कि उनको अलग करके देखना कठिन है। अनंत तत्वों में जलवायु प्रमुख है। उसी प्रकार नैतिक तत्वों में मनुष्य प्रमुख है। जलवायु व मनुष्य दोनों तत्वों की भूमिका जीव मंडल की व्यवस्था व क्रियाशीलता में सर्वोच्च है।

पर्यावरण प्रदूषण की समस्या न केवल भारत बल्कि संपूर्ण विश्व को अपने आयाम में समेटती

जा रही है। यदि संपूर्ण विश्व के देश अपने द्रुतगामी विकास पर नियंत्रण नहीं रखते तो इसका गंभीर परिणाम समभी को भोगना पड़ेगा। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के द्वारा जिन उद्घोषणाओं, अभिसमय, प्रसंविदा एवं नियमों को प्रतिपादित किया गया है; उनमें से कुछ का यहाँ पर वर्णन किया जा रहा है। १९४८ में अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार की घोषणा की गई और १९६० के दशक में पर्यावरण के मानवअधिकार के अंग के रूप में पहचान प्राप्त हुई। मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र का मानव पर्यावरण स्टाकहोम सम्मेलन १९७२ में स्वीडन के स्टाकहोम शहर में आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानव पर्यावरण के संरक्षण तथा सुधार की विश्व व्यापी समस्या का निदान करना। इस सम्मेलन में पहली बार ११९ देशों में 'एक ही प थ्वी' का सिद्धांत स्वीकार किया गया। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के अंतर्गत शासी परिषद् ने अपना प्रथम सम्मेलन १९७३ को जेनेवा में आयोजित किया। जिसमें वातावरण, सामूहिक पर्यावरण, भूमि पर्यावरण, खाद्य पर्यावरण, कृषि पर्यावरण, स्वास्थ्य पर्यावरण, ऊर्जा पर्यावरण, पर्यावरण संबंधी प्रदूषण एवं मनुष्य तथा पर्यावरण प्रबन्धन आदि विषयों पर बैठकें आयोजित की गई।

विकास की गति तीव्र होने एवं प्रतिस्पर्धा के कारण मनुष्य प्रदूषण से होने वाले दुष्परिणामों से अवगत होने के बावजूद पर्यावरण प्रदूषण के प्रति निष्क्रिय हैं। इस कारण वर्तमान समय में विकास की धुरी पर आश्रित हैं। प्रत्येक व्यक्ति एवं राष्ट्र विकास की ओर जाये तो पर्यावरण को खतरा होगा और यदि पर्यावरण को ध्यान दिया जाये तो विकास होना असंभव हो जायेगा। इस समस्या के समाधान के लिए एक ऐसा बीच का रास्ता जिससे कि विकास भी हो और पर्यावरण विकास का सर्वप्रथम प्रयोग सन् १९७४ में कोकोया सम्मेलन में किया गया। इस सम्मेलन में यह विचार किया गया कि पोषणीय विकास किस तथ्य पर बल देता है। अर्थात् विकास योजनाओं को किस प्रकार क्रियान्वित किया जिससे कि पर्यावरण की गुणवत्ता कायम रहे। पोषणीय विकास से आशय पारिस्थितिकीय और उसके विकास से संबंधित है। पोषणीय विकास, धारणीय, संध त, सतत् आदि विभिन्न नामों से जानी जाने वाली विद्या का बीजारोपण मानव पर्यावरण की संकल्पना के अभ्युदय के साथ ही प्रारंभ हो गया। संयुक्त राष्ट्र विकास सम्मेलन (यूएनईपी) और संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास सम्मेलन के संयुक्त प्रयास से अक्टूबर १९४७ में मोरक्को के कोकोयान स्थान पर आयोजित किया गया।बीसवीं शताब्दी के अंतिम तीन दशकों में स्वच्छ पर्यावरण के अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार का अस्तित्व में आना पर्यावरणीय विधि संरक्षण की दिशा में एक नयी क्रांति को जन्म दिया है। नये अधिकार प्रदान कराये गये; जैसे जीने का अधिकार, समुचित जीवन स्तर का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार, भोजन का अधिकार, आवास का अधिकार इत्यादि। परन्तु मानवधिकारों की श्रेणी में प थक स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार का जुड़ना एक विशिष्ट महत्व रखता है। संयुक्त राष्ट्र के मानव पर्यावरण कान्फेंस १९७२ की उद्देशिका में अंकित किया गया है कि मूल मानव अधिकारों के उपभोग के लिए पर्यावरण अत्यावश्यक है। उपभोग के लिए भी पर्यावरण अत्यावश्यक है। प्रथम सिद्धांत में घोषणा की गयी कि मनुष्य का मूलभूत अधिकार एक ऐसे गुणात्मक पर्यावरण का है, जिसमें गरिमायुक्त एवं सुखी जीवन की अनुमति के साथ स्वतंत्रता समानता और रहन–सहन की पर्याप्त सुविधाएँ उपलब्ध हों । अफ्रीकन चार्टर ऑफ ह्यूमन एण्ड पीपुल्स टसराइ १९८१ के अनुच्छेद २४ में स्पष्ट किया गया कि सभी लोगों का उनके विकार के अनुकूल सामान्य संतोषप्रद पर्यावरण का अधिकार होगा।

ओजोन परत संरक्षण वियना अभिसमय १९८५, को पूर्णाधिकारी दूत सम्मेलन द्वारा २२ मार्च १९८५ को स्वीकार किया गया, इस सम्मेलन को संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा आयोजित किया गया था।मानव अधिकारों की अमेरिकी प्रसंविदा के १९८८ के अनुच्छेद २९ में स्पष्टतः अपेक्षा की गयी कि बच्चों की शिक्षा व्यवस्था प्राकृतिक पर्यावरण के सम्मान में व द्धि को ध्यान में रखकर की जाय। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण तथा विकास सम्मेलन (प थ्वी सम्मेलन) रियो डी जेनेरियो ब्राजील १९९२ इस कार्यक्रम में १८२ देशों के प्रतिनिधि मण्डलों ने भाग लिया। इस सम्मेलन का प्रथम सिद्धान्त घोषित किया गया कि प्राणी पोषणीय विकास का केन्द्र बिन्दु है। वे प्रकृति से संगत स्वास्थ एवं स जनशील जीवन के हकदार हैं। पर्यावरण मानवाधिकार की स्थापना ने परिस्थितिकी मित्र संयंत्र की संकल्पना तथा पर्यावरण सहिष्णु आर्थिक विकास की अपेक्षा को विधिक दायित्व का अंग बनाया है। मानव पर्यावरण १९७२ के सिद्धांत ८ में स्पष्टतः कहा गया है कि 'आर्थिक एवं सामाजिक विकास मनुष्य के अनुकूल जीवन तथा काम करने योग्य पर्यावरण बनाए रखने तथा प थ्वी पर बेहतर जीवन के समुन्नस करने के लिए आवश्यक स्थिति निर्मित करने के लिए आवश्यक है। सन् १९९४ में दी इनर्जी चार्टर टीटी की अनु. १९ में अपेक्षा की गई की समझौते के पक्षकार पर्यावरण पर नुकसानप्रद प्रभाव डालने वाले तत्वों को प्रभावकारी आर्थिक तरीके से कम करने का प्रयास करेंगे। संयुक्त राष्ट्र मानव सम्मेलन हेबिटाट द्वितीय १९९६ में आयोजित किये गये। जिसे 'शहर सम्मेलन' के नाम से भी जाना जाता है। इस सम्मेलन की कार्यसूची के अंतर्गत अगली शताब्दी के प्रथम दो दशकों में विश्व के शहरों, नगरों तथा गाँवों के उचित विकास के लिए सभी स्तरों पर कार्यवाही तथा मार्गदर्शन की अपेक्षा की गई।

पर्यावरण प्रदूषण के प्रमुख कारण हैंः वन विनाश, तीव्र जनसंख्या व द्धि, अत्यधिक पशु चारण, निर्धनता, औद्योगीकरण, नगरीकरण, संसाधनों का अविवेकपूर्ण दोहन, तीव्र यातायात विकास, अनियोजित विकास, आधुनिक प्रौद्योगिकी, विश्व बाजार में प्रतिस्पर्धा, जन जागरूकता में कमी आदि प्रमुख हैं। मनुष्य उपरोक्त कारणों से कई समस्याओं को जन्म दे देता है, जिनमें प्रमुख हैंः बाढ़ और सूखा, भूमि क्षरण, मरुस्थलीकरण, जलवायविक व्यतिक्रम, भूकम्प और भूस्खलन, बीमारी और महामारी, वन्य जीव और प्रजातियों का विनाश आदि। भारत में भी पर्यावरण संरक्षण हेतु ४२ वें संविधान संशोधन अधिनियम १९७६ द्वारा अनुच्छेद ४८–क द्वारा संविधान में अंगीकृत किया गया। साथ ही भारतीय संविधान के अनुच्छेद ५१–क (छ) के अंतर्गत नागरिकों का यह मूल कर्त्तव्य बताया गया कि ''वह प्राकृतिक पर्यावरण की जिसके अन्तर्गत वन, झील नदी और वन्य जीव हैं की रक्षा करें, और उनका संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के प्रति दयाभाव रखें'' के रूप में परिणित किया गया। उच्चतम न्यायालय के द्वारा अभिनिर्धारित किया गया स्वस्थ पर्यावरण का अधिकार मूल अधिकार है। एम सी मेहता बनाम भारत संघ के वाद में चमड़े के कारखानों को बंद करने का आदेश जारी करते हुए उच्चतम न्यायालय ने पर्यावरणीय मूल्यों को वरीयमान माना। न्यायालय ने अभिमत व्यक्त किया हम लोग सजग हैं कि चमड़ा उद्योग को बंदी अभियोजन एवं वित्त हानि उत्पन्न कर सकती है, परन्तु जीवन, स्वास्थ्य एवं पारिस्थितिकी का लोगों के लिए ज्यादा महत्व है। इस प्रकार भारत के सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा विकास के पहलू को दरकिनार करते हुए पर्यावरण के लिए महत्वपूर्ण दर्जा प्रदान किया गया, जो कि हमारे जीवन से जुडा हुआ है। सुभाष कुमार बनाम बिहार राज्य के मामले में उच्चतम न्यायालय ने प्रदूषण से मुक्त जल एवं वायु के उपभोग

को अनु. २१ में सम्मिलित माना। पर्यावरणीय प्रदूषणकारिता प्रदूषित वातावरण को एक धीमा जहर मानते हुए इसके कारकों को बंद करने का आदेश दिया गया है। एम. सी. मेहता बनाम भारत संध– के मामले में मास्टर प्लान के उल्लंघन में निर्मित भवन के गिराये जाने के संबंध में न्यायमूर्ति वाई के सभरवाल और न्यायमूर्ति बी.ए.न अग्रवाल की पीठ ने अनु. २१ और ४८–ए का उल्लेख करते हुए कहा कि स्वच्छ, स्वास्थ्यप्रद एवं सुरक्षित पर्यावरण का अधिकार अपेक्षा करता है कि राज्य उन्हें सुनिश्चित करने के लिए कर्तव्य बद्ध हैं। एन. डी. जयाल बनाम भारत संघ के मामले में उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट किया कि स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार तथा विकास का अधिकार अनु. २१ में वर्णित मूलाधिकार के अभिन्न अंग हैं। टेहरी बांध से उत्पन्न पर्यावरणीय समस्या के बारे में न्याय पीठ ने स्पष्ट किया कि स्वास्थ्य पर्यावरण का अधिकार अनु. २१ में वर्णित मूलअधिकार है तथा बेघर हुए लोगों को पुनर्वास एवं जीविकोपार्जन की व्यवस्था आवश्यक की जानी चाहिए।सुसेथा बनाम तमिलनाडु राज्य के बाद में उच्चतम न्यायालय ने एक ध्वस्त,प्रयोगहीन तालाब को पाटकर पुनर्वास हेतु दुकानों के निर्माण की अनुमति तो दे दी। परन्तु अनुच्छेद २१,४८–। और ५१–।(ह) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों के संरक्षण हेतु ग्राम पंचायत को निर्देश जारी किया कि गॉव के आसपास के अन्य तालाबों का उचित रखरखाव कर सुनिश्चित किया जाय कि जल आपूर्ति में कमी न हो। आन्ध्र प्रदेश प्रदूषण परिषद् बनाम प्रो. एम. वी. नायडू के प्रकरण में पूर्व सतर्कता का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया। जिसके अंतर्गत क्षति की पूर्व कल्पना तथा इस क्षिति से बचने के उपाय करना या न्यूनतम पर्यावरण क्षति वाली गतिविधियों का चुनाव करना सम्मिलित है। पूर्व सतर्कता का सिद्धांत वैज्ञानिक अनिश्चितता पर केन्द्रित है।एम. सी. मेहता बनाम कमल नाथ के मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भारत में लोक न्याय के सिद्धांत को मान्यता प्रदान की। इस सिद्धांत के अनुसार वायु, जल, समुद्रतट, नदियॉ तथा वन जैसे प्राकृतिक स्रोत सामान्य जन को प्रकृति द्वारा प्रदत्त महत्वपूर्ण तथा बहुमूल्य उपहार के रूप में हैं। यह प्राकृतिक सम्पदा एक लोक न्यास है। सरकार इसकी न्यासी है एवं साधारण जनता इस न्यास की लाभार्थी है। यदि सरकार इस संपत्ति को व्यक्तिगत लाभ तथा मनोरंजन के लिए जिसमें मत्स्यपालन आदि उपयोग के लिए निजी हाथों में देती है, तो यह कहा जाएगा कि सरकार ने अपने न्यासी के कतर्व्य का पालन नहीं किया है तथा साधारण जनता इसके विरूद्ध उपचार प्राप्त करने की अधिकारी हैं।

मानवाधिकार पारिस्थितिकीय तौर पर स्वास्थ, पर्यावरण, पौषिणीय विकास और शन्ति एक दूसरे पर आश्रित एवं अविभाज्य हैं। सभी व्यक्तियों को सुरक्षित, स्वस्थ और पारिस्थितिकीय तौर पर स्वास्थ पर्यावरण का अधिकार है। यह अधिकार सार्वभौम, परस्पराश्रित और अविभाज्य है।वेल्लोर सिटीजन वेलफेरय फोरम बनाम यूनियम ऑफ इंडिया, के मामले में न्यायाधीश कुलदीप ने कहा कि, "हमें यह कहने में कोई हिचकिचाहट नहीं होगी कि पोषणीय विकास का सिद्धांत पारिस्थितिकतंत्र तथा विकास के मध्य संतुलनकारी परिकल्पना है तथा इसे पारम्परिक अन्तर्राष्ट्रीय विधि के अंग के रूप में स्वीकार कर लिया गया है तथापि इसके आवश्यक लक्षणों को अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के विशेषज्ञों द्वारा अन्तिम रूप दिया जाना शेष है। "माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने बम्बई डाई एण्ड मैन्युफेक्चरिंग कं.लि. बनाम एन्वायरनमेन्टल एक्शन ग्रुप के निर्णय में अभिनिर्धारित किया कि, विकास के कारण उद्योग एवं कारखानों की आवश्यकता समय के साथ बढ़ती जा रही है। और पर्यावरण की संरक्षा भी आवश्यक है तो ऐसे में संतुलित विकास

की ओर अग्रसर होना आवश्यक हो जाता है, अर्थात् संतुलित विकास की बनाये रखने की आवश्यकता है। वर्तमान में जहां एक तरफ पर्यावरण संरक्षण वहीं दूसरी ओर विकास की तीव्र गति यदि पर्यावरण को ध्यान में रखा जाये तो विकास होने की संभावना नहीं है। यदि विकास किया जाता है तो पर्यावरण संरक्षण नहीं हो पाता है। पोषणीय विकास एक ऐसा माध्यम है, जिसके द्वारा विकास के साथ–साथ पर्यावरण संरक्षण भी किया जा सकता है। रूरल लिटिगेशन एण्ड एन्टाइटिलमेंट केंन्द्र बनाम भारतीय संघ तथा रूरल लिटिगेशन एण्ड इन्टाइटिलमेंट केंन्द्र बनाम उत्तर प्रदेश राज्य महत्वपूर्ण वादों में देहरादून चूना पत्थर खदानों की खुदाई, जिससे वहाँ रहने वाले निवासियों को पर्यावरण प्रदूषण से हानि पहुँच रही थी। उच्चतम न्यायालय ने जाँच के लिए समिति की नियुक्ति की थी। समिति की रिपोर्ट पर खानों में खुदाई रोकने के आदेश दिये गये। एम.सी. मेहता व अन्य बनाम श्रीराम फूड एण्ड फर्टीलाइजर एवं भारत संघ के बाद में सर्वोच्च न्यायलय ने दिल्ली में स्थित श्रीराम फूड एण्ड फर्टिलाइजर इण्डस्ट्रीज की एक इकाई को ओलियम नामक खतरनाक गैस के विनिर्माण से रोक दिया। इंडियन काउन्सिल फार इनविरो लीगल एक्सन बनाम भारत संघ इस बाद में राजस्थान के उदयपुर जिले के बिवारी गाँव के आसपास का औद्योगिक क्षेत्र बना हुआ था, जिससे आसपास का जलवायु एवं जीवन को खतरा उत्पन्न हो गया। उच्चतम न्यायलय ने नेशनल पर्यावरण शोध संस्थान को उसकी जाँच करने संबंधी निर्देश दिये। शोध संस्थान की रिर्पाट के आधार पर सर्वोच्चय न्यायालय ने आदेश दिया कि बिना लायसेंस वाले कारखानों के विरूद्ध समुचित कार्यवाही की जाये। पूर्व वर्णित वादों के अलावा अन्य महत्वपूर्ण वाद भी है, जिनमें काउन्सिल फार इनविरों लीगल एक्शन बनाम भारत संघ बेल्लोर सिटिजन बेलफेयर फोरम बनाम भारत संघ एजगन्नाथ बनाम भारत संघ, पूर्व वणित वादों में सर्वोच्च न्यायालय ने संवैधानिक प्रावधानों के अंतर्गत पर्यावरण संरक्षण के लिये अत्यंत महत्वपूर्ण निर्णय दिये। मुरली एस देवड़ा बनाम भारत संघ सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करना वर्जित कर दिया गया और साथ ही निर्णय दिया कि अनुच्छेद २१ के अंतर्गत विधि द्वारा स्थपित प्रक्रिया से है। और किसी व्यक्ति का जीवन समाप्त नहीं जो कि मानव अधिकारों का प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से संरक्षण न करता हो। पूर्व वर्णित प्रावधानों एवं उच्चतम न्यायालय के निर्णयों से यह ज्ञात होता है कि संविधान के अंतर्गत पर्यावरण संरक्षण को विशेष महत्व दिया गया है।

पर्यावरण सीधे मानव के जीवन से संबंधित है। यदि पर्यावरण प्रदूषित किया जाता है,तो इसका अर्थ होगा मानव जीवन एवं उसके अस्तित्व को खतरे में डालना। यही कारण रहा है कि भारतीय दण्ड विधान में पर्यावरण संरक्षण को विशेष महत्व दिया गया है। भारतीय दण्ड संहिता १८६० एवं दण्ड प्रक्रिया संहिता १९७३ में पर्यावरण के संरक्षण को ध्यान में रखते हुए ऐसी व्यवस्था की गई। भारतीय दण्ड संहिता १८६० के अंतर्गत उपबंध किये गये हैं, लोक न्यूसेंस, जो ऐसा कार्य जिससे जनसाधारण को कोई क्षति, संकट बाधा, या क्षोभ कारित हो या ऐसा होना अवश्यंभावी हो। उपेक्षापूर्ण कार्य जिससे कि जीवन के लिए संकट पूर्ण रोग का संक्रमण फैलना संम्भाव्य हो, जो कोई विधि विरूद्ध रूप से या उपेक्षा से ऐसा कोई कार्य करेगा। जिससे जीवन के लिए संकट पूर्ण रोग का संक्रमण फैलाना सम्भाव्य हो, जो कोई विधि विरूद्ध रूप से या उपेक्षा से ऐसा कोई कार्य करेगा, जिससे कि वह जानता है कि वह विश्वास करने का कारण रखता हो कि जीवन के लिए संकटपूर्ण किसी रोग का संक्रमण फैलाना सभाव्य है, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि ६ मास तक की हो सकेगी या जुर्माना से या दोनों से

दंडित किया जायेगा। लोक जल स्त्रोत या जलाशय के जल कलुषित करना, जो कोई लोक जल स्त्रोत या जलाशय के जल को स्वेच्छा इस प्रकार भ्रष्ट या कलुषित करेगी कि वह उस प्रयोजन के लिए, जिसके लिए वह मामूली तौर पर उपयोग में आता हो कम उपयोग हो जाये, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि तीन मास तक हो सकेगी या जुर्माना से जो पाँच सौ रूपये तक को हो सकेगा,दण्डित किया जायेगा। वायुमण्डल को स्वस्थ के लिए अपायकर बनाना जो कोई किसी स्थान के वायुमण्डल को स्वेच्छया इस प्रकार दूषित करेगा कि वह जनसाधारण के स्वास्थ्य के लिए जो निवास या कारोबार करते हो, या लोक मार्ग में आते–जाते हों अपायकर बन जायें व जुमाने से जो पॉच सौ रूपये तक का हो सकेगा दण्डित किया जायेगा। भारतीय दण्ड संहिता १८६० के अंतर्गत पूर्व वर्णित धाराओं में पर्यावरण संरक्षण तथा प्रदूषण निवारण और नियंत्रण के लिए किसी व्यक्ति के विरूद्ध कार्यवाही की जा सकती है।

संहिता १६७३ के अंतर्गत किसी अपराध के निवारण के लिए क्या प्रक्रिया के विरूध कार्यवाही की जा सकती है। दण्ड प्रक्रिया संहिता १६७३ के अंतर्गत किसी अपराध के निवारण के लिए क्या प्रक्रिया अपनाई जायेगी। इस संबंध में महत्वपूर्ण प्रावधान किये गये हैं जो कि तामील या अधिसूचना जिस व्यक्ति को न्यूसेंस हटाने संबंधी आदेश संबोधित हो, वह उसका पालन करेगा या कारण दर्शित करेगा। असफल रहने का परिणम होगा कि उसे भारतीय दंड संहिता की धारा १८८ के अंतर्गत दंडित किया जायेगा। न्यूसेंस के अर्जेन्ट मामलों में आदेश जारी करने संबंधी प्रवधान है। भारत में पर्यावरण प्रदूषण निवारण और नियंत्रण के लिए विधायन हैः पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, १६८६; जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण)अधिनियम १६७४; जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण उपकर अधिनियम १६७७; वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम १६८१; भारतीय वायरल अधिनियम १६२३; भारतीय वन अधिनियम १६२७; वन संरक्षण अधिनियम; वन्य जीवन संरक्षण अधिनियम १६७२; लोक दायित्व बीमा अधिनियम; राष्ट्रीय पर्यावरण अभिकरण अधिनियम १६६५; पर्यावरण संरक्षण करने का मूल उद्देश्य पर्यावरण का संरक्षण और सुधार करना हैं।पर्यावरण प्रदूषण दूर करने हेतु उपाय जिनका यदि सही तरीके से उपयोग किया जाये तो पर्यावरण प्रदूषण को दूर किया जा सकता है। जिनमें प्रदूषण मुक्त प्रौद्योगिकी का विकास, जनसंख्या भार में कमि प्राकृतिक संसाधनों के अंधाधुंध विदोहन पर नियंत्रण, व क्षारोपण, सरकारी नीतियां और दंड विधान का उपबंध, जनजाग ति तथा पर्यावरण शिक्षा का प्रचार–प्रसार आदि प्रमुख हैं।

आज मनुष्य ने अपनी आवश्यकताओं को विस्त त कर लिया हैं। एक तरफ तो मानव पर्यावरण बिगड़ रहा है। मानव पर्यावरण का तात्पर्य है सामाजिक भेद–भाव से है। जहाँ एक के पास पीने का पानी नहीं है, वहीं दूसरा व्यक्तिगत विमान से चल रहा है और ईधन को पानी की तरह बहा रहा है। वर्तमान समय में यदि हम अंतर्राष्ट्रीय दस्तावेजों की बात करें तो पालन एक रूपता से नहीं हो पा रहा है। दस्तावेज एवं अंतर्राष्ट्रीय कानून छोटे एवं बड़े देशों के बीच में विभक्त है। विकसित देश पर्यावरण से संबंधित अपने वादों से मुकरते नजर आ रहे हैं। पर्यावरण की तो बात क्या है। विश्व में ऐसे परमाणु एवं नाभिकीय हथियार हैं जो पूरी दुनिया को पल भर में भस्म कर सकते हैं। भारत में पर्यावरण संरक्षण के नाम एवं सफाई अभियान के नाम पर अच्छे कार्य किये जा रहे हैं। किन्तु राशि की मात्रा अत्यधिक है। भारत में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा सराहनीय भूमिका अदा की गई है।

संदर्भ

१. बाबेल, बसंती लाल; पर्यावरण एवं कानून, सुविधि लॉ हाऊस भोपाल।
२ शुक्ल, व्ही. एन; कान्स्टीट्यूशन ऑफ इंडिया, ईस्टर्न बुक कंपनी लखनऊ।
३ राठी, आर.एल.; आधुनिक पर्यावरण विधि, यूनिवर्सिटी बुक हाऊस, जयपुर।
४ प्रसाद, अनिरूद्ध; पर्यावरण संरक्षण कानून, ईस्टर्न बुक कंपनी, लखनऊ।
५ उपाध्याय, जय जय राम; भारत का संविधान, सेन्ट्रल लॉ एजेन्सी, इलाहाबाद।
६ शर्मा, पी.डी.; इकोलॉजी एण्ड एन्वायरमेन्ट, रस्तोगी पब्लीकेषन मेरठ।
७ पाण्डेय, जयनारायण; भारत का संविधान, सेन्ट्रल लॉ एजेन्सी, इलाहाबाद।
८. ऑल इंडिया रिर्पोटर।
९ क्रिमनल लॉ जर्नल।

MPHIN26256/12/I/2011-TC
जून - 2019 वर्ष - 8, अंक - 4
UGC No.: 41109
ISSN 2231-2951
रेफर्ड रिसर्च जर्नल

मध्यप्रदेश सामाजिक शोध समग्र

(Madhya Pradesh Samajik Shodh Samagra)

शोध एवं संदर्भ की राष्ट्रीय पत्रिका

(विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली द्वारा मान्यता प्राप्त नं. 41109)

लोक विकास

लोक विकास एवं अनुसंधान ट्रस्ट

(देवी अहिल्या विश्वविद्यालय से मान्यता प्राप्त समाज शास्त्र एवं राजनीति शास्त्र का शोध केन्द्र)
301, ईशान अपार्टमेन्ट, 13/2, स्नेहलतागंज, इन्दौर-452003 (म.प्र.)
फोन : 0731-2434934, मोबा. : 09826011413
ई-मेल : mpshodhsamagra@gmail.com www.mpshodhsamagra.org
https://www.facebook.com / shodhsamagra

MPHIN26256/12/1/2011-TC
जून-2019 वर्ष-8, अंक-4
UGC No.: 41109
ISSN 2231-2951
रेफर्ड रिसर्च जर्नल

मध्यप्रदेश सामाजिक शोध समग्र

(Madhya Pradesh Samajik Shodh Samagra)

शोध एवं संदर्भ की राष्ट्रीय पत्रिका

(विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नईदिल्ली द्वारा मान्यता प्राप्त नं. 41109)

सम्पादक

डॉ. लता तपन भट्टाचार्य

निदेशक एवं प्रबंध न्यासी

लोक विकास एवं अनुसंधान ट्रस्ट, इन्दौर

सम्पादक मंडल

डॉ. उषा तिवारी

सेवानिवृत्त वरिष्ठ प्राध्यापक, राजनीतिशास्त्र, इन्दौर

प्रो. कमल दीक्षित

सेवानिवृत्त वरिष्ठ प्राध्यापक, पत्रकारिता, माखनलाल चतुर्वेदी विवि., भोपाल

डॉ. नीलम हिंगोरानी

सेवानिवृत्त वरिष्ठ प्राध्यापक, समाजशास्त्र, शासकीय महाविद्यालय, देअविवि, इन्दौर

लोक विकास एवं अनुसंधान ट्रस्ट

(देवी अहिल्या विश्वविद्यालय से मान्यता प्राप्त समाजशास्त्र एवं राजनीतिशास्त्र का शोध केन्द्र)

301, ईशान अपार्टमेन्ट, 13/2, स्नेहलतागंज, इन्दौर - 452003 (म.प्र.)

फोन : 0731-2434972, मोबा. : 09826011413

ई-मेल : mpshodhsamagra@gmail.com, www.mpshodhsamagra.org

https://www.facebook.com / shodhsamagra

MPHIN26256/12/1/2011-TC

ISSN 2231-2951 / रेफर्ड रिसर्च जर्नल

शोध / आलेख विवरणिका

	पृष्ठ क्र.
❑ डॉ. लता तपन भट्टाचार्य निदेशक की कलम से	4
❑ डॉ. उषा तिवारी हिन्द स्वराज (कांग्रेस और उसके कर्ता-धर्ता)	6
❑ डॉ. आभा श्रीवास्तव छत्तीसगढ़ के साहित्य का पर्याय - लाला जगदलपुरी	8
❑ डॉ. नीतू श्रीवास्तव "महायोगी गुरू-गोरक्षनाथ के विशिष्ट अवदान"	12
❑ डॉ. राजकुमार भारत में न्यायिक नियुक्ति : एक आलोचनात्मक विश्लेषण	16
❑ डॉ. गिरीश गौरव भारतीय सामाजिक व्यवस्था का आधार पुरुषार्थ चतुष्क : ऐतिहासिक विश्लेषण	21
❑ कलीम मोहम्मद सिद्दीकी युवाओं में बढ़ती अपराधिक प्रवृत्तियों के कारण एवं प्रभाव का अध्ययन (इन्दौर शहर के सन्दर्भ में)	32
❑ नगारची जामरे मध्यप्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं का विकास एवं महिला नेतृत्व	34
❑ डॉ. करुणामती एवं डॉ. नवीनसिंह राजपूत छत्तीसगढ़ राज्य के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में राज्य शासन की विकासकारी योजनाओं के प्रभाव का अध्ययन	39
❑ डॉ. भूपेन्द्र कुमार व डॉ. विजय कुमार साहू छत्तीसगढ़ राज्य के कवर्धा जिले में बैगा जनजाति के विकास में पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत किए गए प्रयासों का अध्ययन	43
❑ निशा कुमारी बाढ़ तथा बाँध की राजनीति : कोसी बेसिन के सन्दर्भ में विश्लेषण	46

	पृष्ठ क्र.
❑ रंजना कन्नोज मध्यप्रदेश में अनुसूचित जनजातियों का भौगोलिक एवं जनांकिकी परिचय	51
❑ रेणु कांगे एवं डॉ. सुचित्रा शर्मा सोशल नेटवर्किंग साइट्स का पारिवारिक जीवन पर प्रभाव (रायपुर नगर के विशेष संदर्भ में)	60
❑ टिंकु प्रसाद शर्मा एवं डॉ. पुष्पा तिवारी रायपुर जिले के ट्रांसजेंडरों का एक समाजशास्त्रीय अध्ययन	64
❑ श्रीधर बर्वे समय है हिन्दी भाषियों को अपने गिरेबान में देखने का	67
❑ डॉ. राम आशीष श्रीवास्तव ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 एवं वर्तमान परिदृश्य	71
❑ श्रीधर बर्वे हिन्द महासागर और भारत की सुरक्षा	80
❑ Nagesh Parashar IRDAI's Initiatives towards Policy Holders' Grievance Handling and Consumer Education: A Study	84
❑ Dr. Abhikrati Shukla & Dr. Gyanchand Khimesera Impact of Rashtriya Bal Swasthya Karyakram on Economic Empowerment of women in Mandsaur, M.P - A case study	90
❑ Nagesh Parashar Customers' Complaint in Life Insurance: Need to Handle with Care	104
❑ Dr. Shivani Diwan& Dr. Sambit K.Padhi Library Facilities in Different Central and State Universities of Central India	109
❑ Priyanka Kewalramani Importance of Integration of Peace Education with teacher Training	121

MPHIN26256/12/1/2011-TC ISSN 2231-2951 / रेफर्ड रिसर्च जर्नल

ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 एवं वर्तमान परिदृश्य

डॉ. राम आशीष श्रीवास्तव*

सार–संक्षेप– *वर्तमान में यदि हम ग्राम की बात करें तो एक अलग तस्वीर हमारे सामने आती है जिसमें शहरी संस्कृति का हस्तक्षेप पदार्पित हो चुका है। पंचायत ग्राम के लिए कार्यपालक विधायी एवं न्यायपालिक कार्य को किया करते हैं। पंचायत एवं ग्राम सभा की अधिकारिता सीमित होने के कारण सभी प्रकार के मामलों का निपटारा पंचायतों के द्वारा नहीं किया जा सकता है जिस कारण से न्याय की स्थापना नहीं हो पाती। नागरिकों की उनके घरों पर न्याय तक पहुंच उपलब्ध कराना, साधारण जन स्तर पर ग्राम न्यायालयों की स्थापना करना, यह सुनिश्चित करना कि कोई नागरिक सामाजिक, आर्थिक या अन्य निःशक्तता के कारण न्याय प्राप्त करने से वंचित न रह जाये, इनसे संबंधित या आनुशंगिक विषयों का उपबंध करना। उपरोक्त कारणों से ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 पारित किया गया। ग्राम न्यायालय एक चलित न्यायालय के रूप में काम करता हैं। यह न्यायालय अपनी अधिकारिता के भीतर आने वाले मामलों का निपटारा गाँवों तक पहुँच कर करते हैं। सुनवाई के लिए प्रत्येक गाँव के लिए तारीखों का निर्धारण पूर्व से किया जाता है। 6 माह की समय सीमा के भीतर मामलों को निपटाने का प्रयत्न किया जात हैं।*

मूल शब्द : ग्राम न्यायालय, पंचायती राज, चलित न्यायालय, प्रकिृया, अधिकारिता एवं संक्षिप्त विचारण

परिचय :

73वें संविधान संशोधन से पूर्व की पंचायती राज व्यवस्था में, जो राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी के ग्राम स्वराज की परिकल्पना पर आधारित थी, पंचायती राज कानून में न्याय पंचायतों की व्यवस्था थी। यह पंच परमेश्वर की न्याय प्रणाली का ही एक स्वरूप थी। चौपाल पर न्याय की अवधारणा का प्रतिरूप थी। इन न्याय पंचायतों में ग्राम स्तर के छोटे–मोटे सिविल एवं आपराधिक मामले निपट जाया करते थे। इससे नियमित न्यायालयों पर काम का बोझ नहीं बढ़ पाता था। लेकिन नये पंचायती राज कानूनों में इन न्याय पंचायतों को स्थान नही दिया गया। एक लम्बे अन्तराल के बाद शासन–प्रशासन का ध्यान पुनः इस न्याय व्यवस्था पर गया और एक नई अवधारणा ग्राम न्यायालयों की सामने आई।

भारत गांवों का देष है, अधिकांश आबादी गांवों में रहती है जो कृषक हैं, अशिक्षित हैं और निर्धन भी है। वे अपने अधिकारों एवं कर्त्तव्यों से भी परिचित नहीं है। कानूनों की जानकारी होना तो असम्भव बात है। यही कारण है कि अधिकांश लोग न्याय से वंचित रह जाते हैं। वे अर्थाभाव या अन्य किसी कारण से न्यायालय में दस्तक नहीं दे पाते। दीर्घकालीन और खर्चीली न्याय व्यवस्था होने के कारण आम आदमी को न्याय सुलभ नहीं हो पाता। यहीं कारण है कि संविधान में एक नया अनुच्छेद 39क जोड़कर ऐसे लोगों को न्याय सुलभ कराने का प्रयास किया गया।

आर्थिक या अन्य निःशक्तता के कारण न्याय प्राप्त करने से वंचित न रह जाये, इनसे संबंधित या आनुषंगिक विषयों को अधिनियमित किया गया। ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 के लिए आठ आध्यायों में बांटा गया है जिसमें सर्वप्रथम अध्याय 1 प्रारंभिक, अध्याय 2 ग्राम न्यायालय, अध्याय 3 ग्राम न्यायालय की अधिकारिता, अध्याय 4 दाण्डिक मामलों में प्रक्रिया, अध्याय 5 सिविल मामलों में प्रक्रिया, अध्याय 6, साधारणतः प्रक्रिया, अध्याय 7 अपीलें एवं अध्याय 8 प्रकीर्ण हैं। प्रस्तुत अध्याय की कुछ महत्व पूर्ण बातें जिसके अंतर्गत ग्राम न्यायालय प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट का न्यायालय होगा और उसके पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा उच्च न्यायालय के परामर्श से की जाएगी। न्यायाधिकारी की अर्हताएं उसका वेतन और उसकी सेवा के निबंधन और शर्तें वहीं होंगी, जो प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट की हैं, ग्राम न्यायालय की स्थापना किसी जिले में मध्यवर्ती स्तर पर प्रत्येक पंचायत या मध्यवर्ती स्तर पर समीपस्थ पंचायत के समूह के लिए या जहां किसी राज्य में मध्यवर्ती स्तर पर कोई पंचायत नहीं है वहां समीपस्थ पंचायतों के समूह के लिए की जाएगी, ग्राम न्यायालय एक चल न्यायालय होगा और सिविल और दांडिक दोनों न्यायालयों की शक्तियों का प्रयोग करेगा। सिविल वादों की धनीय अधिकारिता, आदि संबंधित उच्च न्यायालय द्वारा अधिसूचित की जाएगी, ग्राम न्यायालय ऐसे दांडिक मामलों, सिविल वादों या विवादों का विचारण करेगा।

संदर्भ

1. बाबेल डॉ. बसंतीलाल (2010) ग्राम न्यायालय अधिनियम, 2008 सुविधा लॉ हाऊस प्रा.लि. भोपाल।
2 चौधरी राधाकृष्ण (1982), भारत में स्थानीय शासन, मोतीलाल बनारसीदास, पटना।
3 शर्मा विद्यासागर (1956), पंचायती राज, हिन्दी प्रकाशन मंदिर, इलाहाबाद।
4 सान्याल भूपेन्द्रनाथ (1964), भारत में पंचायती राज, नेशनल पब्लिशिंग हाऊस, दिल्ली।
5 बसु नारायण (1965), पंचायती राज की परिकल्पना, इंडियन प्रेस प्रा.लि., इलाहाबाद।
6 डे ऐस. के. (1961), पंचायती राज एशिया पब्लिकेशन हाउस, मुम्बई।
7 एम. के. गाँधी (1949), पंचायतीराज, नवजीवन प्रकाशन मन्दिर, अहमदाबाद।
8 मैथ्यू जॉर्ज (2003), भारत में पंचायती राज, वाणी प्रकाशन, 21–ए, दरियागंज, नई दिल्ली।
9 शर्मा हरिशचन्द्र (1986), भारत में स्थानीय प्रशासन, कालेज बुक डिपो, जयपुर।
10 भारत प्रशासन (1957), संविधान प्रकाशन विभाग, भारत सरकार।
11 भारत का संविधान, भारत सरकार विधायी विभाग, नई दिल्ली।
12 ग्राम न्यायालय अधिनियम, भारत सरकार विधायी विभाग, नई दिल्ली।

***डॉ. राम आशीष श्रीवास्तव**
सहायक प्राध्यापक (विधि), गोविन्द सारंग शासकीय विधि महाविद्यालय, भाटापारा, बलौदा बाजार (छ.ग.)

भारत में पंचायतीराज . एक संवैधानिक दृष्टिकोण

डॉ राम आशीष श्रीवास्तव*,

सार–संक्षेप :

महात्मा गॉधी के स्वप्न ग्राम स्वराज जिसमें गॉवों के विकास के लिए ग्राम स्तर पर पंचायतों के गठन की व्यवस्था करता है। सर्वप्रथम 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज की स्थापना का द्वीप प्रज्जवलित किया गया था। भारत के संविधान के अनुच्छेद 40 के अंर्तगत राज्य का यह कर्तव्य बना दिया गया कि वह ग्राम पंचायतों का गठन करे जिससे कि वे स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य कर सकें। 73 वे संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा अब तो पंचायती राज संस्थाओं के सम्बंध में संपूर्ण देश के लिए एकरूप–व्यवस्था की गई है। यह संशोधन अधिनियम 25 अप्रैल 1993 से संपूर्ण देश में लागू कर दिया गया। इस संशोधन द्वारा संविधान में पंचायत से संबंधित एक नया अध्याय भारत के संविधान के भाग 9 में जोडा गया जिसमें अनुच्छेद 243 से 243ण समाहित है, साथ ही ग्यारहवी अनुसूची जोड दी गई जिसमें उन विषयों का उल्लेख किया गया है जो पंचायत के कार्यक्षेत्र में आते हैं। संविधान में पंचायती राज को स्थान दिया जाना पंचायती राज के महत्व को परिलक्षित करता है। भारत देश जहॉ की 70 प्रतिशत जनसंख्या गॉवों में निवास करती है, पंचायती राज की उपेक्षा नहीं की जा सकती। पंचायत, चौपाल एवं ग्राम साभाएॅ भारत के ग्रामीण अंचल की नैसर्गिक संस्थाएॅ रही हैं। इन्हीं के मध्य से ग्रामवासी अपना सामाजिक आर्थिक एवं सांस्कृतिक समाधान करते रहे हैं। ऐसी संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया जाना सामयिक कदम है। ग्राम पंचायतों के गठन के संबंध में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 में उपबंध किया गया है कि, "राज्य ग्राम पंचायतों का गठन करने के लिए कदम उठाएगा और उनको ऐसी शक्तियों और प्राधिकार प्रदान करेगा, जो उन्हें स्वायत्त शासन की इकाई के रूप में कार्य करने योग्य बनाने के लिए आवश्यक हो।" चूकि भारत के संविधान के अंतर्गत अुनच्छेद 40 का उपबंध प्रारंभ से किया गया था किन्तु फिर भी इस दिशा में सहीं कदम नहीं उठाये गये थे जिस कारण से भारत के संविधान में 73वें संविधान संशोधन की आवश्यकता पड़ी।

मूल–शब्द :पंचायतीराज, ग्रामस्वराज, पंचायत, ग्राम सभा, नियंत्रण, निवारण, अधिनियम, संशोधन।

परिचय :

भारत के संविधान के अंतर्गत जिन उद्देश्यों एवं मानदण्डों को अपनाया गया है क्या वे प्राप्त कर जिये गये है। भारत एक वृहद देश है। राज्य की न्यूनतम इकाई ग्राम है। यदि हम संपूर्ण भारत का विकास करना चाहते है तो हमें विकास के केन्द्रबिन्दु ग्राम को बनाना होगा। भारत के संविधान की प्रस्तावना के अंतर्गत जो लक्ष्य निर्धारित किये गये है वे है संपूर्णप्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष एवं लोकतंत्रात्मक गणराज्य। साथ ही साथ भारत के नागरिको के लिए न्याय जिसमें सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक न्याय की स्थापना तथा स्वतंत्रता जिसमें विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता की बात कही गई है। प्रस्तावना के अंतर्गत ही व्यक्ति की गरिमा एवं राष्ट्र की एकता एवं अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता के संबंध में बतलाया गया है। यदि भारत में इन उद्देश्य एवं लक्ष्य को पूर्णता प्रदान करनी है

* सहायक प्राध्यापक (विधि) गोविन्द सारंग विधि महाविद्यालय भाटापारा–बलौदाबाजार (छ.ग.)

तो ग्राम स्वराज के माध्यम से इसे गति प्रदान की जा सकती है। ***भानुमति बनाम स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश*** [1] के मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के संवैधानिकता प्रदान करने के मुख्यतया उद्देश्य बताये गये जिनमें सामाजिक ढ़ॉचे में परिर्वतन लाना, पंचायती राज संस्थाओं के संवैधानिक प्रास्थिति प्रदान कराना तथा, राजनीति में उन्हें तीसरी सरकार के रूप में मान्यता प्रदान कराना प्रमुख हैं। ***भीम सिंह बनाम भारत संघ*** **एवं अन्य**[2] के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह अभिमत व्यक्त किया गया कि एम.पी.एल.ए.डी. योजना संविधान के 73वें और 74वें संशोधनों से विपरीत है।

ग्राम पंचायतों का संगठन :

ग्राम पंचायतों के गठन के संबंध में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 में उपबंध किया गया है कि, "राज्य ग्राम पंचायतों का गठन करने के लिए कदम उठाएगा और उनको ऐसी शक्तियों और प्राधिकार प्रदान करेगा, जो उन्हें स्वायत्त शासन की इकाई के रूप में कार्य करने योग्य बनाने के लिए आवश्यक हो।" अनुच्छेद 40 के अनुसार राज्य की यह जिम्मेदारी बना दी गई कि ग्राम पंचायतों की स्थापना की जाये। इस प्रावधान के अंतर्गत भारत के विभिन्न राज्यों में ग्राम पंचायतों की स्थापना की गई है। अनुच्छेद 40 का खंड (क) का उपखंड (1) निर्दिष्ट करता है कि प्रत्येक राज्य में ग्राम मध्यवर्ती और जिला स्तर पर इस भाग के उपबंधों के अनुसार पंचायतों का गठन किया जाएगा । साथ ही साथ उपखंड (2) में यह कहा गया है कि खण्ड (1) में किसी बात के होते हुए भी मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत का उस राज्य में गठन नहीं किया जाएगा जिसकी जनसंख्या बीस लाख से अनधिक है ।

भारतोय संविधान का भाग 9–पंचायत :

भारत के संविधान के अध्याय 9 के अंतर्गत पंचायत से संबंधित प्रावधानों के संबंध में उपबंध किया गया है जिससे संबंधित अनुच्छेद 243–243 ण. तक इस अध्याय में विस्त्रत हैं। भाग 9 अंतर्गत प्रथमतः परिभाषाए इसके पश्चात् क्रमशः ग्राम सभा[3], पंचायतों के गठन[4], संरचना[5], स्थानों के आरंक्षण[6], अवधि[7] , सदस्यता के लिए निरर्हताए[8] , पंचायतों की शक्तियॉ प्राधिकार और उत्तरदायित्व [9], कर अधिरोपित करने की शक्तियॉ और उनकी निधियॉ[10] , वित्तीय स्थिति के पुनर्विलोकन के लिए वित्त आयोग का गठन[11] , पंचायतों के लेखाओं की संपरीक्षा[12] , पंचायतों के लिए निर्वाचन[13] , संघ राज्यक्षेत्रों को लागू होना[14] , इस भाग का कतिपय क्षेत्रों को लागू न होना[15] , विद्यमान विधियों और पंचायतों का बना रहना [16] एवं निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालय के हस्तक्षेप का वर्जन[17] संबंधी उपबंध किये गये हैं।

---

1 ए.आई.आर 2010 एस.सी. 3796

2 SC civil writ petition No.404 of 1999

3 भारत का संविधान अनुच्छेद 243 (क)

4 भारत का संविधान अनुच्छेद 243ख

5 भारत का संविधान अनुच्छेद 243ग

6 भारत का संविधान अनुच्छेद 243घ

7 भारत का संविधान अनुच्छेद 243ड.

8 भारत का संविधान अनुच्छेद 243च

9 भारत का संविधान अनुच्छेद 243छ

10 भारत का संविधान अनुच्छेद 243ज

11 भारत का संविधान अनुच्छेद 243झ

12 भारत का संविधान अनुच्छेद 243ञ

13 भारत का संविधान अनुच्छेद 243ट

14 भारत का संविधान अनुच्छेद 243ठ

पंचायतों का गठन :

भारत का संविधान यह उपबंधित करता है कि (1) प्रत्येक राज्य में ग्राम, मध्यवर्ती और जिला स्तर पर इस भाग के उपबंधों के अनुसार पंचायतों का गठन किया जाएगा। (2) खण्ड (1) में किसी बात के होते हुए भी मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत का उस राज्य में गठन नहीं किया जा सकेगा, जिसकी जनसंख्या बीस लाख से अनधिक है।[18]

पंचायतों की संरचना :

भारत का संविधान यह उपबंधित करता है कि (1) इस भाग के उपबंधों के अधीन रहते हुए किसी राज्य का विधान मंडल विधि द्वारा पंचायतों की संरचना की बाबत् उपबंध कर सकेगा। परंतु किसी भी स्तर पर पंचायत के प्रादेशिक

क्षेत्र की जनसंख्या का ऐसी पंचायत में निर्वाचन द्वारा भरे जाने वाले स्थानों की संख्या से अनुपात समस्त राज्य में यथासाध्य एक ही हो। (2) किसी पंचायत के सभी स्थान, पंचायत क्षेत्र में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने हुए व्यक्ति से भरे जाएंगे और इस प्रयोजन के लिए प्रत्येक पंचायत क्षेत्र को प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में ऐसी रीति से विभाजित किया जाएगा कि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र की जनसंख्या का उसको आवंटित स्थानों की संख्या से अनुपात समस्त पंचायत क्षेत्र में यथासाध्य एक ही हो। (3) किसी राज्य का विधान–मंडल विधि द्वारा– (क) ग्राम स्तर पर पंचायतों के अध्यक्षों का मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतों में या ऐसे राज्य की दशा में जहां मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतें नहीं हैं, जिला स्तर पर पंचायतों में (ख) मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतों के अध्यक्षों का जिला स्तर पर पंचायतों में। (ग) लोकसभा के ऐसे सदस्यों का और राज्य की विधानसभा के ऐसे सदस्यों का, जो उन निर्वाचन क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिनमें ग्राम स्तर से भिन्न स्तर पर कोई पंचायत क्षेत्र पूर्णतः या भागतः समाविष्ट है, ऐसी पंचायत में। (घ) राज्य सभा के सदस्यों का और राज्य की विधान परिषद के सदस्यों का, जहां वे मध्यवर्ती स्तर पर किसी पंचायत क्षेत्र के भीतर निर्वाचकों के रूप में रजिस्ट्रीकृत है, मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत जिला स्तर पर किसी पंचायत क्षेत्र के भीतर निर्वाचकों के रूप में रजिस्ट्रीकृत हैं, जिला स्तर पर पंचायत में प्रतिनिधित्व करने के लिए उपबंध कर सकेगा। (4) किसी पंचायत के अध्यक्ष और किसी पंचायत के ऐसे अन्य सदस्यों को, चाहे वे पंचायत क्षेत्र में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने गए हों या नहीं, पंचायतों के अधिवेशनों में मत देने का अधिकार होगा। (5) (क) ग्राम स्तर पर किसी पंचायत के अध्यक्ष का निर्वाचन ऐसी रीति से, जो राज्य के विधान–मंडल विधि द्वारा उपबंधित करे जाएँ, किया जाएगा, और (ख) मध्यवर्ती स्तर या जिला स्तर पर किसी पंचायत के अध्यक्ष का निर्वाचन, उसके निर्वाचित सदस्यों द्वारा अपने में से किया जाएगा।[19]

स्थानों का आरक्षण :

पंचायतों के अंतर्गत आरक्षण दिया जाना बहुत ही महत्वपूर्ण था क्योंकि ग्रामीण जनमानस से ही दे" ा का विकास संभव हो सकता है और उनमें से ऐसे वर्ग के लोग जिनका प्रतिनिधित्व न के बराबर था उनको आरक्षण की व्यवस्था का दिया जाना एक महत्वपूर्ण कदम है। यहां पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है जो कि निम्न लिखित है :– (1) प्रत्येक पंचायत में–(क) अनुसूचित जातियों और (ख) अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थान आरक्षित रहेंगे और इस प्रकार आरक्षित स्थानों की संख्या का अनुपात, उस पंचायत में प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा भरे जाने वाले स्थानों की कुल संख्या से यथा" ाक्य वही होगा, जो उस पंचायत क्षेत्र में अनुसूचित जातियों

---

15 भारत का संविधान अनुच्छेद 243ड.

16 भारत का संविधान अनुच्छेद 243ढ

17 भारत का संविधान अनुच्छेद 243ण

18 भारत का संविधान अनुच्छेद 243ख

19 भारत का संविधान अनुच्छेद 243ग

की अथवा उस पंचायत क्षेत्र में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या का अनुपात उस क्षेत्र की कुल जनसंख्या से है और ऐसे स्थान किसी पंचायत में भिन्न–भिन्न निर्वाचन क्षेत्रों को चक्रानुक्रम से आबंटित किए जा सकेंगे।

(2) खण्ड (1) के अधीन आरक्षित स्थानों की कुल संख्या के कम से कम एक तिहाई स्थान, यथास्थिति अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों की स्त्रियों के लिए आरक्षित रहेंगे।

(3) प्रत्येक पंचायत में प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा भरे जाने वाले स्थानों की कुल संख्या के कम से कम एक तिहाई स्थान (जिनके अंतर्गत अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की स्त्रियों के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या भी है) स्त्रियों के लिए आरक्षित रहेंगे और ऐसे स्थान किसी पंचायत में भिन्न–भिन्न निर्वाचन क्षेत्रों की चक्रानुक्रम से आवंटित किए जा सकेंगे।

(4) ग्राम या किसी अन्य स्तर पर पंचायतों में अध्यक्षों के पद अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और स्त्रियों के लिए ऐसी रीति से आरक्षित रहेंगे, जो राज्य का विधान–मंडल विधि द्वारा उपबंधित करें। परंतु किसी राज्य में प्रत्येक स्तर पर पंचायतों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित अध्यक्षों के पदों की संख्या का अनुपात प्रत्येक स्तर पर उन पंचायतों में से ऐसे पदों की कुल संख्या से यथाशक्य वही होगा, जो उस राज्य में अनुसूचित जातियों की अथवा उस राज्य में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या का अनुपात उस राज्य की कुल जनसंख्या से है। परंतु यह भी कि इस खंड के अधीन आरक्षित पदों की संख्या प्रत्येक स्तर पर भिन्न–भिन्न पंचायतों को चक्रानुक्रम से आवंटित की जाएगी।

(5) खण्ड (1) और खण्ड (2) के अधीन स्थानों का आरक्षण और खण्ड (4) के अधीन अध्यक्षों के पदों का आरक्षण (जो स्त्रियों के लिए आरक्षण से भिन्न है) अनुच्छेद 334 में विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति पर प्रभावी नहीं रहेगा।

(6) इस भाग की कोई बात किसी राज्य के विधान मंडल को पिछड़े हुए नागरिकों के किसी वर्ग के पक्ष में किसी स्तर पर किसी पंचायत में स्थनों के या पंचायतों में अध्यक्षों के पदो के आरक्षण के लिए कोई उपबन्ध करने से निवारित नहीं करेगी। [20]

पंचायतों की अवधि, आदि :

(1) प्रत्येक पंचायत, यदि तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन पहले ही विघटित नहीं कर दी जाती है तो अपने प्रथम अधिवे" ान के लिए नियत तारीख से पॉच वर्ष तक बनी रहेगी, इससे अधिक नहीं। (2) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के किसी संशोधन से किसी स्तर पर ऐसी पंचायत का, जो ऐसे संशोधन के ठीक पूर्व कार्य कर रही है, तब तक विघटन नहीं होगा, जब तक खण्ड (1) में विनिर्दिष्ट उसकी अवधि समाप्त नहीं हो जाती। (3) किसी पंचायत का गठन करने कि लिए निर्वाचन– (क) खण्ड (1) में विनिर्दिष्ट उसकी अवधि की समाप्ति के पूर्वः (ख) उसके विघटन की तारीख से छह मास की अवधि की समाप्ति के पूर्व, पूरा किया जाएगा। परंतु जहां वह शेष अवधि, जिसके लिए कोई विघटत पंचायत बनी रहती, छह मास से कम है, वहां ऐसी अवधि के लिए उस पंचायत का गठन करने के लिए इस खण्ड के अधीन कोई निर्वाचन कराना आव" यक नहीं होगा। (4) किसी पंचायत की अवधि की समाप्ति के पूर्व उस पंचायत के विघटन पर गठित की गई कोई पंचायत उस अवधि के केवल शेष भाग कि लिए बनी रहेगी, जिसके लिए विघटित पंचायत खण्ड (1) के अधीन बनी रहती, यदि वह इस प्रकार विघटित नहीं की जाती। [21]

शासन के इस तीसरे सोपान की पंचायती राज इकाइयों का कार्यकाल भी केंद्र व राज्य सरकार की भांति समान करने के लिए यह प्रावधान किया गया है कि प्रत्येक पंचायती राज इकाई का कार्यकाल, यदि वह, राज्य में तत्समय प्रवर्तित किसी

20 भारत का संविधान अनुच्छेद 243घ

21 भारत का संविधान अनुच्छेद 243ड

विधि के अधीन पहले भंग नहीं कर दी जाती है तो, 5 वर्ष होगा और इससे अधिक नहीं। इसी संदर्भ में ध्यान देने योग्य तथ्य यह है कि संविधान में पंचायती राज संस्थाओं के कार्यकाल को 5 वर्ष घोषित किया गया है तथा शब्द "इससे अधिक नही" पर विशेष बल दिया गया है। पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों के विषय में संविधान में कहा गया है कि इन संस्थाओं के चुनाव उनके निर्धारित कार्यकाल समाप्त होने के पूर्व कराए जाए और यदि ये संस्थाएं समय से पूर्व भंग की जाती है तो भंग किए जाने की तिथि से 6 माह की अवधि में नए चुनाव कराने होंगे।

इस संदर्भ में यह उपबन्ध भी किया गया है, कि यदि भंग की हुई संस्था का निर्धारित कार्यकाल 6 माह से कम रह गया हो तो ऐसे चुनाव कराए जाने आव" यक नहीं होंगे। भंग किए जाने के प" चात् नई चुनी हुई पंचायती राज इकाई, उस शेष अवधि के लिए ही कार्य करेगी जितनी अवधि के लिए वह इकाई कार्य करती, यदि वह भंग नही की गई होती।

सदस्यता के लिए निरर्हताएँ :

भारत का संविधान यह उपबंधित करता है कि (1) कोई व्यक्ति किसी पंचायत का सदस्य चुने जाने के लिए और सदस्य होने के लिए निरर्हित होगा–(क) यदि वह संबंधित राज्य के विधान–मंडल के निर्वाचनों के प्रयोजनों के लिए तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा या उसके अधीन इस प्रकार निरर्हित कर दिया जाता है। परंतु कोई व्यक्ति इस आधार पर निरर्हित नहीं होगा कि उसकी आयु पच्चीस वर्ष से कम है, यदि उसने इक्कीस वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है। (ख) यदि वह राज्य के विधान–मंडल द्वारा बनाई गई किसी विधि द्वारा या उसके अधीन इस प्रकार निरर्हित कर दिया जाता है। (2) यदि यह प्र" न उठता है कि किसी पंचायत का कोई सदस्य खण्ड (1) में वर्णित किसी निरर्हता से ग्रस्त हो गया है या नहीं तो वह प्रश्न ऐसे प्राधिकारी को और ऐसी रीति से, जो राज्य का विधान–मंडल, विधि द्वारा, उपबंधित करें, विनिश्चय के लिए निर्देशित किया जाएगा।[22]

शक्तियाँ और प्राधिकार :

भारतीय संविधान के अंतर्गत भाग 9 जोड़ने के पीछे एक महत्वपूर्ण उद्देश्य यह था कि पंचायतीराज संस्थाओं को पूर्ण शक्तियॉ और प्राधिकार प्रदान किये जाये उसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 छ के अन्तर्गत पंचायत को शक्तियॉ प्राधिकार और उत्तरदायित्व प्रदान किये गये हैं।

पंचायतों की शक्तियॉ, प्राधिकार और उत्तरदायित्व संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए किसी राज्य का विधान–मंडल, विधि द्वारा, पंचायतों को ऐसी शक्तियां और प्राधिकार प्रदान कर सकेगा, जो उन्हें स्वायत्त शासन की संस्थाओं के रूप में कार्य करने में समर्थ बनाने के लिए आवश्यक हों और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो उसमें विनिर्दिष्ट की जाएँ, निम्नलिखित के संबंध में शक्तियां और उत्तरदायित्व न्यागत करने के लिए उपबंध किए जा सकेंगे, अर्थात–

(i) आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए योजनाएं तैयार करना

(ii) आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय की ऐसी स्कीमों को, जो उन्हें सौंपी जाएं, जिनके अंतर्गत वे स्कीमें भी हैं, जो ग्यारहवीं अनुसूची में सूचीबद्ध विषयों के संबंध में हैं, कार्यान्वित करना[23]

पंचायतों द्वारा कर अधिरोपित करने की शक्तियों और उनकी निधियाँ :

किसी राज्य का विधान मंडल विधि द्वारा–(क) ऐसे कर, शुल्क, पथकर और फीसें उद्गृहीत, संग्रहित और विनियोजित करने के लिए किसी पंचायत को, ऐसी प्रक्रिया के अनुसार और ऐसे निर्बन्धनों के अधीन रहते हुए, प्राधिकृत कर सकेगा। (ख) राज्य सरकार द्वारा उद्गृहीत और संग्रहीत ऐसे कर, शुल्क, पथकर और फीसें किसी पंचायत को ऐसे प्रयोजनों के लिए तथा

22 भारत का संविधान अनुच्छेद 243च

23 भारत का संविधान अनुच्छेद 243 छ

ऐसी शर्तों और निर्बन्धनों के अधीन रहते हुए समनुदिष्ट कर सकेगा। (ग) राज्य की संचित निधि में से पंचायतों के लिए ऐसे सहायता–अनुदान देने के लिए उपबंध कर सकेगा, और (घ) पंचायतों द्वारा या उनकी ओर से क्रमशः प्राप्त किए गए सभी धनों को जमा करने के लिए ऐसी निधियों का गठन करने और उन निधियों में से ऐसे धनों को निकालने के लिए भी उपबंध कर सकेगा, जो विधि में विनिर्दिष्ट किए जाएँ।[24]

वित्तीय स्थिति के पुनर्विलोकन के लिए वित्त आयोग का गठन :

राज्यों के राज्यपाल, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के प्रवर्तन के एक वर्ष की अवधि में और उसके पश्चात् प्रति 5 वर्ष के अन्तराल पर राज्यों की पंचायती राज संस्थाओं की वित्तीय स्थिति की समीक्षा, और राज्य सरकार द्वारा लगाये गए करों से हुई आय का राज्य द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के मध्य वितरण, पंचायती राज संस्थाओं द्वारा लगाए जाने वाले करों को चिन्हित करने, राज्य की संचित निधि से इन संस्थाओं को दिए जाने वाले अनुदान के सिद्धातों का निर्धारण, और पंचायती राज संस्थाओं की वित्तिय स्थिति में सुधार लाने के लिए किये जाने वाले उपायों तथा वित्तीय स्वरूप के संदर्भ में सौपें गए किन्हीं भी अन्य कार्यो का निश्पादन करने के लिए राज्य वित्त आयोग का गठन करेंगे। राज्य विधान मंडल विधि के माध्यम से इस वित्त आयोग के संगठन और उसमें नियुक्त किए जाने वाले सदस्यों की योग्यताओं और इन सदस्यों की नियुक्ति की प्रक्रिया का निर्धारण कर सकेगी। भारत के संविधान के अंतर्गत प्रावधान किया गया है किः– (1) राज्य का राज्यपाल संविधान (तिहत्तरवां संशोधन) अधिनियम, 1992 के प्रारंभ से एक वर्ष के भीतर यथा" शीघ्र और तत्पश्चात प्रत्येक पांचवें वर्ष की समाप्ति पर वित्त आयोग का गठन करेगा, जो पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पुनर्विलोकन करेगा, और जो– (क) राज्य द्वारा उद्गृहीत करों, शुल्कों, पथकरों और फीसों के ऐसे शुद्व आगमों के राज्य और पंचायतों के बीच, जो इस भाग के अधीन उनमें विभाजित किए जाएँ, वितरण को और सभी स्तरों पर पंचायतों के बीच ऐसे आगमों के तत्संबंधी भाग के आवंटन को। ऐसे करों, शुल्कों, पथकरों और फीसों के अवधारण को, जो पंचायतों को समनुदिष्ट की जा सकेंगी या उनके द्वारा विनियोजित की जा सकेगी। राज्य की संचित निधि में से पंचायतों के लिए सहायाता अनुदान को, शासित करने वाले सिद्वांतों के बारे में। (ख) पंचायतों की वित्तीय स्थिति को सुधारने के लिए आवश्यक अध्युपायों के बारे में। (ग) पंयायतों के सुदृढ़ वित्त के हित में राज्यपाल द्वारा वित्त आयोग को निर्दिष्ट किए गए किसी अन्य विषय के बारे में, राज्यपाल को सिफारिश करेगा। (2) राज्य का विधान मंडल, विधि द्वारा, आयोग की संरचना का, उन अर्हताओं का, जो आयोग के सदस्यों के रूप में नियुक्ति के लिए अपेक्षित होंगी और उस रीति का, जिससे उनका चयन किया जाएगा, उपबंध कर सकेगा। (3) आयोग अपनी प्रक्रिया अवधारित करेगा और उसे अपने कृत्यों के पालन में ऐसी शक्तियां होगी, जो राज्य का विधान मंडल विधि द्वारा उसे प्रदान करे। (4) राज्यपाल इस अनुच्छेद के अधीन आयोग द्वारा की गई प्रत्येक सिफारिश को उस पर की गई कार्रवाई के स्पष्टीकारक ज्ञापन सहित राज्य के विधान मंडल के समक्ष रखवाएगा। [25]

पंचायतों के लेखाओं की संपरीक्षा :

किसी राज्य का विधान–मंडल, विधि द्वारा, पंचायतों द्वारा लेखे रखे जाने और ऐसे लेखाओं की संपरीक्षा करने के बारे में उपबंध कर सकेगा।[26] उदाहरण के लिए मध्य प्रदेश विधान मंडल के द्वारा उपबंध किया गया है कि ग्राम सभा समुचित रूप से लेखा पुस्तकें संधारित करवाएगी तथा लखाओं का वार्षिक विवरण तैयार करेगी। ग्राम सभा के लेखाओं की संपरीक्षा समय–समय पर ऐसी रीति में तथा ऐसे प्राधिकारी द्वारा की जाएगी जा कि विहित किया जाए तथा प्रस्तुत संपरीक्षा रिपोर्ट

24 भारत का संविधान अनुच्छेद 243 ज

25 भारत का संविधान अनुच्छेद 243झ

26 भारत का संविधान अनुच्छेद 243ञ

ग्राम सभा के समक्ष आगामी सम्मेलन में रखी जाएगी।[27] इसी के अनुरूप ग्राम पंचायत जिला पंचायत एवं जनपद पंचायत के लिए लेखाओं की संपरीक्षा के लिए उपबंध किये गये है।

पंचायतों के लिए निर्वाचन :

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243ग के खंड 2 में प्रावधान किया गया है कि पंचायत के सभी स्थानों को पंचायत क्षेत्र के निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने हुए व्यक्ति से समीचीन होगा कि 73 वां संविधान सं" ाोधन के माध्यम से ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत एवं जिला पंचायत के लिए राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई । पंचायतों के निर्वाचन से संबंधित भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343ट के अंतर्गत अपबंध किया गया जो कि निम्नांकित हैः–

भारतीय संविधान के अनुसार पंचायतों के लिए कराए जाने वाले सभी निर्वाचन के लिए निर्वाचक नामावली तैयार कराने का और उन सभी निर्वाचनों के संचालन का अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण एक राज्य निर्वाचन आयोग में निहित होगा, जिसमें एक राज्य निर्वाचन आयुक्त होगा, जो राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाएगा।[28] किसी राज्य के विधान मंडल द्वारा बनाई गई किसी विधि के उपबंधों के अधीन रहते हुए राज्य निर्वाचन आयुक्त की सेवा की शर्ते और पदावधि ऐसी होंगी, जो राज्यपाल नियम द्वारा अवधारित करें, परंतु राज्य निर्वाचन आयुक्त को उसके पद से उसी रीति से और उन्हीं आधारों पर ही हटाया जाएगा, जिस रीति से और जिन आधारों पर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है, अन्यथा नहीं और राज्य निर्वाचन आयुक्त की सेवा की शर्तों में उनकी नियुक्ति के पश्चात उनके लिए अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जाएगा।[29] जब राज्य निर्वाचन आयोग ऐसा अनुरोध करें, तब किसी राज्य का राज्यपाल राज्य निर्वाचन आयोग को उतने कर्मचारीवृन्द उपलब्ध कराएगा, जितने खण्ड (1) द्वारा राज्य निर्वाचन आयोग को उसे सौंपे गए कृत्यों के निर्वहन के लिए आवश्यक हों।[30] इस संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए किसी राज्य का विधान मंडल, विधि द्वारा, पंचायतों के निर्वाचनों से संबंधित या संसक्त सभी विषयों के संबंध में उपबंध कर सकेगा। [31]

किसी पंचायत के सभी स्थान, पंचायत क्षेत्र में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने हुए व्यक्ति से भरे जाएंगे और इस प्रयोजन के लिए प्रत्येक पंचायत क्षेत्र को प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में ऐसी रीति से विभाजित किया जाएगा कि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र की जनसंख्या का उसको आवंटित स्थानों की संख्या से अनुपात समस्त पंचायत क्षेत्र में यथासाध्य एक ही हो। अनुच्छेद 243 ग के खंड (3) में उपबंध किया गया है कि कि किसी राज्य का विधान–मंडल विधि द्वारा–(क) ग्राम स्तर पर पंचायतों के अध्यक्षों का मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतों में या ऐसे राज्य की दशा में जहां मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतें नहीं हैं, जिला स्तर पर पंचायतों में। (ख) मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतों के अध्यक्षों का जिला स्तर पर पंचायतों में। (ग) लोकसभा के ऐसे सदस्यों का और राज्य की विधानसभा के ऐसे सदस्यों का, जो उन निर्वाचन क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिनमें ग्राम स्तर से भिन्न स्तर पर कोई पंचायत क्षेत्र पूर्णतः या भागतः समाविष्ट है, ऐसी पंचायत में। (घ) राज्य सभा के सदस्यों का और राज्य की विधान परिषद के सदस्यों का, जहां वे–मध्यवर्ती स्तर पर किसी पंचायत क्षेत्र के भीतर निर्वाचकों के रूप में रजिस्ट्रीकृत है, मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत में एवं जिला स्तर पर किसी पंचायत क्षेत्र के भीतर निर्वाचकों के रूप में रजिस्ट्रीकृत हैं, जिला स्तर पर पंचायत में प्रतिनिधित्व करने के लिए उपबंध कर सकेगा।

संघ राज्यक्षेत्रों को लागू होना :

---

27 मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज धारा 7–ट

28 भारत का संविधान अनुच्छेद 243 ट(1)

29 भारत का संविधान अनुच्छेद 243 ट(2)

30 भारत का संविधान अनुच्छेद 243 ट(3)

31 भारत का संविधान अनुच्छेद 243 ट(4)

इस भाग के उपबंध संघ राज्यक्षेत्रों को लागू होंगे और किसी संघ राज्यक्षेत्र को उनके लागू होने में इस प्रकार प्रभावी होंगे, मानो किसी राज्य के राज्यपाल के प्रति निर्देश, अनुच्छेद 239 के अधीन नियुक्त संघ राज्यक्षेत्र के प्रशासक के प्रति निर्देश हों और किसी राज्य के विधान–मंडल या विधानसभा के प्रति निर्देश, किसी ऐसे संघ राज्यक्षेत्र के संबंध में, जिसमें विधानसभा है, उस विधानसभा के प्रति निर्देश हों, परंतु राष्ट्रपति, लोक अधिसूचना द्वारा यह निर्देश दे सकेगा कि इस भाग के उपबंध किसी संघ राज्यक्षेत्र या उसके किसी भाग को ऐसे अपवादों और उपांतरणों के अधीन रहते हुए लागू होंगे, जो वह अधिसूचना में विनिर्दिष्ट करें।[32]

इस भाग का कतिपय क्षेत्रों को लागू न होना[33] :

भारत का संविधान यहां पर उपबंधित करता है कि (1) इस भाग की कोई बात अनुच्छेद 244 के खण्ड (1) में निर्दिष्ट अनुसूचित क्षेत्रों और उसके खण्ड (2) में निर्दिष्ट जनजाति क्षेत्रों को लागू नहीं होगी। (2) इस भाग की कोई बात निम्नलिखित को लागू नहीं होगी, अर्थात् (क) नागालैंड, मेघालय और मिजोरम राज्य, (ख) मणिपुर राज्य के ऐसे पर्वतीय क्षेत्र, जिनके लिए तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन जिला परिषद विद्यमान है। (3) इस भाग की–(क) कोई बात जिला स्तर पर पंचायतों के संबंध में पश्चिम बंगाल राज्य के दार्जिलिंग जिले के ऐसे पर्वतीय क्षेत्रों को लागू नहीं होगी, जिनके लिए तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन दार्जिलिंग गोरखा पर्वतीय परिषद विद्यामन है। (ख) किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि वह ऐसी विधि के अधीन दार्जिलिंग गोरखा पर्वतीय परिषद के कृत्यों और शक्तियों पर प्रभाव डालती है।(3 क) अनुसूचित जातियों के लिए स्थानों के आरक्षण से संबंधित अनुच्छेद 243 घ की कोई बात अरूणांचल प्रदेश राज्य को लागू नहीं होगी। (4) इस संविधान में किसी बात के होते हुए भी– (क) खण्ड (2) के उपखण्ड (क) में निर्दिष्ट किसी राज्य का विधान मंडल, विधि द्वारा, इस भाग का विस्तार खण्ड (1) में निर्दिष्ट क्षेत्रों के सिवाय, यदि कोई हों, उस राज्य पर उस दशा में कर सकेगा, जब उस राज्य की विधानसभा इस आशय का एक संकल्प उस सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा तथा उस सदन के उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम दो तिहाई बहुमत द्वारा पारित कर देती है।

(ख) संसद, विधि द्वारा, इस भाग के उपबंधों का विस्तार खण्ड (1) में निर्दिष्ट अनुसूचित क्षेत्रों और जनजाति क्षेत्रों पर ऐसे अपवादों और उपांतरणों के अधीन रहते हुए कर सकेगी, जो ऐसी विधि में विनिर्दिष्ट किए जाए और ऐसी किसी विधि को अनुच्छेद 368 के प्रयोजनों के लिए इस संविधान का संशोधन नहीं समझा जाएगा।[34]

विद्यमान विधियों और पंचायतों का बना रहना :

इस भाग में किसी बात के होते हुए भी संविधान (तिहत्तरवां संशोधन) अधिनियम, 1992 के प्रारंभ के ठीक पूर्व किसी राज्य में प्रवृत्त पंचायतों से संबंधित किसी विधि का कोई उपबंध, जो इस भाग के उपबंधों से असंगत है, जब तक सक्षम विधान मंडल द्वारा या अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा उसे संशोधित या निरसित नहीं कर दिया जाता है या जब तक ऐसे प्रारंभ से एक वर्ष समाप्त नहीं हो जाता है, इनमें से जो भी पहले हो, तब तक प्रवृत्त बना सकेगाः परंतु ऐसे प्रारंभ के ठीक पूर्व विद्यमान सभी पंचायतें, यदि उस राज्य की विधानसभा द्वारा या ऐसे राज्य की दशा में, जिसमें विधान परिषद है, उस राज्य

32 भारत का संविधान अनुच्छेद 243ठ

33 भारत का संविधान अनुच्छेद 243ढ़

34 भारत का संविधान अनुच्छेद 243ड.

के विधान मंडल के प्रत्येक सदन द्वारा पारित इस आ" ाय के संकल्प द्वारा पहले ही विघटित नहीं कर दी जाती है तो अपनी अवधि की समाप्ति तक बनी रहेगी। [35]

निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालय के हस्तक्षेप का वर्जन :

संविधान के अंतर्गत निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालय के हस्तक्षेप का वर्जन करते हुए कहा गया है कि संविधान में किसी बात के होते हुए भी–

(क) अनुच्छेद 243 ट के अधीन बनाई गई या बनाई जाने के लिए तात्पर्यित किसी ऐसी विधि की विधिमान्यता, जो निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमा या ऐसे निर्वाचन क्षेत्रों को स्थानों के आवंटन से संबंधित है, किसी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं की जाएगी।

(ख) किसी पंचायत के लिए कोई निर्वाचन, ऐसी निर्वाचन अर्जी पर ही प्रश्नगत किया जाएगा, जो ऐसे प्राधिकारी को और ऐसी रीति से प्रस्तुत की गई है, जिसका किसी राज्य के विधान–मंडल द्वारा बनाई गई किसी विधि द्वारा या उसके अधीन उपबंध किया जाए, अन्यथा नहीं। [36]

भारतीय संविधान की ग्यारहवीं अनुसूची :

भारतीय संविधान की इस अनुसूची के अंतर्गत वे विषय दिये गये है जिन पर पंचायते विधि ग्राम सभा के माध्यम से विधि निर्माण कर अपनी कार्यशैली को पंचायत स्वयं निर्वाह कर सकती है। जिससे के ग्रामीण स्वायत्त शासन पद्धति का शुभारंभ होता है। भारतीय संविधान की ग्यारहवीं अनुसूची के प्रावधान निम्नांकित हैः–

1 कृषि, जिसके अंतर्गत कृषि विस्तार,

2 भूमि विकास, भूमि सुधार का कार्यान्वयन, चकबन्दी, और भूमि अनुसरक्षण,

3 लघु सिंचाई, जल प्रबन्ध और जल विभाजन क्षेत्र का विकास,

4 पशुपालन, डेरी उद्योग व कुक्कुट पालन,

5 मत्स्य उद्योग,

6 सामाजिक वानिकी और फार्म वानिकी,

7 लघु वन उपज,

8 लघु उद्योग, जिसके अंतर्गत खाद्य प्रसंस्करण उद्योग भी है,

9 खादी ग्राम और कुटीर उद्योग,

10 ग्रामीण आवासन,

11 पेय जल,

12 ईंधन और चारा,

13 सड़के, पुलिया, पुल, फेरी, जलमार्ग और संचार के अन्य साधन,

14 ग्रामीण विघुतीकरण, जिसके अंतर्गत विद्युत का वितरण है,

15 गैर पारम्परिक ऊर्जा स्त्रोत,

16 गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम,

17 शिक्षा, जिसके अंतर्गत प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय भी है,

---

35 भारत का संविधान अनुच्छेद 243ढ

36 भारत का संविधान अनुच्छेद 243.ण

18 तकनीकी प्रशिक्षण और व्यावसायिक शिक्षा,

19 प्रौढ़ और आनौपचारिक शिक्षा,

20 पुस्तकालय,

21 सांस्कृतिक क्रियाकलाप,

22 बाजार और मेले,

23 स्वास्थ्य और स्वच्छता जिसके अंतर्गत अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र और औषधालय भी है,

24 परिवार कल्याण,

25 महिला और बाल विकास,

26 समाज कल्याण, जिसके अंतर्गत विकलांगों और मानसिक रूप से मंद व्यक्तियों का कल्याण है,

27 दुर्बल वर्गो का और विशिष्टतया, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का कल्याण,

28 सार्वजनिक वितरण प्रणाली,

29 सामुदायिक आस्तियों का अनुरक्षण।

भरतीय संविधान की 7वीं अनुसूची :

भारत का संविधान की अनुसूची 7 केन्द्र एवं राज्यों के बीच विधायी शक्तियों के वितरण के संबंध में प्रावधान किया गया है। भारत का संविधान की अनुसूची 7 की सूची 2 राज्य सूची के विषयांतर्गत प्रविष्ठी क्रमांक 5 ग्राम प्रशासन अर्थात् ग्राम पंचायत के लिए भी अपने अंतर्गत व्यापम रूप से सम्मलित करती है और पंचायत के लिए विधि निर्माण संबंधी कार्य राज्य सूची के विषयांतर्गत रखा गया है, जिसके अंतर्गत कहा गया है कि, स्थानीय शासन, अर्थात् नगर निगमों, सुधार न्यासों, जिला बोर्डों, खनन–बस्ती प्राधिकारियों और स्थानीय स्वशासन या ग्राम प्रशासन के प्रयोजनों के लिए अन्य स्थानीय प्राधिकारियों का गठन और शक्तियां।[37] उपर्युक्त प्रविष्टि के अंतर्गत मुख्यतः दो बातों पर ध्यान केन्द्रित किया गया जिसमें ' स्थानीय शासन एवं स्थानीय स्वशासन, यहां पर स्थानीय शासन का अर्थ शहरी प्रशासन से एवं स्थानीय स्वशासन से ग्रामीण प्रशासन से है जिसके अंतर्गत ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत एवं जिला पंचायत एवं ग्रामीण प्रशासन से संबंधित सभी अन्य उपक्रम भी सम्मिलित किए गए है अर्थात इस संबंध में राज्य विधि निर्माण संबंधी शक्ति धारण करता हैं।

उपसंहार :

भारत में स्थानीय प्रशासन 1993 तक राज्यों के विवेक पर निर्भर था इसलिए उसे अपने अधिकार से अस्तित्व में बने रहने का अधिकार नहीं था। संविधान का तिहत्तरवां संशोधन, जो कि 1993 से लागू हुआ, इन कमियों को दूर कर देता है।[38] यहां पर यह स्पष्ट कर देना उपयुक्त होगा कि 73 वां संविधान संशोधन पंचायती राज को शक्तिशाली बनाने के लिए एवं राज्यों के लिए पंचायती राज संबंधी विधिक उपबंध करने के लिए बाध्य करता हैं। इस अधिनियम के पूर्व यह राज्य का नीति निर्देशक तत्व तो बनाया गया था किन्तु राज्यों के लिए इस पर विधि बनाने के लिए बाध्य नहीं किया गया था। किन्तु अब इस संविधान संशोधन के पश्चात् प्रत्येक राज्य पंचायतों के उपबंध करने के लिए बाध्य कर दिया गया हैं। इसका प्रभाव यह हुआ कि राज्यों ने अधिनियम पारित करके अपने अपने राज्यों में पंचायतों की स्थापना कर ली हैं।

37 भारत का संविधान प्रविष्टी क्रमांक 5 सूची 2 अनुसूची 7

38 माहेशवर एस.आर. (2011) भारत में स्थानीय प्रशासन, प्रकाशक लक्ष्मी नारायण अग्रवाल, आगरा पृष्ठ संख्या 16

संदर्भ ग्रंथ सूची :

1. *श्रीवास्तव अरूण (1994), भारत में पंचायती राज, आर. बी. एस. ए. पब्लिशर्स, जयपुर।*
2. *चौधरी राधाकृष्ण (1982), भारत में स्थानीय शासन, मोतीलाल बनारसीदास, पटना।*
3. *शर्मा विद्यासागर (1956), पंचायती राज, हिन्दी प्रकाशन मंदिर, इलाहाबाद।*
4. *गुरूशरण (1962), पंचायती राज को जानिए, अखिल भारत सर्व सेवा संघ प्रकाशन, राजघाट, वाराणसी।*
5. *एम. लक्ष्मी कान्त (2011), गवर्मेन्स इन इंडिया प्रकाशक, टाटा मेग्राहिल एजूकेशन प्राईवेट लिमिटेड।*
6. *सान्याल भूपेन्द्रनाथ (1964), भारत में पंचायती राज, नेशनल पब्लिशिंग हाऊस, दिल्ली।*
7. *बसु नारायण (1965), पंचायती राज की परिकल्पना, इंडियन प्रेस प्रा.लि., इलाहाबाद।*
8. *डे ऐस. के. (1961), पंचायती राज एशिया पब्लिकेशन हाउस, मुम्बई।*
9. *एम. के. गाँधी (1949), पंचायतीराज, नवजीवन प्रकाशन मन्दिर, अहमदाबाद।*
10. *मैथ्यू जॉर्ज (2003), भारत में पंचायती राज, वाणी प्रकाशन, 21–ए, दरियागंज, नई दिल्ली।*
11. *श्रीवास्तव जवाहर लाल (1976), पंचायती राज की सफलता के सेतु, राष्ट्रीय प्रकाशन मन्दिर, लखनऊ।*
12. *अल्टेकर डॉ. (1948), प्राचीन भारतीय शासन पद्वति, भारतीय भंडार, इलाहाबाद।*
13. *फाडिया डॉ. बी. एल. (2002), राजनीति विज्ञान, प्रतियोगिता साहित्य सीरीज, साहित्य भवन, आगरा।*
14. *वर्मा विश्वनाथ प्रसाद (1975), वैदिक राजनीति भाास्त्र–बिहार ग्रन्थ अकादमी, पटना।*
15. *शर्मा हरिश्चन्द्र (1986), भारत में स्थानीय प्रशासन, कालेज बुक डिपो, जयपुर।*
16. *भारत शासन (1956), रिपोर्ट आफ दा कांग्रेस विलेज पंचायत कमेटी।*
17. *भारत प्रशासन (1957), संविधान प्रकाशन विभाग, भारत सरकार।*
18. *भारत का संविधान, भारत सरकार विधायी विभाग, नई दिल्ली।*